



QUARTERLY PROGRESS REPORT OF NON – ATTAINMENT CITY MEERUT

Submitted on behalf of State of Uttar Pradesh



JANUARY - MARCH 21

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010

CONTENTS

Sl.No.	Meerut City	Page No.
I	Basic Information	03-03
II	Capacity Building, Monitoring Network and Source Apportionment	04-08
III	Public Outreach	09-10
IV	Road Dust and Construction & Demolition	11-17
V	Vehicles	18-29
VI	Industries	30-41
VII	Waste and Biomass- Dumping and Burning	42-48
VIII	Air Quality Data	49-49
1.	<i>Annex -CB 1</i>	50-51
2.	<i>Annex -CB 2</i>	52-53
3.	<i>Annex -CB 3</i>	54-56
4.	<i>Annex -CB 4</i>	57-57
5.	<i>Annex -CB 5</i>	58-58
6.	<i>Annex - CB 6</i>	59-60
7.	<i>Annex -PO 1</i>	61-63
8.	<i>Annex -PO 2</i>	64-65
9.	<i>Annex -RD 1</i>	66-66
10.	<i>Annex -RD 2</i>	67-67
11.	<i>Annex -RD 3</i>	68-68
12.	<i>Annex -RD 4</i>	69-71
13.	<i>Annex -RD 5</i>	72-73
14.	<i>Annex -RD 6</i>	74-74

15.	<i>Annex -RD 7</i>	75-83
16.	<i>Annex -C&D 1</i>	84-84
17.	<i>Annex - C&D 2</i>	85-86
18.	<i>Annex - C&D 3</i>	87-87
19.	<i>Annex -VE 1</i>	88-99
20.	<i>Annex -VE 2</i>	100-100
21.	<i>Annex -VE 3</i>	101-101
22.	<i>Annex -IP 1</i>	102-115
23.	<i>Annex - IP 2</i>	116-131
24.	<i>Annex -IP 3</i>	132-132
25.	<i>Annex -IP 4</i>	133-133
26.	<i>Annex -IP 5</i>	134-135
27.	<i>Annex -IP 6</i>	136-136
28.	<i>Annex -IP 7</i>	137-141
29.	<i>Annex -IP 8</i>	142-142
30.	<i>Annex -IP 9</i>	143-143
31.	<i>Annex -IP10</i>	144-149
32.	<i>Annex -WB 1</i>	150-151
33.	<i>Annex -WB 2</i>	152-152
34.	<i>Annex -WB 3</i>	153-159
35.	<i>Annex -WB 4</i>	160-160
36.	<i>Annex - WB-5</i>	161-163

Basic Information

Name of Non-Attainment City	Meerut
Sate/ Union Territory	Uttar Pradesh
Name of Nodal Officer at PCB/ PCC	Chief Environmental Officer(Laboratory)
Email Id	ceolab@uppcb.in
Contact Number	0522-2720832
Date till which progress is submitted	31-03-2021

Action Point Code	Sector	Total Number of Actions	Number of Actions Completed	Number of Actions Under Progress
CB	CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE APPORTIONMENT	12	6	6
PO	PUBLIC OUTREACH	6	6	0
RD/ C&D	ROAD DUST AND CONTRUCTION & DEMOLITION	39	27	12
VE	VEHICLES	38	24	14
IP	INDUSTRIES	40	31	9
BB/DF	WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND BURNING	23	16	7
AQ	AIR QUALITY DATA	9	9	0

1. Capacity Building

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	**Attachment	Attachment Contents	Total Fund required (Rs. Lakh)	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
CB 1	Installation & Commissioning of Monitoring Stations													
CB 1.1	CAAQMS	03 CAAQMS are established and functional in Meerut City. 02 CAAQMS more required as per CPCB norms	05 CAAQMS	Feb-22	No	02 CAAQMS	Number	Yes	List of CAAQMS attached as <u>Annexure CB1</u>	400Lakhs (With purchase, installation and 05 years of O & M)	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	-
CB 1.2	Manual Stations	02 Manual Stations are established and are functional at following locations: 1. Begum Bridge 2. Kaiser ganj road 01 station required as per CPCB norms	03 Manual Stations	Mar-21	No	01 Manual Station	Number	Yes	Data is available on UPPCB website. http://www.uppcb.com/ambient_quality.htm	Rs. 12.66 lacs (for O&M per year) for 03 stations <u>As per CPCB guidelines under NAMP</u>	Rs. 12.66 lacs (for O&M per year) for 02 stations	Rs. 8.96Lacs	Rs. 8.96Lacs	-

CB 3 Assessment of sources														
CB 3.1	Emission Inventory	Emission Inventory based on secondary data is prepared and Draft is approved by CPCB.	Comprehensive Source Apportionment and Emission inventory to be done after receiving Funds	2 Years after receiving fund from MoEF&CC/ 15th FC	No	Comprehensive Source Apportionment and Emission inventory to be done after receiving Funds	Study	Yes	Details are attached as <u>Annexure CB2</u>	80	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	0
CB 3.3	Source Apportionment Study													
CB 4 Training & Capacity Building														
CB 4.1	Development of online training module with online test & certificate generation facility for training & skill development of public officials on Waste Management and ensure periodic trainings	Training modules on Biomedical waste is prepared	4 Modules	Completed	No	Completed	Number	No	Nil	35 Lakh	27 Lakh	27 lakh	15 Lakh	-
CB 4.2	Infrastructure development (Laboratory/ AQM Cell)	AQM cell has already been established and functional	Already established	March, 2021	No	Completed	Text	Yes	DM Meerut Order attached as <u>Annexure CB3</u>	Capex 20.0 Opex 5.0/Year	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	-

CB 4.3	Enforcement Units	13 Enforcement task forces were constituted by different concern departments like Nagar Nigam, Agri. Dept., UPPCB, and Development authority, etc. for implementation of GRAP. Besides this demand for establishment of 3 mobile enforcement unit is raised in 15 FC by UPPCB.	13 task force completed and 3 mobile enforcement unit to be procured	6 months after receiving grants from 15 FC	No	3 mobile enforcement unit	Number	Yes	Attached as <u>Annexure CB4</u>	72 lakh (@15lakh /vehicle and 9 lakh for O&M including Driver.)	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	-
CB 4.4	Development of online training module with online test & certificate generation facility for skill development for improving operation of Air Pollution Control Systems installed at sources, operation of brick kilns, Cane Kohus etc. and ensure periodic trainings	Drafts are under preparation	3	31.12.2021	No	3	Number	No	Nil	30 Lakh	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	-
CB 4.5	Conduct study on development of Green Infrastructures in the City for Identification of suitable green infrastructures for control of air pollution and earmarking the places on GIS platform	Evaluation of Proposals received from reputed institutes for development of Green infrastructure is under progress	1	31.06.2021	No	1	Text	No	Nil	10 Lakhs	As per Grants available	As per Grants available	As per Grants available	As per Grants available

	along with a publication of a field guide of SOPs													
CB 5	Emergency Response System	<p>1. GRAP is applicable in city and monitoring is done on a regular basis by DEC.</p> <p>2. For the purpose of ERS to be developed by PCB, State Disaster Management Authority and Meteorological Department as per the order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019, the disaster Management Authority has requested for development of a guideline by NDMA. The matter also reviewed by CS, GoUP and letter has been sent to NDMA, CPCB and MoEF&CC for issuance of a guideline for development of ERS for severe levels of air pollution. The response of MoEF&CC, CPCB & NDMA is awaited.</p>	<p>1. GRAP implementation</p> <p>2. Development of ERS as per order of Hon'ble NGT</p>	<p>1. Oct-19</p> <p>2. To be provided by NDMA, MoEF&C & CPCB</p>	<p>1. No</p> <p>2. Yes as matter referred to NDM A, MoEF &CC & CPCB</p>	<p>1. GRAP implementation</p> <p>2. Development of ERS as per order of Hon'ble NGT</p>	Text	Yes	<p>1. GRAP Implementation report <u>Annexure CB5.</u></p> <p>2. Letter dated 22.12.2020 written by the State to NDMA, CPCB & MoEF&CC. <u>Annex-CB-6</u></p>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

CB 6 Carrying Capacity														
CB 6.1	Assessment of Carrying Capacity of NAC	Carrying Capacity study to be done after receiving Funds	1	Dec-22	No	1	Yes	No	Nil	75	0	0	0	0
CB 6.2	Revision of Master Plan on the basis of Carrying Capacity of NAC	To be done after assessment of Carrying Capacity	At the time of revision of Master Plan	At the time of revision of Master Plan	No	At the time of revision of Master Plan	Number	No	Nil	0	0	0	0	0

2. Public Outreach

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	**Attachment No.	Attachment Contents	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
PO1	Public Outreach												
PO1 .1	Daily Air Quality Public Information Dissemination System	Real time data on Air quality is being made available on Sameer App	Real time AQI on Sameer app and release of daily bulletin	15 days and thereafter as regular activity (15.9.19)	No	365 days	Number	URL	Detailed action taken (https://cpcb.nic.in/upload/Downloads/AQI_Bulletin)	Not required	Not required	Not required	Not required
PO1 .3	Issue public advisory for prevention and control of air pollution by newspaper publication and radio jingles	Advisory issued by CMO regarding precautions. Nagar nigam, Nagar palika parishad/panchayat carrying out drives for proper disposal and against waste burning	Regular Activity as and when needed	Regular Activity as and when needed	No	Regular activity. Completed for the quarter	Number	URL	10 Weekly bulletins (uppcb.com/weekly-aqi.htm)	Not required	Not required	Not required	Not required
PO1 .4	Deeper public engagement and consultation (Hackathons/Workshops/ Programmes in schools/ colleges)	RWAs/AOAs and civil defence organizing webinars with stakeholders	Continuous Activity	Continuous Activity	No	Regular activity. Completed for the quarter	Number	Yes	Public Awareness Calendar for Year 2021-22. Attached as <u>Annexure PO1</u>	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	Rs. 25 lacs

PO1.5	Launch mobile app to update public about status of air quality	100% AQI status of available on Sameer App and other than this, AQI bulletin is published on UPPCB's website on regular basis	1	30 days (Sept 2019)	No	Completed	URL	URL	URL of Sammer App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpcb)	Not required	Not required	Not required	Not required
PO1.6	Develop & online awareness/orientation module with online test & certificate generation facility for Common Citizen in order to ensure their participation (ParyavaranPrahari) in control of air pollution and ensure regular online training	Preparation of online modules is under progress	1	31.12.2021	No	1	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
PO2	Public Grievance Redressal System												
PO2.1	App Based System	Swachh Vayu App has been developed and is operational.	Swachh Vayu App	30 days (Sept 2019)	No	Completed	Number	Yes	The status of disposal of complaints in Sameer app and Swatch vayu app is enclosed. The disposal in Sameer app was hampered due to its complete development as detailed in status. The status of disposal is periodically monitored by CS, AQMC and DEC level. Annexed as: Annexure PO 2	Rs. 8.5 lacs	Rs. 8.5 lacs	Rs. 8.5 lacs	Not required

3. Road Dust and Construction & Demolition

Action Point Code	Action Point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	**Attachment No.	Attachment Contents	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
RD 1	Road dust												
RD 1.1	Immediate lifting of solid waste generated from desilting and cleaning of municipal drains for its disposal	MNN is cleaning/lifting solid waste and silt regularly from all 14 drains and the silt is disposed immediately after its drying by deploying 8 poclain machines and 20 trucks/trolleys	14 drains	Regular Activity	No	14 drains	Number	Yes	List of Drains Annexed as: <u>Annexure RD1</u>	5.0cr	4.5cr	4.5cr	Not Required
RD 1.2	Maintain potholes free roads	Target of 35.5 km achieved by MNN by repairing of potholes. Additional Target of 52.28 km (48 roads) taken up under MNN fund which will be completed by March 21	52.28 km	31.03.21	No	52.28 km	Number	Yes	List attached as: <u>Annexure RD2</u>	3.5cr	3.0cr	3.0cr	Not Required
RD 1.3	Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust.	MNN is regularly cleaning 25 km roads using 1 Mechanical Road Sweeper and 9 spray machines for regularly washing road surfaces and suppressing dust. 1 Additional mechanical sweeper has been tendered for procurement and 3 more are required	25km/day	Regular Activity	No	25km/day	Number	Yes	List attached as: <u>Annexure RD3</u>	60 lacs	55lacs	55lacs	3.5cr
RD 1.4	Black-topping of unpaved road	Additional 41.60 km of kaccha/unpaved roads have been identified for black-topping subject to availability of funds	41.60 km	31-03-2023	No	41.60 km	Number	Yes	List attached as: <u>Annexure RD4</u>	2.0 Cr MNN Funding	1.80cr	1.80cr	56CR
RD 1.6	To take appropriate action to remove road dust/silt regularly by using mechanical sweepers	25 km daily sweeping being achieved. 1 more machine being procured. 3 mechanical sweeping machines to be procured after allocation of funds under NCAP/15th FC.	3 Mechanical sweeping machines	Regular activity	No	3 Mechanical sweeping machines	Number	Yes	List attached as: <u>Annexure RD4</u>	60 lacs	55lacs	55lacs	3.5cr

RD 1.7	End-to-end paving of the road	Stretch of around 26 km has been identified for end-to-end pavement by Nagar Nigam including green belt development subject to allocation of funds under NCAP / 15FC. Estimate Under Preparation/ End to end paving of the road is not recommended in scheme of development authority. Road side are left unpaved for percolation of water.	NA	31.03.2022	No	NA	Number	Yes	List attached as: <u>Annexure RD5</u>	5 Cr	4 Cr	4 Cr	45 Cr
RD 1.9	Introduce water fountain at major traffic intersection	three water fountains are existing 1- Bachcha park Chowk 2- Commissionary chowk and 3- Ambedkar Chowk/	NCRTC projects running now due to which no water fountain proposed right now	NA	No	NCRTC projects running now due to which no water fountain proposed right now	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 1.1 1	Improvement of infrastructure for decongestion of road.	Proposals have been invited for created road side parking and junction improvement for decongestion.	Proposals have been invited for create road side parking and junction improvement for decongestions	31-03-2023	No	Proposals have been invited for create road side parking and junction improvement for decongestions	Number	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
RD 1.1 2	Designing and Construction of environment friendly roads	45-m wide connecting road in between mawana road to killa road. Total length of road 2.1km.	2.1 km	31.10.2022	No	2.1KM	Number	No	Nil	19.50 crore	19.50 crore	5.5 crore	NA
RD 1.1 3	Implement truck loading guidelines; use of appropriate enclosures for haul trucks; gravel paving for all haul routes.	Truck loading guidelines are followed	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

RD 1.1 4	Identify road stretches with high dust generation	3 High dust generating roads identified	3 Completed	31.10.2020	No	3 Completed	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 1.1 5	Create Proper Pedestrian & Cycling Infrastructure	Footpath are proposed along the Tej Garhi crossing, Jail Chungi crossing & HRS chowk of Meerut City.	1km	31.03.2021	No	1 km	Number	No	Nil	60 Lacs	Nil	Nil	Nil
RD 1.1 6	All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out.	Irrigation Dpt. has already constructed the roads of canals under the jurisdiction of blocks of irrigation dept. and planted 9200 plants in the financial year of 2020-21 and planted in future as per decided by the Government.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	20 lacs	20lacs	20lacs	Nil
RD 1.1 7	Development of infrastructure for use of treated water of STPs for dust suppression and irrigation	treated water is being used for suppression of Dust	13 STP	Regular activity	No	13 STP	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 1.1 8	Regular monitoring of dust load on major roads of the city	3 Road Dust hotspots are identified in Meerut and action taken for mitigation: 1. Partapur to Modipuram (Bypass road) NH 58 2. Begumpul to Bijlibumba bypass, (Hapur road) 3. Begumpul to Partapur(Delhi road)	Regular activity	Regular activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As per present status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 1.1 9	Preparation and implementation of Road dust hotspot action plan	Not started	3	15.10.2020	No	3	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 2	Creation of green cover												
RD 2.2	Creation of green buffers along the traffic corridors and their maintenance	12000 tree plantations have been done by MNN along traffic corridors and 13500 trees are to be planted in the current year with tree guards	13,500	31.03.2021	No	13,500	No	Yes	Notification is Attached as Annexure RD 6	25 lacs	25lacs	35 lacs	4.0 cr

RD 2.3	Necessary changes in byelaws- Greening of open areas, gardens, community places, schools and housing societies	Housing & urban planning Department, UP has made necessary provisions in ByeLaws for Plantation in Open areas, housing societies etc.	Achieved	Achieved	No	Achieved	Yes	Yes	Notification is Attached as Annexure RD 7	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 2.4	Urban Greening with green infrastructures (vertical garden, green pavements, pocket parks, City Forest, Miyawaki forest & grasscrete tiles etc.)	Vast Plantation of 35000 plants has been done as per target provided by the U.P. Govt. & Balance 24000 plants are to be planted in MIYAWAKI Park in Shatabadi Nagar Yojna.	24000	31.03.2021	No	24000	plantation no.	No	Nil	202 Lacs	202 Lacs	80 Lacs	Not Required
RD 2.5	Builders should leave 33% area for green belt in residential colonies to be made mandatory.	Building byelaws has been attached for 15% green, 33% green can be made mandatory only by state Govt.	Achieved	Achieved	No	Achieved	Yes	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
RD 2.7	Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan.	In Meerut Master plan 2021 area for parks open spaces Green Belt & forest has been earmarked which is 18.59% of Total master plan area. For forest 3.5% of total length has been reserved.	33% Tree cover in the city	2031	No	Regular Activity	yes	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.1	Ensure transportation of construction materials in covered vehicles	order of NGT Shall be followed (Nagar nigam) /Construction material are transported in covered vehical. As per UPPCB/NGT guidelines. (MDA)	Regular Activity	Regular activity	No	Regular Activity	Yes	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.2	Strict enforcement of CPCB guidelines for construction (use of green screens, side covering of digging sites, etc.)	order of NGT Shall be followed (Nagarnigam)/ Green screens are being used at site for covering the materials at on-going construction site. (MDA)	Regular Activity	Regular activity	No	Regular Activity	Yes	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.3	Restriction on storage of construction materials along the road.	All materials are stored on the construction site within barricading area to avoid traffic congestion (NHAI)/ In the Schemes Maintained by Development Authority. The const. Materials are not allowed to store on or along the road. (MDA)	Regular Activity	Regular activity	No	Regular Activity	Text	Yes	List is Attached as Annexure C&D 1	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

C&D 1.4	Covering of construction site.	The Construction site has been barricaded and water stacking being done time to time on earth work to prepare (NHAI) /The construction site/ongoing projects under the development authority follow the Rules/Norms fixed by the NGT/UPPCB. (MDA)	Regular Activity	Regular activity	No	Regular Activity	Text	Yes	List is Attached as Annexure C&D 1	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.5	To create separate space/zone to handle solid waste, C&D waste and other waste in the city	C&D waste material recovery facility centre shall be established in village Naglatasi of cost 33.67 Lakh. Zones are already separate. 2 sites are currently identified for decentralised C&D waste collection	MNN is identifying more such sites for C&D waste segregation and collection decentralised manner	Aug. 2022	No	MNN is identifying more such sites for C&D waste segregation and collection decentralised manner	Number	No	Nil	NA	NA	NA	NA
C&D 1.6	To mandate facility of tar/brick/gravel lined road inside the construction site for movement of vehicles carrying construction material	The Vehicle movement on road only except in dumping area within construction site. (NHAI)/the const. sites of Development authority are in the schemes developed by the Development authority The roads are already in the schemes.(MDA)	Mandated and monitored through dustapp	Completed	No	Completed	No.	Yes	Link of Dust app : http://dustapp.ucecp.in/	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D1.7	Promotion of the use of prefabricated blocks for building construction	At present the prefabricated blocks are not used. In future it will be considered if it is required at construction site. (MDA)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	None	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.8	Enforcement of Construction and Demolition Waste Rules	Rules and regulation for C&D waste is being followed. (Nagar nigam)/The waste demolition material is stored in the camp office/batching plant area. For proper disposal and contractor has been directed to strictly comply the direction. (NHAI) /The Construction &Demolition waste	Mandated and monitored through dustapp	Completed	No	Completed	No.	Yes	Link of Dust app : http://dustapp.ucecp.in/	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

		Rules are Followed. (MDA)											
C&D 1.9	Control measures for fugitive emissions from material handling-conveying and screening operations	Contractor already directed to take all control measures for fugitive emissions from material handing at construction zone. (NHAI) /NGT. Norms are followed for this purpose. (MDA)	Mandated and monitored through dustapp	Completed	No	Completed	No.	Yes	Link of Dust app : http://dustapp.ucep.in/	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.10	Develop and implement dust control measures for all types of construction activities -- buildings and infrastructure.	Dust control measures for the construction works carried out by the Development Authority and also by the Private Builders/Developers. (MDA)/Proper sprinkling on construction sites is being maintained with desired number of water tanker. (NHAI)	Mandated and monitored through dustapp	Completed	No	Completed	No.	Yes	Link of Dust app : http://dustapp.ucep.in/	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.11	Enforce restrictions on construction activities within urban airshed zones during high pollution period	It's followed when such type of directions issued by the UPPCB or NGT. (MDA)/Enforce restriction on construction activities during high pollution period is strictly followed. (NHAI). Grap is already implemented.	Implementation of GRAP	Completed	No	Completed	No.	Yes	Grap attached as <u>Annexure C&D 2</u>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.12	Frame and implement policy for segregation of construction and demolition waste and provide a network of decentralized C&D waste segregation and collection sites across the city.	The construction & demolition waste are reused at the site. (MDA)/Nagar Nigam reuse of C&D waste of itself (Nagar Nigam)	2 sites established and more being planned	31.03.2022	No	2 sites established and more being planned	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

C&D 1.1 3	Promote recycling of construction and demolition waste.	Recycling of dismantling waste is being recycled at plant for various construction activities. (NHAI)/Not required in the works carried out by the Development Authority. (MDA)	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.1 4	Mandatory installation of PTZ Cameras in Construction Sites with open access to UPPCB	5 construction sites identified in Meerut out of which 1 site has installed PTZ camera	1	31.03.2021	No	1	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.1 5	Develop, ensure & monitor periodic online Self Declaration of Dust Control Audit by the Project Proponents/ Site In Charges on the portal http://dustapp.upecp.in/ developed by UPPCB	Completed	All 06 Construction Projects	Regular activity	No	All 06 Construction Projects	Number	Yes	Link of Dust app: http://dustapp.upecp.in/	8.50 Lakh	8.50 Lakh	8.50 Lakh	Not Required
C&D 1.1 6	Appropriate combination of dry scrubber system/filters and wet scrubbing system should be installed for drier and flue gases.	To be installed	All Hot Mix Plants	Regular activity	No	Regular Activity	No	Yes	List of Hot Mix Plants with APCS installed attached: <u>Annexure C&D 3</u>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.1 7	Mandatory installation of PTZ Cameras in Hot mix plants with open access to UPPCB for remote monitoring.	To be installed	All Hot Mix Plants	Regular activity	No	All Hot Mix Plants	No	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
C&D 1.1 8	New Hot mix plants should be permitted only on LPG fuel. Promotion of fuel conversion to LPG in existing Plants	No new hot mix plants installed	Regular activity	Regular activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

4. Vehicles

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	**Attachment No.	Attachment Contents	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
VE1	Improve and strengthen PUC programme												
VE1.1	Number of PUC centers in the city	Total No of PUC -177	177	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of PUC centers can be viewed: https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/PUCCenterList.xhtml	Not required	Not required	Not required	Not required
VE1.2	Regular checking of Vehicular emission and issue of Pollution Control Certificate (PUC)	Regular Checking of PUC Certified is done by Enforcement Officers (RTO)/vehicles are being checked by traffic police officials on regular basis Total PUC issued in Meerut No-488813	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE1.3	Auditing and reform of Pollution Under Control (PUC) certification	All the PUC centres are regularly checked by technical officers & monitoring is being done regularly	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE1.4	linking of PUC centres with remote server and eliminate manual	All 99 PUCs are online.	99	Achieved	No	Achieved	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

	intervention in PUC testing.												
VE1.6	Link PUC certificates with annual vehicle insurance	Matter to be decided at govt level.	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available	No	Nil	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
VE2	Vehicle labelling or sticker programme	Instruction have been given to PUC Centres for pasting stickers at the time of sale of vehicle. So that vehicle that are fulfilling pollution norms can be identified.	Achieved	Achieved	NO	Achieved	Number	No	Nil	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
VE3	Freight transport												
VE3.1	Use of off-peak passenger travel times to move freight and restrict the entry of heavy vehicles into cities during the day to continue	Entry of heavy vehicles into city is banned from 06AM to 10 PM. 129 No of vehicles Challaned for no entry	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE3.2	Provide truck rest areas/parks along national and state highways to	Truck rest areas/parking areas are available on National Highways-58 near Siwaya Toll & on NH-235 in Thana Kharkhoda Area.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

	prevent entry of trucks into cities during peak hours.												
VE3.3	Diversion of truck traffic	Truck traffic is being diverted through Kharkhoda & Bijli Bamba by-pass roads	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE3.4	Check overloading : Use weigh-in-motion bridges / machines (WIM) and Weigh bridges at entry points to the city to check the payload of commercial vehicles. As per the CMVR, a penalty of 10 times the applicable rate for overloaded vehicles is applicable.	Weigh in motion bridges installed on Western UP Toll Plaza Daurala, Meerut on Meerut-Haridwar Road, penalty of 10 times of the applicable rate for overloaded vehicles is being charged by Toll Management.	Completed. Regular Activity	Regular Activity	No	Completed. Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE3.5	Define routes, permits, fares, vehicle design and safety	This direction is already been followed. All the taxis vehicle are already covered by different type of permits. Vehicle design and	Regular Activity	Regular Activity	No	Completed. Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

	standards, and vehicle technology standards for para-transit vehicles.	safety standards are regularly checked by technical officers											
VE4	Clean fuel and fuel Quality												
VE4.1	Check on fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data	Total petrol pumps in district Meerut is 170 and check on fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data of all these petrol pumps regularly.	170 Petrol pumps	31.03.2021 and then regular activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE4.2	Alternative clean fuel policy for vehicle	UP electrical vehicles manufacturing and mobility Policy 2019 has been notified Meerut City Transport services Limited is getting 50 electric buses soon.	50 Electric Buses	90 days (3106.2021)	No	50 Electric Buses	Number	No	Nil	Centralized Procurement at State Level	Nil	Nil	Nil
VE4.4	Use of Bioethanol in the city/urban transport system/waste to energy.	This point has to be decided by government, not yet implemented. (RTO)/1 megawatt waste to energy plant is under process (Nagar nigam)	1 megawatt waste to energy plant is under process (Nagar nigam)	1 megawatt waste to energy plant is under process (Nagar nigam)	No	1 megawatt waste to energy plant is under process (Nagar nigam)	Number	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
VE5	Parking Management												

VE5.1	Prevent parking of vehicles in the non-designated areas	No parking areas are identified. Those vehicles found parked on roads area are toed by crane and challaned. 8732 vehicle challaned for illegal parking	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE5.2	Development of Multi-layer parking	One multilevel parking is proposed in nagar nigam campus in smart city project of cost Rs. 4000 lakh.	1 parking for cars	31.03.2023	No	NA	Number	No	Nil	Not yet allocated	Nil	Nil	Nil
VE5.3	Penalise parking of vehicles in non-designated areas	Two type of penalties are effective in non-designated areas i.e. No Parking penalty is 500 rupees and crane charge Rs 200	Regular Activity	Regular activity	No	Regular Activity	Number	Yes	Details of vehicle challaned https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan	Not required	Not required	Not required	Not required
VE6	Strengthening of Public Transportation												
VE6.1	Regulate the taxi industry	Taxis are covered by a different type of permits, operating individually or attached with different travel agencies likes OLA, UBER	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE6.2	Assess and introduce a city bus system of appropriate fleet size of small buses and desirable bus type replete with GPS	Meerut city transport bus service has 10 number of volvo in flete with GPS tracking, ETVMs for fare collection and passenger information system	Completed. Regular Activity	31.03.2021	No	Completed	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

	tracking, ETVMs for fare collection and Passenger Information Systems.												
VE6.3	Develop route plan for bus operation; target trunk roads	3 Routes has already been defined and running. List Attached	3 Routes	Completed	No	Completed	Number	Yes	Route List is attached as Annexure VE 1	NA	NA	NA	NA
VE6.4	Intermediate public transport (IPT) and bus system	After the completion of NCRTC Project, nagar nigam shall be planned for IPT	IPT	Mar-24	No	None	Number	No	Nil	Will be available after preparation of DPR	Will be available after preparation of DPR	Will be available after preparation of DPR	Will be available after preparation of DPR
VE6.5	Introduction of new electric buses (with proper infrastructure facilities such as charging stations) and CNG buses for public transport which will reduce plying of private vehicles on road and help to curb	50 New Electric bus has been mentioned by UP Government and yet to come	50 Electric Buses	31.03.2022	No	NA	Number	No	Nil	65cr	65cr	65cr	Nil

	tail-pipe emissions.												
VE6.6	CNG infrastructure for auto gas supply in the city and transition of public transport vehicles to CNG mode Introduction of e-buses for Public transport in metro cities	50 New C.N.G. bus from Kanpur has been ordered by Government for Meerut city transport bus service	50 CNG Buses	31.03.2021	No	50 CNG Buses	Number	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
VE6.7	Steps for promoting battery operated vehicles like E-rickshaw/E-Cart	Steps for promoting battery operated vehicles like E-rickshaw is lift up and 300 E-rickshaws are being already in operation in Meerut city and 700 E-rickshaws come up to 31.03.2021	1000 E rickshaws	31.03.2021	No	1000 E rickshaws	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

VE7. Traffic Congestion													
VE7.1	Conducting audit of traffic intersections and install functional traffic signals at all major intersections	Traffic signals are established at 13 places by municipal corporation and BOT (Heera Times)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of Places attached as <u>Annexure VE 2</u>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE7.2	Synchronize traffic movements /Introduce intelligent traffic system for lane-driving	ITMS project for 9 junctions of Meerut has been prepared and sent to govt for sanction under State Smart City Program	ITMS project for 9 junctions of Meerut	31-03-2022	No	ITMS project for 9 junctions of Meerut	Number	Yes	Details attached as <u>Annexure VE 2</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
		5 traffic congestion hotspots have been identified	Reduce vehicle idling time by smooth flow of traffic	Regular activity	No	Completed	Number	Yes	Details of Traffic Congestion attached as <u>Annexure VE 3</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
		Directions were issued to traffic police for decongestion of major traffic areas during Diwali festival.	1	Completed	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE7.3	Prepare plan for construction of diversion ways/ bypasses to avoid congestion due to non-destined	Diversion ways / bypass to be planned	Diversion ways / bypass to be planned	Nil	No	Diversion ways / bypass to be planned	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

	vehicles.												
VE8	Launch Public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicle, lane discipline, etc.	Public awareness/campaign programs are conducted regularly. during Road Safety Week program public are being made aware to use maximum public transport facilities, take regular measures regarding pollution checking of their vehicles, lane driving awareness progress are also conducted.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE10	To check the calibration of emission monitoring equipments, housed in Emission Testing Centres (ETCs) once in 6 months to know the status of equipments	Regular Checking of PUC Centres is done by Technical Officers. Mobile lab is required for Conducting these tests.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Text	No	Nil	NA	NA	NA	50 Lakh
VE11	Phase out old vehicles and vehicle scrappage policy												

VE11 .1	Inspection /maintenance to all BSII & BS III	Inspection of commercial Vehicles is done by RI (Tech) in office as per norms for private vehicles. It is the responsibility of vehicle owner	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE11 .2	Restriction on plying and phasing out of 15 years old commercial diesel driven vehicles.	As per order of NGT no diesel vehicle older than 10 years and petrol vehicle older than 15 years is being allow for re-registration in the district only NOC is issued for districts allowed by transport commissioners or the number of such vehicles is cancelled	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE11 .3	Enforcement of law against visibly polluting vehicles: remove them from road, impose penalty, and launch extensive awareness drive against polluting vehicles.	For the year 2019-20, No of challans is 891 against, No production of PUCC regular checking conducted by the enforcement officers. Regular awareness campaign is conducted and its intensity will be increased in future	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

VE11 .5	To increase fine on vehicle owners (not drivers) where the visible smoke is emitted and noticed.	Govt, has recently increased fine against non-production of PUC of pollution vehicle from Rs 1000/- to Rs 2000/-	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE11 .6	Examine existing framework for removing broken down buses or trucks from roads and create a system for speedy removal and ensuring minimal disruption to traffic from such buses or trucks.	Traffic police has three cranes to remove broken down buses or trucks from road. In order to make better the framework private cranes are also taken in help of traffic police. Private hydra and big cranes are hired whenever needed.	Completed. Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE11 .7	The restriction on use of two stroke vehicles in phased manner (2-Stroke, 3-stroke)	As per NGT order, use of diesel vehicle older than 10 years and petrol vehicle more than 15 years old is restricted. Registration certificate of Non-Transport Vehicle falling in this category has been suspended.	Not Available	Not Available	No	Not Available	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

		Currently there is not provision for restricting use of vehicle on the basis of engine stroke type											
VE11 .8	Prepare and implement Comprehensive Mobility Plan for Meerut City	Comprehensive Mobility Plan for Meerut City is yet to be planned	1	31.03.2022	No	1	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE12	NMT												
VE12 .1	Introducing cycle tracks along with the roads	at present No planning by MDA	Not Available	No	Not Available	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
VE12 .2	Prepare and implement zonal plans to develop an NMT network	Zonal plan is on progress under Mahayojna 2031 of Meerut Development authority	Not Available	No	Not Available	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

5. Industries

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	** Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
IP1	Industrial air pollution control												
IP1.1	To intensify monitoring of industries to reduce of emission by the industries.	60 air polluting units identified in the District. All units to operate only after adequate APCS installed and commissioned. An undertaking in this regard has been taken from 15 units	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of Industries is attached as <u>Annexure IP1</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.2	Action against non-complying industrial units	30 large and medium Scale units having boiler of more than 3 ton, out of which 29 units using solid fuels have installed OCEMS and 01 unit is going on PNG	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3	Shifting/Closing of Polluting Industries from non-conforming to conforming area	Regular inspections and closures of polluting/illegal units is being ensured as well as letters are being sent to land owning agencies for shifting of units from non-conforming areas as per Hon'ble High court and NGT orders	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	ATR is attached as <u>Annexure IP2</u>	Not required	Not required	Not required	Not required

IP1.5	Auditing for Air pollution measures and Online reporting systems in the industrial sectors namely Slaughter houses, Sugar industries, Textile industries, Pulp & paper industries	Control room Established, Random auditing for air pollution industry inspection has been carried out	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.10	Ensuring installation/Up-gradation and operation of air pollution control devices in industries	The Air polluting industries situated in Meerut already installed/up-graded with air pollution control devices. All these air polluting industries are monitored by UPPCB time to time and Linked to CPCB or UPPCB server through online continuous monitoring system Regular checks by team constituted by DM Meerut and board being done to verify installation and efficacy of APCS	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.11	Action/closure against defaulting/unauthorized industrial units.	Defaulting 23 industries have been sealed by the team constituted by DM Meerut and imposed environment compensation (like melting furnace, hot mix plant, kohlus etc)	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	Details of defaulting Industry attached as <u>Annexure IP 3</u>	Not required	Not required	Not required	Not required

IP1.1 2	Ensuring emission standards in industries	30 large and medium Scale units having boiler of more than 3 ton, out of which 29 units using solid fuels have installed OCEMS and 01 unit is going on PNG Manually checking of stacks to be ensured	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.1 4	Measures taken for location specific Emission reduction.	Hotspots have been identified for construction, traffic congestion, road dust, etc and action plan for control of air pollution in hotspot is being implemented	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	Yes	Details of Hotspots attached as <u>Annexure IP4</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.2 6	Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries.	Bank Guarantees are taken from units at the time of issuing of CTE. BG is equivalent to 10%of the cost of pollution control system upto maximum of Rs 1000000/-BG is forfeited in case the unit is found to be in violation of conditions of CTE/CTO. Regular inspections are done to ensure same.	Completed	Completed	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.2 8	Implementation of SOx and NOx standards notified by MOEF&CC	Being complied with by 60 industrial units. SOx and NOx standards for industries notified by MoEF& CC notification GSR 29(E) dated 29.01.2018 has been implemented.	Regular Activity	As regular activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of Industries is attached as <u>Annexure IP5</u>	Not required	Not required	Not required	Not required

IP1.2 9	Prepare and implement local area action plan for pollution hotspots and strict enforcement of air pollution control measures in all industries, including those located in unauthorized areas.	Implementation for pollution hotspots, a inspection team had been constituted by DM Meerut to have a surveillance on industries vide-letter no. 1688/NCR/2019 dated 16.10.2019 and a team along with concerned depts for those industries which located in unauthorized area shall be constituted as soon as possible.	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	Yes	GO is attached as <u>Annexure IP6</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3 0	Assess the number of industrial units that are non-compliant and prepare unit/plant wise action plan for time bound compliance or be shut down.	Action initiated against five industrial units	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	Yes	List of Industries is attached as <u>Annexure IP7</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3 2	Industrial units to install water spraying system of internal roads and washing of tyres of vehicles	Water sprinkling being done using existing infrastructure	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3 3	Monitoring of Cane Kolhus for compliance of CPCB guidelines.	Monitoring of cane kolhus for compliance of CPCB guidelines under process.	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

IP1.3 4	Support to Cane Kolhus for installation of appropriate Air Pollution Control System	To support cane kolhus for installation of appropriate Air Pollution Control System as per CPCB guidelines, a workshop shall be organized with the help of cane dept and initiate the installation of APCS	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3 5	To conduct feasibility study to phase out small boilers in Industrial Clusters in Partapur, Shatabdinagar, Gangol Road, Udyogpuram, Sports Complex Mohakampur Phase I & II by centralized steam supply system	Feasibility study will be carried out with help of IoR selected under NKN	1 feasibility study	31.12.2022	No	Award of feasibility study	Text	No	Nil	Nil	Nil	Nil	10 Lakhs
IP1.3 6	Promote use of non-recyclable plastic waste generated from industries especially the Paper & Pulp Industries for co-processing in Cement Plants	Use of non-recyclable plastic waste generated from industries especially the paper and pulp industries are being sent for coprocessing in cement plants	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	Yes	Details of Plastic waste from industries disposed through co-processing is attached as <u>Annexure IP 8</u>	Not required	Not required	Not required	Not required

IP3 OCEMS in Industries													
IP3.1	There should be provision to use CEMS data as legal evidence and a policy be framed in consultation with Central Pollution Control Board.	100% compliance	Regular Activity	As regular activity	NO	Regular Activity	Number	Yes	List of Industries is attached as Annexure IP9	Not required	Not required	Not required	Not required
IP3.5	Monitoring of industrial emission including real time online monitoring through OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) and live camera feed and to take action against non-complying industrial units	being complied with by 29 industrial and 01 industrial unit is going on PNG	Regular Activity	Regular activity	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP4 Clean fuel in industries													
IP4.1	Introduction and shifting towards cleaner fuels in industries where PNG supply is available	In industrial clusters of district Meerut PNG supply has be started and industries are being motivate to convert their conventional fuel to PNG. It is to be said that in industrial cluster of district Meerut no such big industry is operational. only small/tiny scale industries are being operated with small capacity boilers less than 1 TPH.	Regular Activity	31.03.2024	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

IP4.2	Conversion to CNG/PNG from wood / coal and other agro and fossil fuels.	In industrial clusters of district Meerut PNG supply has be started and industries are being motivate to convert their conventional fuel to PNG.	Regular Activity	31.03.2024	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP4.4	Establish a protocol for using cleaner fuels & technology in industries	Draft approved fuel notification has been issued.	Issuance of clean fuel Notification	31.03.22	No	Issuance of clean fuel Notification	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP4.5	Restriction on using un-authorized fuels in industries such as rubber, polythene, cotton bags, etc. and other dirty fuels.	Regular inspections and night vigil being maintained to ensure compliance of same.	Regular Activity	Regular Activity	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP4.8	Preparation and implementation of Industrial hotspot action plan	03 Industrial hotspots are identified in Meerut	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Yes	Yes	List of hotspots attached as <u>Annexure IP10</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5	Control of air pollution from Brick kilns												
IP5.1	Adapting new technologies for Brick kilns	238 brick kilns are situated in Meerut out of which 91 brick kilns are converted in new technology i.e Zig-Zag. In addition to above the Closure order have issued to 98 brick kilns i.e non converted to Zig-Zag Technology and 43 brick kilns are lying self-closed.	100% Compliance by brick kilns	Regular activity	No	100% Compliance by brick kilns	Number	Yes	As given in the present status	Not required	Not required	Not required	Not required

IP5.2	Assess the number of industrial units that are non-compliant and prepare unit/plant wise action plan for time bound compliance or be shut down.	Total no. Of brick kilns - 238 (as per record) CTO issued -91 closure issued -98 Prosecution under Air Act 1981-8. Env. Compensation- Rs. 1,36,62,500	100% Compliance by brick kilns	Regular activity	No	100% Compliance by brick kilns	Number	Yes	As given in the present status	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5.3	Conversion of natural draft brick kilns to Force/ induced draft.	238 brick kilns are situated in Meerut out of which 91 brick kilns are converted in new technology i.e Zig-Zag. In addition to above the Closure order have issued to 98 brick kilns i.e non converted to Zig-Zag Technology and 43 brick kilns are lying self-closed.	100% Compliance by brick kilns	Regular activity	No	100% Compliance by brick kilns	Number	Yes	As given in the present status	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5.4	Closure of unauthorized units by seeking the possibility for shifting of kilns outside corporation limits. This should be replaced as "Closure of brick kilns not conforming the siting guidelines of UP Govt." as shifting is not possible	If this type of situation is identified then immediate action shall be initiated.	100% Compliance by brick kilns	Regular activity	No	100% Compliance by brick kilns	Number	Yes	As given in the present status	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5.5	Prescribe design specifications for improved kilns and ensure compliance checking to know that conversion has	All the officers have been instructed to ensure compliance for checking to know that brick kilns actually converted into	100% Compliance by brick kilns	Regular activity	No	100% Compliance by brick kilns	Number	Yes	As given in the present status	Not required	Not required	Not required	Not required

	actually taken place.	prescribed design or not. In case of defaulting action shall be taken.												
IP5.6	To identify the clusters of brick kilns including upwind & downwind monitoring locations for ambient air quality monitoring	upwind& downwind monitoring locations for ambient air quality monitoring of clusters of brick kilns is under progress	Identification of upwind and Downwind brick kilns	30-06-2021	No	NA	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required	
IP5.7	To impose cluster pollution responsibility conditions in the Consent to Operate of brick kilns in the clusters after due consultation with brick kilns operators	The cluster pollution responsibility condition in the CTE of brick kilns shall be imposed at the time of granting CTE of brick kilns	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required	
IP11	Control of air pollution from generator sets													
IP11.1	Allow only DG sets meeting emission and design of chimney/ exhaust, acoustic enclosures standards to operate	DG Sets permitted only for emergency services under GRAP. Compliance with regard to acoustic enclosure and stack height verified at the time of CTOs	Regular Activity	Regular Activity	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required	
IP11.2	Curtail use of DG Sets in social events by providing temporary electric connections and uninterrupted power supply	No DG Sets permitted under GRAP	Regular Activity	Regular Activity	NO	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required	

IP12 Control of air pollution from waste incineration													
IP12.2	Implement CEMS for incinerators and provide data on emissions on an open platform	CEMS installed on 01 operational incinerator in Meerut	Completed	Completed	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP13 Renewable Energy													
IP13.2	Identify and target commercial and industrial establishments for installation of rooftop solar system	0.4 MW connection per year are installed	2 MW	31-03-2025	No	0.4 MW	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP13.4	Organise consumer outreach programme for rooftop solar programme	Seminar and Meeting are planned	40 NO. Seminar/Meeting To be organised along with Lectures and Literature, & refreshment to all related targeted groups/consumers.	31-03-2025	No	40 NO. Seminar/Meeting To be organised along with Lectures and Literature, & refreshment to all related targeted groups/consumers.	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

IP14	Accelerate the technological transformation of enterprises and improve their technological innovation capabilities												
IP14.1	Establishment of Knowledge Centre for promotion of technological transformation for desulfurization, denitrification, efficient dust removal, volatile organic compound control, diesel engine (vehicle) emission purification, environmental monitoring, and new energy vehicles, smart grids, etc.	NKN	Establishment of Knowledge Centre with the help of Educational Institute /Consultancy Firms	31-08-2021	No	Establishment of Knowledge Centre with the help of Educational Institute /Consultancy Firms	Number	No	Nil	Demand Raised under 15 FC	Demand Raised under 15 FC	Demand Raised under 15 FC	122.1 Lakh for (5 years)
IP14.2	Conduct clean production audits on key industries such as Paper & Pulp, Sugar, Dying & Distillery sector, Slaughter house	Nil	Directions under section 5 of EPA 1986 shall be issued by UPPCB and compliance will be monitored.	31.06.2021	No	Directions under section 5 of EPA 1986 shall be issued by UPPCB and compliance will be monitored.	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

IP14.3	Promote Circular Economy- Encourage the development of industrial clusters, implement circular transformation, promote energy cascade utilization, water recycling, waste exchange and utilization, and land conservation and intensive utilization and build circular industries system. Promote the co-processing of waste in industrial kilns and blast furnaces such as cement and steel. Vigorously develop the remanufacturing of mechanical and electrical products and promote the development of the resource recycling industry.	2469 Ton Plastic waste from paper and pulp industry in Meerut is used as Raw Material in cement industry in Ultra Tech, Rajasthan from July20- Feb-21	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	Report is attached as <u>Annexure IP11</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP14.4	Vigorously cultivate energy conservation and environmental protection industries	Activities will be taken up in coordination of Bureau of Energy efficiency, GOI	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Yes	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

6. Waste and Biomass Burning and Dumping

Action Point Code	Action Point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	**Attachment No.	Attachment Contents	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
BB 1	Biomass Burning												
BB 1.1	Regular check and control of burning of municipal solid wastes	Dedicated GRAP enforcement teams work constituted during GRAP in the district all field level officer have been directed to report burning in their areas. Penalties/FIR are being imposed accordingly in compliance of Hon'ble NGT orders 12 FIR has been lodged till now.	90 Wards	Regular activity	No	90 Wards	Number	Yes	List is attached as <u>Annexure WB1</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.2	Defaulters for open burning to be imposed fines	surprise inspections are being done by the dept and find the open burning sites penalties/fine has imposed and FIR is being lodged. Total 12 F.I.R. has been lodged till now.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	Yes	List is attached as <u>Annexure WB1</u>	Not required	Not required	Not required	Not required

BB 1.3	Identify Garbage burning locations	All inspectors have been instructed by the dept. to identify the garbage burning cases during the survey and action taken against defaulters time to time.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.4	Prohibition/complete ban on garbage burning.	All inspectors have been instructed by the dept. to identify the garbage burning cases during the survey and action taken against defaulters' time to time and panelise the fine or lodged FIR to prevent the garbage burning cases.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.5	Launch extensive drive against open burning of biomass, crop residue, garbage, leaves, etc.	Extensive drive for open burning is being done by the dept time to time and panelise the fine as well as lodged FIR against the defaulters.	Regular activity	Regular activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.6	Construction of advanced waste management Site.	Solid waste disposal site at village gawadikilla road Meerut has been developed.	1	Completed	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.7	Regular collection and control of municipal solid wastes.	169 vehicles of MNN collected the segregated waste door to door in its all wards however due to lack of proper scientific	90 wards	Regular activity	No	90 wards	Number	No	Nil	18 Cr.	18 Cr.	18 Cr.	Not required

		disposal site the dumping of waste is being done on temporary sites and segregating is being initiated.											
BB 1.8	Providing Organic Waste Compost machines, decentralization of processing of Waste, dry waste collection centres.	Two decentralised processing places has been identified 1 Naglatasi and 2 Rangoli mandap road of 150TPD.	2	31.03.2021	No	2	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.9	Awareness for controlling of burning of agricultural waste and crop residues.	Action plan for awareness Generation & IEC activities on crop residue management has been prepared by agriculture department for awareness on burning of Crop residue	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	Details are attached as <u>Annexure WB2</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.1 0	No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots.	No plots vacant at present but in future all open plots shall be planted of trees.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.1 3	Bioremediation/ bio-mining of legacy waste	3 Lakh MT of legacy waste already bio-remediate and 7 lakh MT of legacy waste is under process for bio-remediation.	7 lakh MT	31.03.2023	No	7 lakh MT	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

BB 1.1 4	Development and implementation of integrated door to door waste collection system with GPS mounted waste collection vehicles and mobile App to facilitate the households	169 vehicles collected the segregated waste door to door and enabled the all vehicles with GPS mounted and mobile app to facilitate the household up to 31.03.2021.	90 wards	31.03.2021	No	90 wards	Number	No	Nil	18 Cr.	18 Cr.	18 Cr.	Not required
BB 1.1 5	EPR compliance for plastic waste	At present plastic waste is being segregating by Nagar Nigam and handling over to waste to energy plant established by M/s Bijender energy partapur Meerut/ EPR shall be compliance for plastic waste generating/brand owner/producer/multi-layer packaging up to 31/3/2022.	15 TPD	31.03.2022	No	15 TPD	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 2	Ensure segregation of waste at source	Efforts is being made by the dept and ensure the segregation of waste at source. In this regard dept organize workshop or campaign at the colonies/wards level for awareness of household.	90 wards	31.03.2021	No	90 wards	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

BB 3	Proper collection of Horticulture waste and its disposal following composting-cum gardening approach	1-Govt. Nursery machri-3 2-Govt. Circuit House-3	6	Regular Activity	No	6	Number	Yes	List is attached as <u>Annexure WB3</u>	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 4	Recycling plants for dry waste.	One air blastic segregating machine has been installed at site of Gawri kila road meerut bearing capacity 150MTDand another is proposed at site of Lohiya nagar hapur road meerut and the project may be completed after the approval of govt may be up to 31.03.2022	1	31.03.2022	No	NA	Number	No	Nil	5cr	2cr	2cr	NA
BB 6	Check/stop on stubble burning	37 incidences of agriculture waste residue reports between 01-10-2020 to 09-12-2020 as per satellite imagery. FIR has been filed against 07 individuals and penalty of Rs 54000 imposed on defaulters	Zero stubble Burning	Regular Activity	No	Zero stubble Burning	Number	Yes	1. Action taken report attached as <u>Annexure WB 4</u> 2.Comprehnensive Action Plan prepared by Agri. Dept. <u>Annexure WB 5</u>	As per Action Plan	As per Action Plan	As per Action Plan	As per Action Plan

BB 10. 2	Adopt roadmap for zero landfill policy to promote decentralized waste segregation, reuse and recycling	Nagar Nigam Meerut has already adopted zero land fill policy where its inert is reused, compost is distributed to farmer and R.D.F. is supplied to waste to energy plant for electricity generation on P.P.P. Model.	Completed	Completed	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 11	Fire crackers— regulate to control their usage	By publishing public notice in daily addition newspapers UPPCB appeals time to time for not using fire crackers which are generating smokes the same is also being done by district administration. Movements and campaigns are regularly run by district administration and defaulters are being penalized too as per order of Hon'ble supreme court. Noise monitoring is carried out at different locations during the period	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

DF 1	Domestic Fuel												
DF 1.1	Increasing the LPG connections in low-income strata.	154872 LPG connections done under Ujjwala scheme	Regular activity	Regular Activity	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
DF 1.2	Ensuring promotion and use of cleaner fuel (i.e., LPG) instead of coal fired chulas or fire-woods in the hotels and open spaces	686443 gas connections	Completed	31.07.2020	No	Completed	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
DF 1.8	Implementation of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)	154872 LPG connections done under Ujjwala scheme	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
DF 1.9	Shift to LPG from solid fuel & kerosene for domestic applications	154872 LPG connections done under Ujjwala scheme	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Air Quality Data

Air Quality Data																		
Action Code	Action Point	Field type	Attachment	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Attachment Content
AQ1.1	Monthly averages for PM2.5(In µg/m3)	Number		119	102	54	59	59	43	25	19	46	161	174	184	-	-	
AQ1.2	Monthly averages for PM10(In µg/m3)	Number		201	193	130	159	169	120	70	45	108	310	324	303	330	287	
AQ1.3	Monthly averages for SO2 (In µg/m3)	Number		9.8	12.8	12.2	12.8	12.3	6.6	6.7	5.3	9.8	11.3	17.1	14.6	10.6	10.1	
AQ1.4	Monthly averages for NO2 (In µg/m3)	Number		50.2	33.0	22.9	20.6	24.7	20.5	15.3	9.3	19.0	37.8	59.6	53.7	60.6	63.5	
AQ1.5	Annual averages for PM2.5 (Inµg/m3)	Number		95														
AQ1.6	Annual averages for PM10 (In µg/m3)	Number		181														
AQ1.7	Annual averages for SO2 (In µg/m3)	Number		11.83														
AQ1.8	Annual averages for NO2 (In µg/m3)	Number		30.3														
AQ1.9	Monthly Meteorological Data		NA															

Note: Average of particular parameter of particular CAAQMS, there are 3 CAAQMS in Meerut

Meerut City Meteorological Data 2020							
Parameter	WS	WD	AT	RH	BP	SR	RF
Month	m/s	Deg	°C	%	mmHg	W/m ²	mm
January	1.68	140	13	83	741	57	104.9
February	0.69	167	18	66	741	81	41.8
March	0.62	160	23	65	741	105	82.3
April	0.62	167	29	44	741	122	0.0
May	0.65	194	32	47	741	129	113.5
June	0.59	222	33	65	741	124	109.5
July	0.58	214	32	81	741	107	544.5
August	0.57	225	31	84	741	97	445.0
September	0.54	166	32	73	741	108	20.0
October	0.50	135	28	48	741	91	0.0
November	0.52	158	21	59	742	69	14.3
December	0.59	158	16	67	742	62	1.7
Avg.	0.68	175	25	65	741	96	1477.5

MICROLEVEL PLANNING OF CITY ACTION PLAN- MEERUT

DEPARTMENT NAME: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Air quality monitoring network

Action point	Time Target	Implementation agencies
Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations)	15 days and thereafter as regular activity	UPPCB

Micro level planning

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Installation of CAAQMS in Meerut city	Details of total 02CAAQMS to be installed in Meerut given below:	Low	Rs. 200 lacs (CapEx) Rs. 200lacs (OpEx for 5 years) Total=400 lakhs	12 months from the receiving of Grant	NCAP/ XV-FC	Nil	Nil	Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB	Member Secretary, UPPCB
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>City</th> <th>No. of CAAQMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meerut</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>								
City	No. of CAAQMS								
Meerut	2								

Timelines for the project – Installation of CAAQMS in Meerut

Activity	Sub-activity	Timeline									Remarks
		*Sept 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22			
Prebidding stage	Preparation of tender document										Subjected to Fund Released from XV-FC
Bidding stage	Calling of bids & its approval										
	Release of work order										
Project execution	Procurement of CAAQMS										
	Selection of location										
	Installation of CAAQMS										
	Connecting CAAQMS to the online CPCB server for real time monitoring										
	Calibration of CAAQMSs										Regular Activity

*Expected timeline, may be varied with respect to receiving of funds.

Mechanism for Monitoring, Review and reporting

Key performance indicators	Performance assessment		Reasons for delay in completion	Steps taken to minimize the delay
	Parameter	Details		
Timely completion of activities	Procurement			
	Installation			
Operation of the CAAQMS	Total parameters analysed			
	No. of non-operation days			
	Calibration of CAAQMSs			
Data availability and usage	Setting public alerts when pollution is high			
	Data availability on public domain through SAMEER App			
	Trend analysis of level of pollutants over a period of time			

Annexure-CB-2

Knowledge and database augmentation – Source apportionment studies (Monthly)

Action point	Time Target	Implementation agencies
Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment	3 years(after receiving of funds from CPCB/MoEF&CC)	UPPCB

Micro level planning

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Comprehensive SA /CC study for Meerut								Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB	Member Secretary, UPPCB

Timelines for the *Comprehensive SA/EI* study for Meerut(Expected timeline depending on the receiving of funds)

Activity	Sub-activity	Timeline						Remarks
		Sept 21	Oct 21- Sep 22	Sept 22- Feb22	Mar 22 – Jul 23	Aug -Oct 23	Nov 23	
		25%		25%	25%	25%		
Proposal stage	Release of work order							
Project execution	Data collection for emission inventory							
	Preparation of emission inventory							
	Procurement & establishment of monitoring stations							
	Sampling & Analysis							
	Dispersion & Receptor modelling							
	Data interpretation & compilation , Draft Report							
	Final report preparation & submission							
Presentation & discussion on the submitted report								

Timelines for the Comprehensive CC study for Meerut (Expected timeline depending on the receiving of funds)

Activity	Sub-activity	Timeline					Remarks
		Sept 21	Oct 21- Jan-22	Feb22- Apr 22	May22- Jul 22	Aug22 - Oct22	
		25%	25%	25%	25%		
Proposal stage	Release of work order						
Project execution	Data collection and compilation of monitored data for the 10 years						
	Preparation of emission inventory						
	Application of dispersion model						
	Literaturereview and protocol for CC						
	Data interpretation & compilation						
	Final report preparation & submission						
	Presentation & discussion on the submitted report						

* The studies are delayed as at IIT-Kanpur, both students and project staff were not available due to COVID-19 Pandemic.

Mechanism for Monitoring, Review and reporting (Monthly)

Key performance indicators	Performance assessment		Reason for delay in completion	Steps taken to minimize the delay
	Parameter	Details		
Timely completion of activities	Total operational activities		COVID-19 Pandemic.	
	Activities completed within timeline			
	Total time slippage w.r.t. original timeline			
Refinement of action plan based on recommendations of SA study	Addition & prioritization of action points as per the recommendations			
	Identification of hotspots & high impact sources on air pollution of the city			
	Micro planning & implementation for control of pollution due to high impact sources and of hotspots			
Monitoring	Impact on hotspots& high impact pollution sources due to focussed actions			

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

पत्रांक: 3081/PA/NA

दिनांक: 10 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में प्रदत्त गाईड लाइन्स के अनुसार मेरठ शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने तथा वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी (Monitoring) किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में City Level Implementation Committee का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 01. | जिलाधिकारी, मेरठ | - अध्यक्ष |
| 02. | नगर आयुक्त, मेरठ | - सह अध्यक्ष |
| 03. | क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी,
उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड मेरठ। | - संयोजक |
| 04. | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ | - सदस्य |
| 05. | अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ | - सदस्य |
| 06. | अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास परिषद, मेरठ | - सदस्य |
| 07. | अधीक्षण अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, मेरठ सर्किल | - सदस्य |
| 08. | प्रभागीय वन अधिकारी, मेरठ | - सदस्य |
| 09. | पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, मेरठ | - सदस्य |
| 10. | परियोजना निदेशक, (RTS)
Regional Rapid Transit System, मेरठ | - सदस्य |
| 11. | परियोजना प्रबंधक, नागर ईकाई, जल निगम, मेरठ | - सदस्य |
| 12. | परियोजना निदेशक, एन0एच0आई0, मेरठ | - सदस्य |
| 13. | परियोजना निदेशक, एन0एच0आई0, मुरादाबाद | - सदस्य |
| 14. | मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मेरठ | - सदस्य |
| 15. | जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ | - सदस्य |
| 16. | मुख्य अभियन्ता (निर्माण), नगर निगम मेरठ | - सदस्य |
| 17. | महाप्रबंधक (जल), नगर निगम मेरठ। | - सदस्य |
| 18. | नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मेरठ | - सदस्य |

समिति संयोजक द्वारा उक्त समिति के प्रत्येक बैठक के उपरान्त समीक्षा आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जायेगा। नगर में वायु प्रदूषण को रोकने तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिये समिति के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् है:-

1. वायु प्रदूषण करने वाले कारकों जैसे कचरे में आग लगाने, उपले जलाने, सड़क एवं पटरी पर भवन निर्माण सामग्री बिना ढकें रखने वालों पर, कोयले की भट्टी जलाने वालों पर, ऐसे प्रतिष्ठान जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलिप्त के चिन्हिकरण की कार्यवाही के साथ-साथ ऐसे मार्गों का चिन्हिकरण कर जो भाग कच्चा है अथवा ऐसे तत्वों से अच्छादित हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने में सहयोगी होते हैं, ऐसे स्थानों पर प्रतिदिन एस.टी.पी. के शोधित जल से पानी का छिड़काव किया जाना।
2. वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु मेरठ के एक्शन प्लान को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सूचना एकत्रित कर ससमय सूचना निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित किया जाना।
3. अपने विभाग से संबंधित सभी वायु प्रदूषण कारकों को चिन्हित कर प्रभावी कार्य कराया जाना।
4. समिति के समस्त सदस्यों द्वारा वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्य-योजना के अनुसार किये गये कार्यों की अपने-अपने विभाग की प्रगति आख्या बैठक में प्रस्तुत करना।

5. वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु मेरठ के एक्शन प्लान के अतिरिक्त अन्य उपायों व तकनीकों के संबंध में सुझाव देना तथा माइक्रो प्लान में आवश्यकता अनुरूप संशोधन प्रस्तावित करना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

lu 10/3

me ay

(के० बालाजी)
जिलाधिकारी,
मेरठ।

लिपि:— निम्नांकित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मा० आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, मेरठ/सह अध्यक्ष समिति।
6. समस्त संबंधित अधिकारीगण।

lu 10/3

me ay

जिलाधिकारी,
मेरठ।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक: 3080/पी०ए०-न०आ०/2021

दिनांक: मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

नगर की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ की कार्य-योजना के क्रम में नगर निगम, मेरठ द्वारा तैयार माइक्रोप्लान के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों/गतिविधियों को संचालित एवं मोनिटरिंग किये जाने के दृष्टिगत अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रकोष्ठ (Air Quality Management Cell) का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. अपर नगर आयुक्त - अध्यक्ष
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (नोडल अधिकारी) - सदस्य सचिव
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य
4. मुख्य अभियन्ता (निर्माण) - सदस्य
5. महाप्रबन्धक (जल) - सदस्य
6. जेड.एस.ओ., सूरजकुण्ड डिपो - सदस्य
7. सी.एस.एफ.आई., कंकरखेड़ा डिपो - सदस्य
8. सी.एस.एफ.आई., देहली रोड डिपो - सदस्य

उक्त समिति की बैठक नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सम्पन्न कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को समीक्षा आख्या उपलब्ध करायेगे। उपरोक्त समिति के कर्तव्य/उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे।

1. वायु प्रदूषण करने वाले कारकों जैसे कचरे में आग लगाने, उपले जलाने, सड़क एवं पटरी पर भवन निर्माण सामग्री बिना ढकें रखने वालों पर, कोयले की भट्टी जलाने वालों पर, ऐसे प्रतिष्ठान जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलिप्त के चिन्हिकरण की कार्यवाही के साथ-साथ ऐसे मार्गों का चिन्हिकरण कर जो भाग कच्चा है अथवा ऐसे तत्वों से अच्छादित हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने में सहयोगी होते हैं, ऐसे स्थानों पर प्रतिदिन एस.टी.पी. के शोधित जल से पानी का छिड़काव किया जाना।
2. वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु मेरठ के एक्शन प्लान को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सूचना एकत्रित कर ससमय सूचना निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित किया जाना।
3. अपने विभाग से संबंधित सभी वायु प्रदूषण कारकों को चिन्हित कर प्रभावी कार्य कराया जाना।
4. समिति के समस्त सदस्यों द्वारा वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्य-योजना के अनुसार किये गये कार्यों की अपने-अपने विभाग की प्रगति आख्या बैठक में प्रस्तुत करना।
5. वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु मेरठ के एक्शन प्लान के अतिरिक्त अन्य उपायों व तकनीकों के संबंध में सुझाव देना तथा त्रैमासिक प्रक्रिया को तैयार करना।
6. समीक्षा के आधार पर माइक्रो प्लान में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मनीष बंसल)

नगर आयुक्त,

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर नगर आयुक्त।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
4. गार्ड फाईल

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

Establishment of mobile enforcement units in million plus cities for control of Air Pollution

As pressure on air quality increases, flexible and dynamic techniques are required to understand variation in air quality. New mobile air quality monitoring techniques are allowing us to intensively describe air quality, rather than relying on fixed sites to provide a representative picture of air quality. Mobile monitoring allows more opportunity to assess air quality in an area, using temporary sites which can be moved around multiple locations.

Broadly, mobile air quality monitoring involves deploying instruments for a short period at a temporary location, before moving them to another location. These deployments may be as short as a few hours or a few days. Often instruments are mounted in or on a vehicle, in a trailer or mounted temporarily. Regardless of the deployment, the site is treated as temporary, and the instrument is moved after a short period. Mobile monitoring can be a useful for assessing where to locate fixed sites in order to measure the highest concentrations of pollutants and maximize the value of the network. For example, let's say you want to understand the characteristics of a small area – mobile monitoring allows intensive, small scale campaigns which enable detailed understanding of local air quality. Mobile monitoring can often work out cheaper than fixed monitoring.

The vehicles for mobile enforcement unit will be used in enforcement purposes for taskforce constituted to control of Air Pollution. It will be helpful for the monitoring of implementation of city action plan for the control of air pollution. Therefore, three mobile enforcement units equipped with GPS (Global Positioning System) proposed in each million plus cities (Agra, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Meerut, Prayagraj, Varanasi).

S.No.	Name of City	Present Status of Mobile Enforcement Units by Board under NCAP*	Proposed Mobile Enforcement Unit
1	Agra	2	3
2	Ghaziabad	-	3
3	Kanpur	3	3
4	Lucknow	4	3
5	Meerut	-	3
6	Prayagraj	3	3
7	Varanasi	3	3

* Beside above department i.e. Agriculture, Nagar Nigam, Development Authority etc. has also been established the taskforce for the implementation of GRAP for control of air pollution.

Action Taken Report of Meerut City upto 16.03.2021

a) Enforcement

S. No.	Air pollution sources	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action taken					
					Notices	Cases referred for fine under NGT Act.	Fine imposed	Fine collected (in Rs.)	Show cause notice	No. of Closures done
1.	Industrial activity	3	470	56	44	21	5400000	0	1	22
2.	Open burning • Municipal • Biomass	3	368	107	7	0	0	0	0	0
3.	Dust from Building Construction projects/ Highways/ Building materials	3	219	24	0	14	0	0	4	0
4.	Dust from Construction & Demolition Activities	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Air Pollution from Brick Kilns	3	335	1	0	0	0	0	0	0
6.	Visible Polluting Vehicle	0	0	379	0	0	280000	0	0	0
7.	Old Polluting Vehicle	0	0	288	0	0	920000	0	0	0
Total		12	1392	855	51	35	6600000	0	5	22

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C.

From,

Sudhir Garg,
Principal Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

Member Secretary,
National Disaster Management Authority,
NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave,
New Delhi - 110029.

**Environment, Forest &
Climate Change Section-7,**

Lucknow : Dated: 22-December, 2020

Sub:- Compliance of order of Hon'ble National Green Tribunal dated 20.11.2019 passed in O.A. No. 681/2018 in the matter of News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15" reg.

Dear Sir,

Please refer to the captioned order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 vide which it was directed that the emergency arising out of severe air pollution levels may be treated as a disaster and an Emergency Response System may be developed accordingly. The relevant operative portion of the order dated 20.11.2019 is reproduced below-

".....27. With regard to finalization of Emergency Response System (ERS), we are of view that the State Disaster Management Authorities in coordination with the SPCBs/PCCs and State Units of Meteorological Departments may include emergency as a part of disaster management and develop ERS accordingly which may be placed in public domain."

In order to ensure compliance of this order, Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a direction under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 18.02.2020 to Uttar Pradesh Disaster Management Authority (UPSDMA) for development of Emergency Response System. The matter was also reviewed by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh on 02.12.2020 in which UPSMA submitted that the guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS have not been issued by the apex body namely National Disaster Management Authority (NDMA). It was decided in the said meeting dated 02.12.2020 that a request letter for issuance of the required guidelines may be sent to NDMA, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India.

Therefore, it is requested that the Guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS accordingly may kindly be issued at the earliest so that the necessary steps may be taken up by the State for compliance of orders of Hon'ble NGT.

Yours Sincerely,

(Sudhir Garg)
Principal Secretary.


CEO (Lab)
FPI/1000
22-12-2020
(आशीष तिवारी)
गदरस्य सचिव

SA(S)
25/12/20
CEO

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C., Dated.

Copy: For taking up necessary action for issuance of guidelines to-

1. Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jorgabh Road, New Delhi – 110003.
2. Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 10032.
3. Member Secretary, UP State Disaster Management Authority, Picup Bhawan, B-2 Ground floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010.
4. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.


(Sudhir Garg)
Principal Secretary.



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Public Awareness & Engagement Calendar FY - 2021-22

S. No.	Date	Theme/Issue	Organizing Department/Agency	Target Group	Source of Funding
1	April-June 2021	Clean Environment Hackathon, 2021 (Online Hackathon for moonshot awareness campaign tool to help people to assess environmental impact of their lifestyle, thereby coaxing them to reduce their environmental footprints.)	UPPCB	Students & Professionals	UPPCB/CSR Funds
2	April 2021- March 2022	Paryavaran Prahari Programme for orientation of people on various environmental issues by involving them in IEC activities	UPPCB	All Citizens	UPPCB Funds
3	22 nd April, 2021	World Earth Day – Restore Our Earth	Madhyamik Shiksha/Basic Education & Industries	Class 1 – 12/ Industries	Departmental Funds & CSR Funds
4	5 th June	World Environment Day – Ecosystem Restoration	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	Schools/Colleges/ RWAs /Industries	Government Funds & CSR funds

S. No.	Date	Theme/Issue	Organizing Department/Agency	Target Group	Source of Funding
5	1 st July – 7 th July, 2021	Van Mahotsav (Plantation Drives)	All Departments/Agencies/Industries and Individuals	Schools/Colleges/RWAs/Industries/Government Departments	Government Funds & CSR funds
6	16 th September, 2021	World Ozone Day - Ozone: All there is between you and UV	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	Schools/Colleges/RWAs/Industries	
7	20 th September – 23 rd September, 2021	PUC Awareness Drive	Transport Department UP	All Stakeholders	Departmental Funding
8	24 th September, 2021 – 30 th September, 2021	Graded Response Action Plan Awareness Workshop	UPPCB & District Environment Committee	All Stakeholders	UPPCB Funds
9	1 st October, 2021	C&D Waste Management Awareness Workshop	Urban Development Department	CREDAI/Builders/Contractors	Departmental Funding
10	2 nd October, 2021	Solid Waste Management – Engaging Ragpickers and Society	Urban Development Department	RWAs/Rag pickers/Waste Warriors	Departmental Funding
11	October, 2021 – Every Saturday	Plogging: Plog-a-thon	UPPCB	RWAs/Industries/Institutes/Schools	

S. No.	Date	Theme/Issue	Organizing Department/Agency	Target Group	Source of Funding
12	25 th October, - 29 th October, 2021	Fire Crackers Awareness Campaign	Higher/Madhyamik/Basic Education Department & District Environment Committee	Schools/Colleges/ RWAs	Departmental Funding
13	11 th January – 17 th January, 2022	Road Safety Awareness – Traffic Management & Air Pollution	Transport Department & Traffic Police	All Stakeholders	Departmental Funding
12	24 th January, 2022	Circular Electronics Day – Electronic Waste Awareness Workshop	UPPCB	All Stakeholders	UPPCB & CSR Funds
13	2 nd February, 2021	World Wetland’s Day Awareness Programme	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	All Stakeholders	Departmental & CSR funding

Note: Complete Programme details to be made available on www.uppcb.com a month in advance

Annexure PO2**Redressal status of complaints received on Sameer App in Meerut**

Action Point Code	Remarks							
Public Outreach								
PO 2.1	Redressal status of complaints received on Sameer App							
	From: 01-01-2018 To: 15-03-2021							
	PGRS	Area	Agency	No of Complaints Received	No of Complaints Resolved (%Resolved)		No of Complaints Not Resolved (%Not Resolved)	
					Number	%	Number	%
	Sameer App	Meerut	MC, Meerut, nnmeeup@nic.in, Meerut	87	80	(92%)	7	(8%)
			VC, Meerut, mdameerut@rediffmail.com, Meerut	6	6	(100%)	0	(0%)
			RO, Meerut, romeerut@gmail.com, Meerut	156	144	(92%)	12	(8%)
			DAO, Meerut, Meerut	1	1	(100%)	0	(0%)
			, Meerut	1	1	(100%)	0	(0%)
		Total		251	232	(92%)	19	(8%)
<ul style="list-style-type: none"> The software architecture of Sameer App for disposal of complaints outside the NCR has not been fully developed by CPCB owing to which the complaints cannot be received and disposed online by the concerned departments. A request letter has been sent to CPCB on 26.11.2020 to restrict the receiving of the complaints in non-NCR region of Uttar Pradesh until the software architecture is developed to address the complaints online by the concerned departments. A reminder letter has been sent to CPCB on 11.12.2020 for the restructuring of Sameer App and incorporation of implementation agencies so that the concerned implementation agencies should receive the complaints in real time and upload the action taken report directly. It is relevant to mention that at present the App is designed for NCR region only in which online assigning and ATR uploading facility by the responsible 								

departments are not available.

- As per the request of CPCB, the JSON file of 8 NCR districts: Baghpat, Bulandshahar, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Hapur, Meerut, Muzaffarnagar, and Shamli has been provided from UPPCB on 11.02.2021 and again forwarded on 16.02.2021
- In the District Environmental Committee (DEC) meeting held on 12.02.2021, it has been directed to the concerned departments in Ghaziabad for the disposal of complaints received on Sameer app by assigning complaints to the concerned departments through their user ID and password provided from the Uttar Pradesh Pollution Control Board Regional Office, Ghaziabad. Disposal of complaints should be taken in 72 hours has also been assured from the concerned departments.
- The Swachh Vayu App is fully functional for receiving and addressing the public complaints in all NACs of UP. Request was also put up by UPPCB regarding integration of Swachh Vayu App with the Sameer App so as to enable a unified Public Grievances Redressal Portal as directed by Hon'ble NGT in the 4th Meeting of Implementation Committee of NCAP dated 18.12.2020 in which decision has been taken up by CPCB for the same. **CPCB is requested to do the needful expeditiously.**
- For the integration work a discussion meeting through VC was conducted on 16.02.2021 between the Sameer App team form CPCB and Sameer App Nodal. The integration work is under process.

क्र०सं०	नाले का नाम
1.	आबू नाला प्रथम-बेगब्रिज से काली नदी तक
2.	आबू नाल द्वितीय-खटकाना पुल (कसेरुखेडा) से गोकुलपुर काली नदी तक
3.	नाला बच्चापार्क-थापर नगर पुलिस चौकी से गढ़ रोड़ की पुलिया तक
4.	नाला चिन्दौडी-काली नदी से हापुड़ रोड़ की पुलिया तक
5.	नाला हापुड़ रोड़ की पुलिया से सूरजकुण्ड बडे नाले तक
6.	गुर्जर चौक काजीपुर से काशीराम आवास बडे नाले तक
7.	रूडकी रोड़ रेलवे पुल से कृष्णा नगर/डौरली होते हुए लावड रोड़ तक
8.	बाईपास बेस्टप्राईज के पीछे से नंगलाताशी लाला मौहम्मदपुर होते हुए शराब मिल्स रेलवे रोड़ पुलिया तक
9.	बनिया पाडा पुलिस चौकी से भुमिया के पुल तक
10.	फिलमिस्तान का नाला
11.	ओडियन नाला
12.	छतरी पीर से किशनपुरी पुलिया तक कोटला नाला
13.	टी०पी० नगर से चन्द्र देवी द्वार तक
14.	सब्जी मण्डी से नई बस्ती

Annexure RD 2

पैच मरम्मत कार्य

क्रम सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	कुल लम्बाई	निमित्त लम्बाई
1	2	मलियाना में बागपत रोड से इस्लामनगर कब्रिस्तान तथा ट्रांसफार्मर से मायड़ी चौक तक मोड़याना में रोड गावड़ी चौक से दिल्ली रोड रेलवे लाईन तक अम्बेडकर पार्क से राजवाले की पट्टी तक सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में डेन्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	2100	2100
2	4	शास्त्रीनगर ई-ब्लाक एच भयूर विहार, घणव्यपुरी मुख्य मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पैच मरम्मत का कार्य।	700	700
3	9	कासमपुर रेलवे फाटक से मार्शल भिन्न तक डेन्स द्वारा पैच का कार्य।	1800	1800
4	19	दासपुर मुख्य मार्ग पर एनएच-58 से राइजरी समिति तक डेन्स द्वारा पैच का कार्य।	900	900
5	21	ककरखंडा डिपार्च एम्बेड ब्लॉक ए एच ब्लॉक की प सेन्ट्रल पाल पोलिक्ल स्कुल से अम्बेडकर रोड तक डेन्स द्वारा पैच का कार्य।	1500	1500
6	26	शास्त्रीनगर सी-07 कुटी रोड पर जी-ब्लाक में पैच मरम्मत का कार्य।	1500	1500
7	35	दिल्ली रोड से कमलानगर को जाने वाले गुरुनानकनगर में सड़क पर पैच मरम्मत का कार्य।	600	600
8	42	रत्न रोड चौराहे से जैननगर शिव मन्दिर तक पैच मरम्मत का कार्य।	750	750
9	81	इयानगर मुख्य मार्ग पर दिलदार डेरी से भारत प्रोपर्टीज तक खडजा लगाने का कार्य।	2000	2000
10	88	रयानगर रोड पर मदरसा फातिमा उल हाता से डा0 इमरान खान, मजीद मार्केट से गट्टे वाली मरिजद, शमशद बिल्डिंग गेटेरियल के सामने गिट्टी गराव करके खडजा लगाने का कार्य।	2000	2000
11	38, 22	सहटा रोड से विजयपुर हार्ने हुए अश्ली शिव चौक तक एच ब्लॉक-22 रोड रोड से गोलाबद सांघुयाधिक केन्द्र तक तथा रागाधर के घर के सामने की क्षतिग्रस्त सड़क पर डेन्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	1600	1600
12	10	सरतापुर महारानी रोड, वार्ड-39 शारदा रोड, वार्ड-48 नयाचपुरी में एम्बेडकर पार्क के सामने व वार्ड-78 बुधना गेट के पास चिन्नी की दुकान के पास डेन्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	5600	3600
13	55	फतहउल्लापुर में झोड के पास फलक घर्मकट के सामने इन्टरलाकिंग टाइल लगाने का कार्य।	1000	400
14	6	कुण्डा रोड एच मुंडा रोड मुख्य मार्ग पर डेन्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	4700	
15	7	एकतानगर में भाला मुख्य रोड पर डेन्स द्वारा पैच का कार्य।	1200	
16	16	मंगलवाण्डयनगर में नाला पट्टी पर डेन्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	900	
17	20	ककरखंडा नाले के किनारे वाली सड़क पर डेन्स द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	1250	
18	37	गंगानगर में मवाना रोड से गंगारागर तक एफ-ब्लाक वाली सड़क पर पैच मरम्मत का कार्य।	2500	
19	63	शास्त्रीनगर एल-ब्लाक में एल-89, एल-995, एल-1349, एल-1459, एल-1765 के सामने पैच रिपेयर का कार्य।	1200	
20	18, 45	जागृति विहार सी-04, 05, 06 एच 09 में पैच मरम्मत का कार्य।	2000	
		योग-	35800	18450

क्र.सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	सड़क का स्वामित्व
1.	दिल्ली रोड पर सोतीगंज से परतापुर तिराहे तक	10.5	लोक निर्माण विभाग
2.	बेगमपुर से विजली बम्बा बाईपास नगर निगम की सीमा तक	7.50	एन०एच०ए०आई०
3.	फुटबॉल चौक से लेकर एन०एच० 58 बाईपास तक (बागपत रोड)	4.50	एन०एच०ए०आई०
4.	वार्ड 07 ग्राम सोफीपुर से पल्हैडा तक	7.00	एन०एच०ए०आई०
5.	परतापुर से लेकर सुभारती होते हुए मोदीपुरम तिराहे तक	15.00	एन०एच०ए०आई०
6.	जीरो माईलस से लेकर कमिश्नरी चौक होते हुए रजपुरा तक (मवाना रोड)	6.50	एन०एच०ए०आई०
7.	एल-ब्लॉक तिराहे से लेकर तेजगढ़ी चौराहे तक	2.50	आवास एवं विकास परिषद्
8.	रोहटा रोड रेलवे फलाई ओवर से एन०एच०-58 तक रोहटा रोड होते हुए नगर निगम सीमा तक	4.00	लोक निर्माण विभाग
9.	संजय नगर की पुलिया से नगर निगम की सीमा अब्दुल्लापुर तक (किला रोड)	2.50	लोक निर्माण विभाग
10.	जेलचुंगी चौराहे से तेजगढ़ी चौराहे तक	2.00	लोक निर्माण विभाग
11.	हापुड़ अड्डे से काली नदी तक (गढ़ रोड)	6.00	लोक निर्माण विभाग
12.	कसेरुखेडा से राजपुरा तक (मवाना रोड)	3.00	लोक निर्माण विभाग
13.	डी०एन० कॉलिज से छतरी पीर तक बुढाना गेट, इन्दिरा चौक	4.00	नगर निगम, मेरठ
14.	मैट्रोप्लाजा से भूमिया पुल हापुड़ रोड तक	3.00	नगर निगम, मेरठ
15.	एस०एस०पी० कार्यालय, कमिश्नरी से पाण्डवनगर जेलचुंगी रोड से किला रोड तक	2.00	नगर निगम, मेरठ
16.	ओलिया तिराहे बैजल भवन से एस०एस०पी० आवास होते हुए सिविल लाईन से जेलचुंगी चौराहे वार्ड 50 तक	5.00	नगर निगम, मेरठ।
17.	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आर०टी०ओ० ऑफिस होते हुए हापुड़ रोड तक	3.0	लोक निर्माण विभाग
18.	मवाना रोड गंगानगर निगम डिवाइडर से आई०आई०एम०टी० तक	3.00	नगर निगम, मेरठ
19.	गांधी आश्रम चौराहे से मा० महपौर कार्यालय होते हुए मोहनपुरी पुलिया होते हुए स्पोर्ट्स मार्केट से हापुड़ रोड तक	3.00	नगर निगम, मेरठ।
कुल सड़क की लम्बाई		94 कि०मी०	

कच्ची सड़को की सूची

क्रम सख्या	वार्ड स0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि करोड में	लम्बाई किमी में
1	1	दिल्ली/हापुड रेलवे फाटक से पार्चा चौक होतु हुए रेलवे लाईन तक	1.2	1.5
2	2	गंगा कालोनी/मलियाना की मुख्य सड़क	1.5	2
3	11	शिवपुरम में कच्ची सड़क	1	1.5
4	12	शोभापुर की मुख्य सड़क व शोभापुर की कच्ची गलियां	0.7	0.6
5	15	शेखपुरा की मुख्य सड़क व शेखपुरा व मोक्षपुरी की कच्ची सड़के	1.2	1.2
6	22	गगन विहार की मुख्य सड़क	0.4	0.4
7	22	नन्द विहार की कच्ची सड़कें	0.35	0.3
8	22	संगम विहार की मुख्य सड़क	0.6	0.5
9	25	खटीकपुरा की कच्ची सड़कें	0.5	0.3
10	35	ट्रान्सपोर्टनगर की मुख्य सड़क	3.5	1.9
11	38	पठानुपुरा व रामपुर पावटी की कच्ची गलियां	1.5	0.6
12	22, 38, 15	52 फुटा रोड का निर्माण	2.5	1.1
13	6	दिल्ली रोड पर मोहकमपुर औधोगिक क्षेत्र फेस-1 मोहकमपुर एन्कलेव में स्टैण्ड से ओसवाल रबर पंचवटी होते हुए प्रयोगशाला पावर स्टेशन तक नाली व डैन्स कार्य।	3.66	1.55
14	6	दिल्ली रोड पर मोहकमपुर औधोगिक क्षेत्र फेस-1 मोहकमपुर एन्कलेव में अमर उजाला से इण्डियन गैस, ए0के0 इन्डस्ट्रीज होते हुए बरखा सौफरस तक तथा अरोडा टैक्स्टाईल्स वाली गली में नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	1.24	0.612
15	6	दिल्ली रोड मोहकमपुर फेस-2 में अवशेश सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.32	0.15
16	6	मोहकमपुर स्पोर्ट कोम्पेक्स में इलैक्ट्रॉनिक इन्डस्ट्रीज से शंकर डोरी उधोग तक व गलीनं0-1,2,03,4, 5,6,7 में नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2.09	0.931
17	6	दिल्ली रोड पर मोहमपुर सरस्वती औधोगिक क्षेत्र में मेरठ होजरी वालीगली एवं अका कौमिकल फैक्ट्री से एच0आर0एस0 कं0 पैन्चर कौबिकेसन होते हुए मुख्य रोड तक पार्क के तीनों साईड में नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	1.4	0.54
18	34	दिल्ली रोड पर साईपुरम औधोगिक क्षेत्र में गली नं0-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 एवं 14 की गलियों में नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	3.94	1.85

19	28	उधोगपुरम औधोगिक क्षेत्र में स्टैग इन्डस्ट्रीज से इण्डियन कोप साइंस प्रा०लि० होते हुए सी-19 जे०एस० टैक्नो सेम प्रा०लि० तक नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2.76	0.55
20	28	उधोगपुरम औधोगिक क्षेत्र में ए०सी०आई टैक्नोलोजी से विधुत वितरण निगम, महादेव काम्प्लेक्स तक नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2.78	0.55
21	28	उधोगपुरम औधोगिक क्षेत्र में डी-60 स्वीलिंग स्पोट तक व ई-29 से ई-46 तक नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	3.64	0.75
22	6	कुण्डा इन्डस्ट्रीज एरिया तक नमक गोदाम से राकेश जैन होते हुए तेलल गोदाम तक नाली एवं खडंजे का निर्माण कार्य।	0.88	0.6
23	6	रेलवे फाटक कुण्ड से एफ०सी०आई० गोदाम तक एकसाईड में आर०सी०सी० नाला एवं सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	1.47	0.4
24	10	अच्छरोडा में फोजी सेक गजराज सिंह, भगवती स्कूल से शमरतन, हरेन्द्र सिंह से लक्ष्मी शरण तक एवं सहायक गणियों में नाली व सड़क निर्माण कार्य।	0.63	0.718
25	48	माधवपुरम में नूरनगर मुख्य मार्ग से निधि टैन्स हाउस तक डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.33	0.28
26	6	मंगतपुर रोड से चमन, रमेश प्रधान होते हुए पिन्टू के मकान तक टाईल्स द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.32	0.32
27	28	इन्दिरापुरम सुभाष त्यागी से अशोक के मकान तक एवं वत्स मैडिकल स्टोर से पाईप फैक्ट्री तक नाली व सड़क निर्माण कार्य।	1.53	0.872
28	10	शंकरनगर फेस-1 की गलियों में नाली व सड़क निर्माण कार्य।	1.68	1.686
29	6	दिल्ली रोड मेला फलाई ओवर स जी०जी० फार्म हाउस तक डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	0.24	0.285
30	75	मदीना कालोनी की मुख्य सड़को पर नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	0.55	0.624
31	10	मा० शिवनगर कताईमिल की गलियों में नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	0.5	0.65
32	75	लिसाडी रोड पर सलीम सब्जी वो से अकबर पब्लिक स्कूल तक नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	0.56	0.47
33	75	शाहजहा कालोनी मुख्य मार्ग पर नाली व इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	0.9	0.61
34		अम्बेडर द्वारा लाला मोहम्मदपुर तक साईड पटश्री	0.38	1.8
35	7	रेलवे लाई कृष्णानगर से लावड रोड तक डैन्स कार्य।	1.21	2.5
36	9	मार्शल पिच चौराहे से डिस्टलरी रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण कार्य।	1	1.8

37		दायमपुर मुख्य मार्ग एन0एच0-58 से सोसायटी तक साईड पटरी का निर्माण कार्य।	0.27	0.6
38	19	डाबका मुख्य मार्ग एन0एच0-58 से रजवाहे के पुल तक साईड पटरी	0.62	1.4
39	27	पल्लवपुरम फसे-1 एन.एच.-58 से पारसनाथ चौक तक डैन्स व साईड पटरी का निर्माण कार्य।	2	0.9
40	27	पल्हैडा चौपला से ए0आइ0सी0 आफिस तक डैन्स एवं साईड पटरी का निर्माण कार्य।	0.6	0.7
41	57	पल्लवपुरम फस-।। में एन0एच0-58 से वाणी स्कूल तक डैन्स रोड एव साईड पटरी का निर्माण कार्य।	2	0.9
42	40	रामकुमार गेट से जटौली तक साईड पटरीर निर्माण काग्र।	0.8	2
43		एन0एच0-58 से लाला मौहम्मदपुर आर्मी क्षेत्र तक साईड पटरी का निर्माण कार्य।	0.54	1.2
44	58	गांधी आश्रम चौराहे से लेकर हंस चौराहे होते हुए बडे नाले तक डैन्स एवं साईड पटरी का निर्माण	0.45	0.9
		योग-	56.24	41.598

नगर निगम, मेरठ।

क्र० स०	वार्ड स०	कार्य का विवरण	आगणन जी०एस०टी० व सेस सहित	लम्बाई (मीटर में)	औसत चौड़ाई (मीटर में)	अभियुक्ति
1	28	वार्ड-28 उद्योगपुरम औद्योगिक क्षेत्र में एक्यूरेट ग्लास से स्टीग इन्डस्ट्रीज होते हुए इण्डियन क्रोम साईस प्रॉलि० तक नाली, साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	14725166	360	18.00	स्थल पर कच्चा है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के समय में जल भरव की स्थिति हो जाती है। व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थल पर भारी वाहनो के आवागामन के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण अधिक होता है। प्रदूषण की दृष्टि से सड़क निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
2	6	दिल्ली रोड पर मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र फेस-1 मोहकमपुर एकनलेव में तिरुपति होटल से पावर स्टेशन होते हुए बालाजी स्टील तक, प्रवीन बैट्री से महेश वाटिका, पंचवटी प्रयोगशाला होते हुए ओसवाल रबर तक एवं सहायक गलियों में नाली व डैन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	25716641	960	12	स्थल पर कच्चा है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के समय में जल भरव की स्थिति हो जाती है। व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थल पर भारी वाहनो के आवागामन के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण अधिक होता है। प्रदूषण की दृष्टि से सड़क निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
3	6	मोहकमपुर स्पॉट काम्प्लेक्स में इलेक्ट्रो इन्जीनियर्स से शंकर डोरी उद्योग तक व सहायक गलियों में नाली, साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स व डैन्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	19643300	703	12	स्थल पर कच्चा है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात के समय में जल भरव की स्थिति हो जाती है। व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थल पर भारी वाहनो के आवागामन के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण अधिक होता है। प्रदूषण की दृष्टि से सड़क निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
4	4	कुटी चौराहे से गुरु हरकिशन स्कूल तक डैन्स द्वारा सड़क निर्माण एवं साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	6000000	205	9+3=12 M	इस मार्ग पर मा० सांसद जी का आवास है। यह सड़क क्षतिग्रस्त है तथा साईड पटरी कच्ची है। साईड पटरी कच्ची होने के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण की दृष्टि से कार्य आवश्यक है।
5	60	वार्ड-60, विक्टोरिया पार्क पुल से गिरी डेरी होते हुए सम्राट हैविन वाली सड़क तक आवू नाले की पटरी की सड़क का सुधार कार्य।	14500000	1080	6+3+1=10	इस मार्ग नाले की साईड पटरी है तथा कई अस्पतालो को जोड़ती है। सड़क क्षतिग्रस्त है तथा साईड पटरी कच्ची है। साईड पटरी कच्ची होने के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से कार्य कराया जाना आवश्यक है।
6	60, 58	वार्ड-60, 58, गाँधी आश्रम से फुलबाग चौराहे होते हुए विक्टोरिया पार्क की पुलिया तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	17000000	880	10+2+2=14	यह मार्ग शहर का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर सूरजकुण्ड व फूलबाग कालोनी के मध्य में स्थित है तथा मा० महापौर महोदय का कैम्प कार्यालय भी इसी मार्ग पर स्थित है। व्यापारिक दृष्टि से भी इस मार्ग का प्रयोग होता है। मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है तथा साईड पटरी कच्ची है, साईड पटरी कच्ची होने के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से कार्य कराया जाना आवश्यक है।

7	81	लिसाडी रोड पर नूरनगर चौराहे से अन्जुम पैलेस तक सड़क पर डैन्स व साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	18899448	1000	12.00	सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, साईड पटरी कच्ची है। सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। इसीलिये कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य में सड़क पर डैन्स कार्य के साथ-साथ साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स कार्य प्रस्तावित है।
8	88	वार्ड-88, 76 श्यामनगर मुख्य मार्ग पर नाज क्राकरी सेंटर से दिलशाद गार्डन तक सड़क पर डैन्स का कार्य।	23748360	1850	7.10	सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। इसीलिये कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य में सड़क पर डैन्स कार्य प्रस्तावित है।
9	37	वार्ड-37, गगानगर से मुख्य डिवाइडर रोड पर हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुदृढीकरण एवं साईड पटरी एवं ग्रीन बैल्ट का निर्माण कार्य।	48206431	2200	30.00	सड़क की सरफेस क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा साईड कच्ची है। साईड पटरी कच्ची होने एवं सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। धूल के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से सड़क का सुदृढीकरण एवं साईड पटरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
10	50, 32	कमिश्नरी आवास चौराहे से जेलचुंगी तक सड़क की साईड पटरी एवं ग्रीन बैल्ट क निर्माण कार्य।	24697144	2200	8+8=16	सड़क की साईड पटरी कच्ची है प्रश्नगत मार्ग मुख्य मार्ग होने के कारण आवागमन अधिक रहता है। जिसके कारण साईड पटरी पर धूल उड़ती है, धूल के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से साईड पटरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
11	22, 25, 38, 12	रोहटा रोड की सड़क के दोनों ओर कच्ची साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	31753000	6000	2.90	सड़क का सी0सी0 द्वारा निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा करा दिया गया है। परन्तु साईड पटरी कच्ची होने के कारण सड़क पर धूल उड़ती है। पर्यावरण की दृष्टि से कराया गया जाना आवश्यक है।
12	15, 02, 35, 42	बागपत रोड की सड़क के दोनों ओर कच्ची साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	50420619	7000	3.00	सड़क का सी0सी0 द्वारा निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा कराया जा रहा है। परन्तु साईड पटरी कच्ची होने के कारण सड़क पर धूल उड़ती है। पर्यावरण की दृष्टि से साईड पटरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
13	15	वार्ड-15 मौ0 शोखपुरा/मौक्षपुरी में नव निर्मित नाले के किनारे शोवान की चक्की, आनिल के मकान से प्रमु के मकान से आगे तक इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	16950000	1100	6.00	कार्य स्थल पर बागपत रोड पर बने नाले के तल के अनुसार पीछे के भाग में नाले का निर्माण कराया गया है, जो भेतल से ऊँचा होने के कारण पूर्व की सड़क नीची हो गयी है। जिनमें बरसात में जल भरवा होगा। नाले का निर्माण हो चुका है। जिसके बराबर में नाले के लेबिल के अनुसार सड़क को उच्चिकरण कर निर्माण कार्य कराया जाना है।
14	75	शाहजहा कालोनी मुख्य मार्ग पर हाजी मईनुददीन किराना स्टोर से समर गार्डन 60 फुटा रोड तक नाली एवं इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	9628834	610	7.00	मौके पर सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त/कच्ची एवं नीची है। नालियां पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। जनहित में कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।
		योग-	321888943	26148		

Annexure RD6

नगर निगम अन्तर्गत सड़को के मध्य डिवाईडर पर व सड़को के किनारे बनी हरित पट्टी की सूची

1. हनुपुड़ अड्डे चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक (3.5 किमी०)
2. मंगलपाण्डे नगर नाले के किनारे विक्टोरिया पार्क नाले तक (2.5 किमी०)
3. पेट्रोल पम्प से मेघदूत पुलिया मोहनपुरी नाले के किनारे (2.0 किमी०)
4. एल-ब्लॉक चौराहे से दिजली बम्बा चौराहे तक (1.5 किमी०)
5. स्टेडियम चौराहे से अम्बेडकर चौराहा होते हुए हजारी की प्याऊ होते हुए कमिश्नरी चौराहे तक (3.0 किमी०)

Annexure RD 7



2.1 विकास अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं

- 2.1.1 अनुज्ञा हेतु आवेदन
- (I) विकास अनुज्ञा के लिये निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) पर आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ, मानचित्रों के चार सेट/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जाएंगे।
 - (II) जमा किये जाने वाले मानचित्रों में, 'की प्लान', 'महायोजना में स्थिति का मानचित्र', 'साइट प्लान', 'तलपट मानचित्र' और 'सर्विसेज प्लान' भी शामिल होंगे।
 - (III) मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदत्त हो जाने पर एक सेट प्राधिकरण में अभिलेख हेतु रखा जाएगा।
 - (IV) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके द्वारा नाम, पता, योग्यता और प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भू/भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।
- 2.1.2 सूचनाएं एवं दस्तावेज
- 2.1.2.1 प्राधिकरण योजना में आवेदन पत्र, यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-
- (I) कब्जा पत्र तथा लीज/लाइसेन्स डीड के साथ जारी साइट प्लान की प्रतिलिपि।
 - (II) भू-खण्ड के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति।
- 2.1.2.2 अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में आवेदन पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:-
- (I) आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति या रजिस्ट्रीकृत विलेख।
 - (II) साइट प्लान (जिसमें भू-खण्ड संख्या और क्षेत्रफल/भवन की संख्या, गॉव, मोहल्ला का नाम, आदि का उल्लेख होगा)।
 - (III) नजूल अथवा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि होने की दशा में सम्बन्धित विभाग से फ्री-होल्ड डीड अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 2.1.2.3 'की-प्लान' भूखण्डों के उप-विभाजन अथवा कालोनी के विकास या पुर्नविकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ 'की-प्लान' जिसमें उत्तर दिशा-सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।
- 2.1.2.4 साइट प्लान
- (I) आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या या अन्य स्थानीय प्राविधानों सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिए जाएंगे।
 - (II) सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व में उप-विभाजन स्वीकृत होने पर उसमें उपलब्ध सुविधाओं और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुँच मार्गों का भी उल्लेख होगा।
 - (क) प्रस्तावित उप-विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुँचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सड़क का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाए जाएंगे।
 - (ख) समस्त विद्यमान संरचनाओं और 'फीचर्स' की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन/बिजली के खम्भे, अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन, आदि जो स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हों, दर्शाई जाएंगी।

(ग) भूखण्ड की समस्त मुख्य भौतिक विशेषताएं जिनके अन्तर्गत किसी जलाशय की स्थिति और लगभग आकार, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और स्थल का ढाल (1:20 से अधिक होने पर 0.3 मीटर के अन्तराल पर समोच्च रेखाएं (कन्टूर) सहित) दर्शाई जाएंगी।

(घ) महायोजना/जोनल प्लान में स्थल की स्थिति।

(ङ.) प्रयुक्त पैमाना और उत्तर दिशा—सूचक।

2.1.2.5 उप-
विभाजन
तलपट
मानचित्र

उप-विभाजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जाएंगे:-

- (I) पैमाना तथा उत्तर दिशा—सूचक।
- (II) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
- (III) भूखण्डों के माप सहित सैट-बैक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा 'रो-हाउसिंग', 'सेमी-डिटेच्ड' अथवा डिटेच्ड।
- (IV) सर्विसेज़ प्लान जिसमें नालियाँ, वाटर-सप्लाय नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वाह्य विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।
- (V) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
- (VI) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़कें, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन में प्रस्तावित हों), के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।
- (VII) निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त (I) से (VI) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुँच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जाएगी।
- (VIII) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)।
- (IX) ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे:-

(क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल / हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

- (ख) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलाजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के "सरफेस-रन-आफ" को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाएं। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।
- (ग) पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लॉक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
- (घ) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रह सकें।
- (ङ) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों/ भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो।
- (च) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 300 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

2.1.2.6	विशिष्टियाँ	<p>भूखण्ड के उप-विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टियाँ व विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे :-</p> <p>(i) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यों यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियाँ, उनके ढाल और पेविंग, नालियाँ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।</p> <p>(ii) स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएं यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल-निकासी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सड़क, विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्रोत, इत्यादि।</p> <p>(iii) औद्योगिक इकाइयों की स्थिति में उत्सर्गों के प्रकार एवं मात्रा।</p> <p>(iv) विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।</p>
2.1.3	विकास अनुज्ञा शुल्क का आधार एवं गणना	<p>प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा हेतु जमा कराये जाने वाले शुल्क (विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क की गणना से सम्बन्धित विवरण आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शुल्क लिए जाने का आधार (अर्थात् सम्बन्धित शासनादेश/प्राधिकरण आदेश का संदर्भ) स्पष्ट रूप से दिया गया हो।</p>
2.1.4	विकास अनुज्ञा हेतु अनुबन्ध	<p>विकास अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदक के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।</p>
2.1.5	विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता	<p>(i) एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम पाँच वर्ष के लिए वैध होगी। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>(ii) प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर अधिकतम तीन वर्षों हेतु समयावृद्धि दी जा सकती है।</p>
2.1.6	विकास के प्रारम्भ की सूचना	<p>अनुज्ञा के अधीन विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) में दी जाएगी।</p>
2.1.7	विकास के समय विचलन	<p>विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।</p>
2.1.8	पूर्णता प्रमाण-पत्र	<p>विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फॉर्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पूर्णता प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुलग्नक-2 के अनुसार होगी।</p>

2.2 खुले स्थान

- 2.2.1 (क) जोनल डेवलपमेंट प्लान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के उद्देश्य से जोनल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत जोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल/हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जायेगी।
- (ख) ले-आउट प्लान
- (i) आवासीय भू-उपयोग आवासीय ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे 'टाट-लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'गुप हाउसिंग' भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (ii) अनावासीय भू-उपयोग अनावासीय क्षेत्र के ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पट्टिकाएं और पारिस्थितिकी का सन्तुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले-आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) तथा (ii) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात् महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (i) एवं (ii) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप-विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा।

- 2.2.2 खुले स्थान के मानक
- (i) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा। स्थल की भौतिक आकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भिन्न आकार में खुले स्थान इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किए जा सकेंगे कि उनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो।
- (ii) खुले स्थान की सीमा यथास्थिति भूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ-वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ-वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ-वेज अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।

2.2.3 लैण्डस्केप प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी :-

- (i) 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (ii) औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन भी आवश्यक होगा जिसमें कुल खुले स्थल के भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।

- (III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
- (IV) वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
- (V) संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं, क्रीड़ास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहाँ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (VI) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जाएंगे।

3.3 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)

- 3.3.1 सामान्य अपेक्षाएं समूह आवास/ग्रुप हाऊसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले-आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा। चार हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाऊसिंग योजनाओं में ले-आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा ले-आउट प्लान एवं भवन मानचित्र एक साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- 3.3.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।
- 3.3.3 पहुँच मार्ग ग्रुप हाऊसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। ग्रुप हाऊसिंग ले-आउट प्लान के अन्तर्गत वाहन योग्य मार्गों/सड़कों की चौड़ाई एवं लम्बाई इस उपविधि के प्रस्तर-2.3.1 (I) के अनुसार होगी।
- 3.3.4 स्टिल्ट फ्लोर (I) ग्रुप हाऊसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य होगा।
(II) यदि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग पार्किंग से भिन्न उपयोग में लाया जाता है, तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।
- 3.3.5 पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा लैण्डस्केपिंग 3000 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में योजना के कुल क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत की दर से पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान किया जाएगा। भवन मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा; जिसके अनुसार ग्रुप हाऊसिंग योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।
- 3.3.6 भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं घनत्व (I) 'ग्रुप हाऊसिंग भवनों में सैट-बैक, भू-आच्छादन, तल क्षेत्रफल अनुपात एवं घनत्व निम्नवत् होगा:-
(क) 12.5 मीटर तक ऊँचाई के भवनों में चारों ओर न्यूनतम 5.0 मीटर सैट-बैक होगा।
(ख) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रस्तर 3.4.5 पर दी गई तालिका के अनुसार सैट-बैक।
(II) (i) अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। सुरक्षा जोन एवं संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।
(ii) ग्रुप हाऊसिंग परियोजना में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 0.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. कन्वीनिएंट शॉप्स के लिए अनुमन्य होगा।
(III) नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमन्य होगा तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवंटित भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा-वातानुकूलित संयंत्र, लिफ्ट के सामने (लिफ्ट के बाहर गलियारे को छोड़कर) 10 वर्ग मीटर तक लॉबी, मम्टी, लिफ्ट के लिए मशीन कक्ष, अलमारियां एवं

वे-विन्डोज (अधिकतम 0.60 मीटर गहराई एवं 1.80 मीटर लंबाई तक), रिफ्यूज एरिया (एन.बी.सी. के अनुसार), सर्विस डकट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अनुमन्य होगा।

ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

- (IV) नियोजित रूप से विकसित कालोनियों/क्षेत्रों, जिनके ले-आउट प्लान्स सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं, में भूखण्डीय विकास की पद्धति पर एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (V) नियमों के अन्तर्गत कय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
- (VI) "नए/अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के लिए जनसंख्या घनत्व 330 इकाईयां (1650 व्यक्ति) प्रति हेक्टेयर तक निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा, जबकि निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में ज़ोनल प्लान/ले-आउट प्लान अनुमोदित होने की दशा में तदनुसार घनत्व अनुमन्य होगा अन्यथा अधिकतम 150 इकाई प्रति हेक्टेयर तक घनत्व अनुमन्य होगा:-
- (i) 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 200 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।
- (ii) 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 250 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।
- (iii) 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर 330 इकाईयां प्रति हेक्टेयर।"
- (VII) सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान इस उपविधि के प्रस्तर-2.4.1 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। सुविधाजनक दुकानों का प्राविधान प्रति 1000 व्यक्तियों पर 5 दुकानों के आधार पर किया जाएगा, जो अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत ही होगा। प्रति दुकान का अधिकतम तल क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर होगा।
- (VIII) प्रवेश द्वार पर 1.6 वर्गमीटर माप का चौकीदार/गार्ड रूम (जिसकी न्यूनतम चौड़ाई अथवा व्यास 1.2 मीटर होगा) अनुमन्य होगा, परन्तु किसी भी दशा में अग्निशमन हेतु वांछित न्यूनतम सैट-बैंक में निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- (IX) चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजना/भूखण्ड के लिए योजना/ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की ग्रुप हाउसिंग योजनाओं के लिए "नेट" भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मी० एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।
- (X) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'बल्क' सेल के रूप में ग्रुप हाउसिंग हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर 2.5 एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि योजनान्तर्गत अन्य उपयोगों यथा-व्यावसायिक कार्यालय, औद्योगिक, संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण के लिए एफ.ए.आर. उस उपयोग हेतु निर्धारित एफ.ए.आर. की सीमा के अन्तर्गत रहेगा।

- (XI) ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के सेटबैक क्षेत्र के अंतर्गत बालकनी के प्रोजेक्शन्स इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होंगे कि अग्नि सुरक्षा हेतु फायर टैंडर के आवागमन हेतु भू-तल से न्यूनतम 6 मी० ऊँचाई का क्षेत्र अवरोध मुक्त रहेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन अनुमन्य नहीं होगा। 1.5 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबकि 1.5 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 3.0 मीटर चौड़ाई तक (स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित होने की दशा में) बालकनी के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी, परन्तु जहाँ दो भवनों के मध्य की दूरी 9.0 मीटर से कम हो वहाँ 1.5 मीटर से अधिक चौड़ी बालकनी अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत की जानी होगी।

3.3.7 पार्किंग व्यवस्था (I) पार्किंग हेतु मानक इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 के अनुसार होंगे।

S.No.	Location of construction site	Latitude	Longitude	Type of construction (Residential/ commercial/ govt. project/ flyover/ bridges, roads etc)	Project Completion Date/Time
1	Partapur Railway Line, Meerut	28°53'35.2"N	77°37'34.8"E	Highway	
2	NH34, Partapur, Aminagar Urf Bhurbaral, Meerut	28°54'36.1"N	77°38'20.6"E	Flyover	31/01/2021
3	New Sainik Colony, Kankarkhera, Meerut,	29°02'12.0"N	77°40'41.5"E	Underpass	31/12/2020
4	NH334, Modipuram, Meerut,	29°03'31.8"N	77°42'29.8"E	Flyover	28/02/2021
5	"Sikka Krrish Greens" at Vill-Jatoli, Tehsil-Sardhna, Distt-Meerut	29°02'24.1"N	77°40'32.7"E	Residential Project	

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C.

From,

Sudhir Garg,
Principal Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

Member Secretary,
National Disaster Management Authority,
NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave,
New Delhi - 110029.

Environment, Forest &
Climate Change Section-7,

Lucknow : Dated: 22-December, 2020

Sub:- Compliance of order of Hon'ble National Green Tribunal dated 20.11.2019 passed in O.A. No. 681/2018 in the matter of News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15" reg.

Dear Sir,

Please refer to the captioned order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 vide which it was directed that the emergency arising out of severe air pollution levels may be treated as a disaster and an Emergency Response System may be developed accordingly. The relevant operative portion of the order dated 20.11.2019 is reproduced below-

".....27. With regard to finalization of Emergency Response System (ERS), we are of view that the State Disaster Management Authorities in coordination with the SPCBs/PCCs and State Units of Meteorological Departments may include emergency as a part of disaster management and develop ERS accordingly which may be placed in public domain."

In order to ensure compliance of this order, Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a direction under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 18.02.2020 to Uttar Pradesh Disaster Management Authority (UPSDMA) for development of Emergency Response System. The matter was also reviewed by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh on 02.12.2020 in which UPSMA submitted that the guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS have not been issued by the apex body namely National Disaster Management Authority (NDMA). It was decided in the said meeting dated 02.12.2020 that a request letter for issuance of the required guidelines may be sent to NDMA, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India.

Therefore, it is requested that the Guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS accordingly may kindly be issued at the earliest so that the necessary steps may be taken up by the State for compliance of orders of Hon'ble NGT.

Yours Sincerely,

(Sudhir Garg)
Principal Secretary.


CEO (Lab)
22-12-2020
(आशीष तिवारी)
गदरस्य सचिव

SA(S)
25/12/20
CEO

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C., Dated.

Copy: For taking up necessary action for issuance of guidelines to-

1. Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jorgabh Road, New Delhi – 110003.
2. Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 10032.
3. Member Secretary, UP State Disaster Management Authority, Picup Bhawan, B-2 Ground floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010.
4. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.



(Sudhir Garg)
Principal Secretary.

नोटिस प्रेषित हाटमिक्स प्लांट की सूची -

क्रमांक	जनपद	नाम व पता
1	मेरठ	मै0आर0सी0सी0डेवलपर्स, ग्राम लखवाया, जंगेठी रोड, मेरठ
2	मेरठ	मै0सन शाईन बिल्डर्स, बागपत रोड, मेरठ
3	मेरठ	मै0आर0सी0सी0डेवलपर्स लि0, जानी गंगनहर, बागपत रोड, मेरठ
4	मेरठ	मै0जुनेजा कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, ग्राम जंगेठी, मेरठ
5	मेरठ	मै0आकांक्षा कंस्ट्रक्शन, गढ़ रोड, मेरठ
6	मेरठ	मै0जी0के0 कंस्ट्रक्शन, हाजीपुर, हापुड़ रोड, मेरठ
7	मेरठ	मै0शांति कंस्ट्रक्शन, ग्राम राली चौहान, किला रोड, मेरठ
8	मेरठ	मै0एस0के0 कंस्ट्रक्शन, खरखौदा, हापुड़ रोड, मेरठ
9	मेरठ	मै0अशोक कुमार ठेकेदार(हाट मिक्स प्लांट), मेरठ हापुड़ बाईपास, बिजलीबंबा, मेरठ
10	मेरठ	मै0जीत कंस्ट्रक्शन, मेरठ हापुड़ बाईपास, बिजलीबंबा, मेरठ
11	मेरठ	मै0अरोड़ा आर0सी0सी0डेवलपर्स, मुरलीपुर फूल, गढ़ रोड, मेरठ
12	मेरठ	मै0लोहिया डेवलपर्स, खरखौदा, हापुड़ रोड, मेरठ
13	मेरठ	मै0प्रीति बिल्डकान, शाहपुर जंगली, मेरठ
14	मेरठ	मै0आर0एस0बिल्डर्स, कृष्णा पब्लिक स्कूल के सामने, एन0एच0-58, जटौली, मेरठ
15	बागपत	मै0कांती प्रसाद मित्तल(केपीएम) हाट मिक्स प्लांट, निकट रक्षा हास्पिटल दिल्ली रोड, बागपत
16	बागपत	मै0एस0ई0डब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, 60कि0मी0, बावली, बड़ौत, बागपत
17	बागपत	मै0विकास कुमार शर्मा, ग्राम विराल, सहारनपुर रोड, बड़ौत, बागपत

5

मैडिकल - परतापुर कापा एण्ड अड्डा




प्रेडिक्शन -

मान-र	=	0.25
लैजगरी	=	1.4
सी.वी.एफ	=	1.8
मजकूर	=	2.0
डिस्टेंस	=	2.5
प्लेन	=	2.9
श्री	=	3.4
डा	=	4.2
व	=	5.0
ए	=	5.1
व	=	5.2
वी	=	6.3
के	=	7.2
प	=	8.1
व	=	9.1
म	=	10.0
ए	=	10.5
व	=	11.0
इ	=	13.0
रि	=	15.0
सी	=	17.0
परतापुर	=	18.0

नोट - परतापुर से वापसी में 0.5 घंटे का डिस्टेंस है जो कि वापसी के लिए परतापुर के पास ही पर 0.5 घंटे का डिस्टेंस है।

(रामगोपाळवर्मा)
र. वि. वि.


भीड़िया-गर खे. स. ह. जेड कम्पनी



मेन स्कीप कि.मी.

बाहिप नगर - बिजलीघरा	0.7
बार.टी.ओ.	2.7
करीम-गर	3.4
मोचरी	4.8
हाफुड अड्डा	5.3
जेडा चौक	6.1
डोकै रोड	6.4
लच्छा पोके	6.7
जी.आर्.टी.	7.3
बेगम पुल	7.9
गान्धी बा.	8.2
हाफुड	13.9
भीरी पुल	14.4
हाफुड	15.1

(रामगीपाल वर्मा)
साविदा लिपिक



बोहीपानगर - परतापुर वाया बिजेकी लम्बा

● मेन स्टॉप

- बोहीपानगर - बिजेकी लम्बा - 0.7 K.M.
- फतनेपूर - 1.8 K.M.
- जुराफूर - 2.7 K.M.
- सुर-गविली - 5.6 K.M.
- सोहन कीर्तिज - 5.9 K.M.
- सुखी पाप - 8.3 K.M.
- रिहानी - 9.7 K.M.
- पी.टी.सी. - 10.9 K.M.
- परतापुर - 12.8 K.M.

परतापुर में डिवाइडर होने के कारण वापसी में गाड़ी एक कि०मी० रींग सिडि में मोपेरी

(Signature)
 (रामगोपालवर्मा)
 लखनऊ

MODIPURAM TO MODINAGAR

MODIPURAM	JATOLI	ARVAN SCHOOL	KANKER KHERA	ARK CITY	DAYANPUR	DABKA	SHOBHA PUR C	KHODLI	BAGPAT CHOW	SHUBARTI PU	SUSHANAT CI	DUNGRAWALI	BIG BYTE	PARTAPUR	BHUBARAL	MOHHIDINPUR	SUGER MILL	IDST	KADRABAD	GOVINDPURI	SAIN
13 10	1 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10	25 10
4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10
5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15	5 15
6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15	6 15
7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15	7 15
9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20	9 20
10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25	12 25
13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25	13 25
14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25	14 25
15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25	15 25
16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25	16 25
17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25	17 25
18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30	18 30
19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30	19 30
20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30	20 30
21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30	21 30
22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30	22 30
23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30	23 30
24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35	24 35
25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35	25 35
26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35	26 35
27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35	27 35
28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45	28 45
29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45	29 45
30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45	30 45

SSI
MCTSL

[Signature]

AGENT
MCTSL

ARM
MCTSL

[Handwritten mark]

28

SR Singh

HAPUR ADDA		0 KM HAPUR ADDA		SOHRBAGATE		TEI GHADI CHAU		MEDICAL CHAIBARAH		RADHA GOVIND		GOKULPUR		BIHT		HASNAPUR KHEDA		MURLI PUR		SHISOLI		BHAGWAN PUR		MAUKASH		BAUDA MODE		BHATPURA		HSANPUR		RACHOTI		MACHRA		SOUNDA		BADHROAD MODE		NAGLI MODE		KETHOR HAPU		KETHOR THANA		SAHAPUR	
NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME	NO	NAME
093	SOHRBAGATE	115	SOHRBAGATE	235	TEI GHADI CHAU	315	MEDICAL CHAIBARAH	395	RADHA GOVIND	475	GOKULPUR	555	BIHT	635	HASNAPUR KHEDA	715	MURLI PUR	795	SHISOLI	875	BHAGWAN PUR	955	MAUKASH	1035	BAUDA MODE	1115	BHATPURA	1195	HSANPUR	1275	RACHOTI	1355	MACHRA	1435	SOUNDA	1515	BADHROAD MODE	1595	NAGLI MODE	1675	KETHOR HAPU	1755	KETHOR THANA	1835	SAHAPUR		
285	TEI GHADI CHAU	365	TEI GHADI CHAU	445	MEDICAL CHAIBARAH	525	RADHA GOVIND	605	GOKULPUR	685	BIHT	765	HASNAPUR KHEDA	845	MURLI PUR	925	SHISOLI	1005	BHAGWAN PUR	1085	MAUKASH	1165	BAUDA MODE	1245	BHATPURA	1325	HSANPUR	1405	RACHOTI	1485	MACHRA	1565	SOUNDA	1645	BADHROAD MODE	1725	NAGLI MODE	1805	KETHOR HAPU	1885	KETHOR THANA	1965	SAHAPUR				
45	MEDICAL CHAIBARAH	535	MEDICAL CHAIBARAH	615	RADHA GOVIND	695	GOKULPUR	775	BIHT	855	HASNAPUR KHEDA	935	MURLI PUR	1015	SHISOLI	1095	BHAGWAN PUR	1175	MAUKASH	1255	BAUDA MODE	1335	BHATPURA	1415	HSANPUR	1495	RACHOTI	1575	MACHRA	1655	SOUNDA	1735	BADHROAD MODE	1815	NAGLI MODE	1895	KETHOR HAPU	1975	KETHOR THANA	2055	SAHAPUR						
5910	RADHA GOVIND	6710	RADHA GOVIND	7510	GOKULPUR	8310	BIHT	9110	HASNAPUR KHEDA	9910	MURLI PUR	10710	SHISOLI	11510	BHAGWAN PUR	12310	MAUKASH	13110	BAUDA MODE	13910	BHATPURA	14710	HSANPUR	15510	RACHOTI	16310	MACHRA	17110	SOUNDA	17910	BADHROAD MODE	18710	NAGLI MODE	19510	KETHOR HAPU	20310	KETHOR THANA	21110	SAHAPUR								
7210	GOKULPUR	8010	GOKULPUR	8810	BIHT	9610	HASNAPUR KHEDA	10410	MURLI PUR	11210	SHISOLI	12010	BHAGWAN PUR	12810	MAUKASH	13610	BAUDA MODE	14410	BHATPURA	15210	HSANPUR	16010	RACHOTI	16810	MACHRA	17610	SOUNDA	18410	BADHROAD MODE	19210	NAGLI MODE	20010	KETHOR HAPU	20810	KETHOR THANA	21610	SAHAPUR										
8215	BIHT	9015	BIHT	9815	HASNAPUR KHEDA	10615	MURLI PUR	11415	SHISOLI	12215	BHAGWAN PUR	13015	MAUKASH	13815	BAUDA MODE	14615	BHATPURA	15415	HSANPUR	16215	RACHOTI	17015	MACHRA	17815	SOUNDA	18615	BADHROAD MODE	19415	NAGLI MODE	20215	KETHOR HAPU	21015	KETHOR THANA	21815	SAHAPUR												
915	HASNAPUR KHEDA	995	HASNAPUR KHEDA	1075	MURLI PUR	1155	SHISOLI	1235	BHAGWAN PUR	1315	MAUKASH	1395	BAUDA MODE	1475	BHATPURA	1555	HSANPUR	1635	RACHOTI	1715	MACHRA	1795	SOUNDA	1875	BADHROAD MODE	1955	NAGLI MODE	2035	KETHOR HAPU	2115	KETHOR THANA	2195	SAHAPUR														
1015	MURLI PUR	1095	MURLI PUR	1175	SHISOLI	1255	BHAGWAN PUR	1335	MAUKASH	1415	BAUDA MODE	1495	BHATPURA	1575	HSANPUR	1655	RACHOTI	1735	MACHRA	1815	SOUNDA	1895	BADHROAD MODE	1975	NAGLI MODE	2055	KETHOR HAPU	2135	KETHOR THANA	2215	SAHAPUR																
11815	SHISOLI	12615	SHISOLI	13415	BHAGWAN PUR	14215	MAUKASH	15015	BAUDA MODE	15815	BHATPURA	16615	HSANPUR	17415	RACHOTI	18215	MACHRA	19015	SOUNDA	19815	BADHROAD MODE	20615	NAGLI MODE	21415	KETHOR HAPU	22215	KETHOR THANA	23015	SAHAPUR																		
1215	BHAGWAN PUR	1295	BHAGWAN PUR	1375	MAUKASH	1455	BAUDA MODE	1535	BHATPURA	1615	HSANPUR	1695	RACHOTI	1775	MACHRA	1855	SOUNDA	1935	BADHROAD MODE	2015	NAGLI MODE	2095	KETHOR HAPU	2175	KETHOR THANA	2255	SAHAPUR																				
14220	MAUKASH	15020	MAUKASH	15820	BHATPURA	16620	HSANPUR	17420	RACHOTI	18220	MACHRA	19020	SOUNDA	19820	BADHROAD MODE	20620	NAGLI MODE	21420	KETHOR HAPU	22220	KETHOR THANA	23020	SAHAPUR																								
15520	BAUDA MODE	16320	BAUDA MODE	17120	BHATPURA	17920	HSANPUR	18720	RACHOTI	19520	MACHRA	20320	SOUNDA	21120	BADHROAD MODE	21920	NAGLI MODE	22720	KETHOR HAPU	23520	KETHOR THANA	24320	SAHAPUR																								
15920	BHATPURA	16720	BHATPURA	17520	HSANPUR	18320	RACHOTI	19120	MACHRA	19920	SOUNDA	20720	BADHROAD MODE	21520	NAGLI MODE	22320	KETHOR HAPU	23120	KETHOR THANA	23920	SAHAPUR																										
18825	HSANPUR	19625	HSANPUR	20425	RACHOTI	21225	MACHRA	22025	SOUNDA	22825	BADHROAD MODE	23625	NAGLI MODE	24425	KETHOR HAPU	25225	KETHOR THANA	26025	SAHAPUR																												
19825	RACHOTI	20625	RACHOTI	21425	MACHRA	22225	SOUNDA	23025	BADHROAD MODE	23825	NAGLI MODE	24625	KETHOR HAPU	25425	KETHOR THANA	26225	SAHAPUR																														
20525	MACHRA	21325	MACHRA	22125	SOUNDA	22925	BADHROAD MODE	23725	NAGLI MODE	24525	KETHOR HAPU	25325	KETHOR THANA	26125	SAHAPUR																																
22225	SOUNDA	23025	SOUNDA	23825	BADHROAD MODE	24625	NAGLI MODE	25425	KETHOR HAPU	26225	KETHOR THANA	27025	SAHAPUR																																		
2325	BADHROAD MODE	24025	BADHROAD MODE	24825	NAGLI MODE	25625	KETHOR HAPU	26425	KETHOR THANA	27225	SAHAPUR																																				
24730	NAGLI MODE	25525	NAGLI MODE	26325	KETHOR HAPU	27125	KETHOR THANA	27925	SAHAPUR																																						
2630	KETHOR HAPU	27125	KETHOR HAPU	27925	KETHOR THANA	28725	SAHAPUR																																								
27530	KETHOR THANA	28325	KETHOR THANA	29125	SAHAPUR																																										
28540	SAHAPUR																																														

HAPUR JR

Annexure VE 2

VE1 Improve and strengthen PUC programme														
Action Point Code	Action Point	Present Status	Total	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	*Annual Target	Field type	**Attachment No.	Attachment Contents	Total Fund required (Rs. Lakh)	Total Funds Allocated (Rs. Lakh)	Funds released (Rs. Lakh)	Funds Utilized (Rs. Lakh)	Additional Funds Required (Rs. Lakh)
VE1.1	Number of PUC centers in the city		74	31.03.2024		22	No. of PUC centers	Yes	List of centres attached	Nil	NA	NA	NA	NA
VE1.1	Conducting audit of traffic intersections and install functional traffic signals at all major intersections		NA	NA		NA	No.	NA	Traffic signals are established at 14 places by municipal corporation and BOT (Heera Times) 1. Tel Gadhli Chauraha 2. Commissioner Awas Chauraha 3. Jal Cungi Chauraha 4. Gandhi Ashram Chauraha 5. Hapur Adda Chauraha 6. Baecha Park Chauraha 7. Begunpal Chauraha 8. Zero Mile Chauraha 9. Abkari Chauraha 10. Eid Gha Chauraha 11. Metro Plaza Tiraha 12. Railway Road Chauraha 13. Bagpat Adda Tiraha 14. DanKilgram Tiraha	NA	NA	NA	NA	NA
VE1.2	Synchronize traffic movements/1 introduce intelligent traffic system for lane-driving		NA	NA		NA	No. of Crossings	NA	Work under TMS is in process and area traffic control system, traffic surveillance, traffic enforcement system and traffic command system is in process under smart city project. 1. L-Block Tiraha 2. Tel Gadhli Chauraha 3. Dighi Tiraha 4. Gandhi Ashram Chauraha 5. Hapur Adda Chauraha 6. Baecha Park Chauraha 7. Jal Cungi Chauraha 8. Commissioner Awas Chauraha 9. Commissioner Office Gool Chakkar	50 Lakhs	NA	NA	NA	NA

हाई डस्ट जनरेटड रोड का विवरण

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	स्थल का नाम	Latitute/ Longitute	स्थल का नाम	Latitute/ Longitute
1	परतापुर से मोदीपुरम(बाईपास रोड) एन0एच0-58	परतापुर	28.9129032 77.6418504	मोदीपुरम	28.997167 77.69781
2	बेगमपुल से बिजलीबम्बा बाईपास तक हापुड रोड	बेगमपुल	28.5942 77.4220	बिजली बम्बा बाईपास	28.935583 77.727629
3	बेगमपुल से परतापुर तक(दिल्ली रोड)	बेगमपुल	28.5942 77.4220	परतापुर	28.9129032 77.6418504



KANAV PAPERS PRIVATE LIMITED

Factory, Kanan at Dev Priya Fibres Pvt. Ltd.

Corres. Address

'DEV KUNJ', A-14, SHAMBHU NAGAR, BAGHPAT ROAD, MEERUT

- E-mail: kanavpapers2015@yahoo.in • amul.net@yahoo.com
- Phone: 0592-2711111

To,

Regional Office,
U.P. Pollution Control Board,
Modipuram, Meerut

UNDERTAKING

Dear Sir,

In respect of your letter No. 907/GRAP/2020 we would like to inform you that there is no construction activities in our factory premises presently further We undertake that We shall follow GRADED RESPONSE ACTION PLAN in our manufacturing process as applicable to our industry.

Thanks and Regards,

For KANAV PAPERS PRIVATE LIMITED

(Director)




Regd. Off. - Works
 403 CHANLA, 7th FLOOR, 100ft. ROAD, ...
 P.O. CHANDIGARH, CHANDIGARH ...
 Ph: 0173 2717171, 2717172, 2717173, 2717174, 2717175, 2717176, 2717177, 2717178, 2717179, 2717180
 e-mail: info@sangalpapers.com, hr@sangalpapers.com, sales@sangalpapers.com, marketing@sangalpapers.com, procurement@sangalpapers.com, transport@sangalpapers.com, quality@sangalpapers.com, compliance@sangalpapers.com, legal@sangalpapers.com, it@sangalpapers.com, finance@sangalpapers.com, accounts@sangalpapers.com, reception@sangalpapers.com, security@sangalpapers.com, cleaning@sangalpapers.com, maintenance@sangalpapers.com, medical@sangalpapers.com, pharmacy@sangalpapers.com, restaurant@sangalpapers.com, club@sangalpapers.com, cinema@sangalpapers.com, shopping@sangalpapers.com, parking@sangalpapers.com, taxi@sangalpapers.com, bus@sangalpapers.com, train@sangalpapers.com, air@sangalpapers.com, sea@sangalpapers.com, land@sangalpapers.com


CGN 121010121980PLC02118 PAN ND AAJ 0222
 GSTIN 09AAAC1543323

The Regional Officer
 UP Pollution Control Board
 Meerut

Date 19/10/2020

Sr,
 With reference to your letter no. 900/GRAP/2020 dated 9/10/2020 we hereby undertake that we will run our industry as per the graded response action plan so that the air quality does not get adversely affected. Also we will not use any restricted fuel.

For Sangal Papers Ltd.
 Manoj Kumar Sangal
 For Sangal Papers Ltd.

 Director
 Managing Director

4EE'S/ASO/SE
 In = a

 19/10/2020



PASWARA

PAPERS LTD.

Correspondence Office :
Paswara House
Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Ph +91-121-4020444, 4056536, 4005107
E-Mail: info@paswara.com

Leading Manufacturers of Multi Layer Kraft Paper, Paper Board
Factory Paswara Border Mohiuddinpur
N.H -58, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Website : www.paswara.com

Dated. 10.11.2020

To,
The Regional officer
U.P. Pollution Control Board
Meerut

Sir,

With reference to your letter no. 900/GRAP/ 2020 dated. 09.10.2020,
We hereby Undertake that we will run our Industry as per Graded response
action plan so that the Air Quality does not Adversely affected and also we
will not use any restricted fuel.

Thanking you

Handwritten signature and date:
AEE's/13889/20
10/11/2020

Handwritten signature and stamp:
For Paswara Papers Ltd
(Director)



JANKI NEWSPRINT LIMITED

MFRS : Writing-Printing Paper, Newsprint, Kraft & Absorbent Paper

Dated: 10.11.2020


To,
The Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Pocket T, C-3/2, Pallavpuram,
Phase - 2, Modipuram,
Meerut.

Dear Sir,

With reference to your letter no. 907/GRAP/2020 dated 09.10.2020 we hereby undertake that we will run our industry as per the graded response action plan so that the air quality does not get adversely affected. Also we will not use any restricted fuel.

Thanking You,

Yours Truly,
For JANKI NEWSPRINT LIMITED


Auth. Signatory.

Handwritten notes:
AEE'S/Asst/JE

10/11/20



Dated:-05.11.2020

STAR KRAFT PAPERS PRIVATE LIMITED

FORMERLY

(DEV STAR PAPERS PRIVATE LIMITED)

WORKS & ADM. OFFICE : VILL. PANCHLI, 10TH KM. BAGHPAT ROAD, MEERUT (U.P.)

TEL. 0121-2439916, 2439924 • EMAIL STARKRAFTPAPERS@YAHOO.IN

The Regional Officer
UP Pollution Control Board
Meerut

Respected Sir,

With reference to your letter no. 907/GRAP/2020 dt.09.10.2020, we hereby undertake that we will run our industry as per the graded response action plan so that the air quality does not get adversely affected. Also we will not use any restricted fuel.

Thanking you,

FOR STAR KRAFT PAPERS PRIVATE LIMITED

For Star Kraft Papers Pvt. Ltd.

[Handwritten Signature]
Director

AEE'S/ASO/SE
[Handwritten Signature]
06/11/20

CORRES. ADDRESS : DEV MAHAL, A-3, SHAMBHU NAGAR, BAGHPAT ROAD, MEERUT
REGD. OFFICE : A-28, BLOCK-A, PANDAV NAGAR, DELHI-110 092
CIN : U21000DL2012PTC238138



DEV PRIYA PRODUCTS PVT. LTD.

Manufacturers of Kraft Paper & Duplex Board

Recd
Shri
11/11/2020

To,

The Regional Officer
U.P Pollution control Board
Pocket-T, C 3/2,
Pallav Puram, Phase-2
Modipuram, Meerut-250110

Date- 22/10/2020

Sir,

With reference to your letter No. 900/GRAP/2020 Dated 9/10/2020 we hereby undertake that we will run our industry as per the graded response action plan so that the air quality does not get affected. Also we will not use any restricted fuel.

For Dev Priya Products Pvt. Ltd.

For DEV PRIYA PRODUCTS (P) LTD.

Authorised Signatory

Authorized signatory

ACC-II/SC
24/12/20

Corres. & Adm. Office :
A-2, Shambhu Nagar
Baghpat Road, Meerut-250 002

Works :
Vill. SAINI, 8th Km. Mawana Road,
Meerut (U.P.) INDIA -250 001
Tel. : +91-121-2620133, 2620933

Regd. Office :
4, Shankar Vihar, 1st Floor,
Vikas Marg, Delhi - 110 092
Tel. : +91-11-22013156, 22013159

Email : info@devproduct.com, Website : www.devproduct.com
CIN : U74899DL 1993PTC054397



Ref. No.

Date.....**11.11.2020**.....

To
The Regional Officer
UP Pollution Control Board
Meerut

Sir,
With reference to your letter dated 9/10/2020 we hereby undertake that we will run our industry as per graded response action plan so that the air quality does not get adversely affected. Also we will not use any restricted fuel.

For Sardhana Papers Pvt Ltd
[Signature]
Director

AEES/860/3E
[Signature]
2/11/2020

ABCL9400R1ZV
handloom@yahoo.com



Luthra Handloom Industries (P) Ltd

Mfrs. & Suppliers of HIGH CLASS PRINTS, BED COVERS & FURNISHINGS

+91-9634765555
+1-9997366932
+1-8057776663

VILLAGE KANSHI, GAGOL ROAD
PARSTRIP PARTAPUR, MEERUT 250103 (U.P.)

101/2, A J HANDLOOM COMPLEX
KHANDAK STREET, MEERUT 250109 (U.P.)

Dated: 10/10/20

UNDERTAKING

To
U.P. Pollution Control Board
Pocket TC-3/2, Pallavpuram Phase 2
Modipuram
MEERUT

SUB: Your Letter No. 900/GRASP/2020 Dated on 09-10-2020 regarding compliance of EPCA instructions

Dear sir,

We **LUTHRA HANDLOOM INDUSTRIES (P) LTD.**, MEERUT, hereby undertake that have never used unauthorized fuel and have been using authorized fuel only (fire wood and briquettes). We also assure you that we shall use only authorized fuel in future.

Also we undertake that all the air pollution control instruments are operating effectively and all pollution control measures are being followed by us as a directed by UPPCB.

Thanks and Regards,

For **Luthra Handloom Industries (P) Ltd.**

Director *Kumti/feel*
AEES/Ar01/E
fu.

09178500404

MODERN PROCESS HOUSE

Phase-I, Mohkampur Industrial Complex, Delhi Road, Meerut
Tel.: 0121- 6532235, Fax 0121 2512433
E mail : jitendar@modernfabtex.com

UNDERTAKING

PLATE NO. _____

To

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Pocket T-C 3/2, Pallav Puram, Phase-2nd,

Modipuram, Meerut - 250110


Sub: Your Letter No. 900/GRAP/2020 dated 09.11.2020 regarding
compliance of EPCA instructions

Respected Sir,

We **MODERN PROCESS HOUSE, MEERUT**, hereby undertake that we have
never used unauthorized fuel and have been using authorized fuel only (Coal
and Fire Wood). We also assure you that we shall use only authorized fuel in
future.

Also we undertake that all the air pollution control instruments are operating
effectively and all pollution control measures are being followed by us as
directed by UPPCB.

Thanks and Regards,

ARE'S/NO/JF.

19/11/20

For Modern Process House



Partner



National Handloom Industries

Factory +91 - 121 2513866, 2513989, 2513852 **An ISO 9001-2000 CERTIFIED COMPANY**
E-mail info@national-india.com, nhig@vsnl.com, nhig@vsnl.com Telefax +91 121 2513852

No. 85, Mohkampur Industrial Area, Phase-2, Delhi Road, Meerut - 250001 (U.P.) (India)
Website www.national-india.com

UNDERTAKING

Date 11.11.2020

Place Meerut

To

UP Pollution Control Board

Pocket TC 3, 2, Pallavpuram Phase 2

Modipuram

MEERUT

Sub: Your Letter No. 900/GRAP/2020 dated 09.10.2020 regarding compliance of EPCA instructions.

Dear Sir,

We **NATIONAL HANDLOOM INDUSTRIES, MEERUT**, hereby undertake that had never used unauthorized fuel and have been using authorized fuel only (coal and Fire wood). We also assure you that we shall use only authorized fuel in future.

Also we undertake that all the air pollution control instruments are operating effectively and all necessary measures are being followed by us as directed by UPPCB.

Thanks and Regards,

For **National Handloom Industries**

Proprietor

AEE's/17801JE
[Signature]
13/11/20

Ashok Handlooms Factory Pvt. Ltd.

Manufacturers & Exporters of Home Furnishings Since 1949

H.O. 33 Subhash Bazar, Meerut
Meerut, U.P.
Tel. 0592-272124, 272125, 272126
Fax 0592-272127

UNDERTAKING

Date 11-11-2020

Place Meerut

To,
U.P. Pollution Control Board
Pocket TC-3 2, Pallavpuram Phase-2
Modipuram
Meerut

Sub Your letter No. 900/GRAP/2020 dated 09-10-2020 regarding compliance of EPCA instructions

Dear Sir,

We **ASHOK HANDLOOMS FACTORY PVT. LTD., MEERUT**, hereby undertake that had never used unauthorized fuel and had been using authorized fuel only (coal and Fire wood). We also assure you that we shall use only authorized fuel in future.

Also we undertake that all the air pollution control instruments are operating effectively and all pollution control measures are being followed by us as directed by UPPCB.

Thanks and Regards,

For Ashok Handlooms Factory Pvt Ltd

Director

Handwritten signature
Director
15/11

ANP/1344D1ZW

(M).9897063223

SHREE AADINATH TEX FAB

DEALS IN : ALL TYPE OF FABRICS & BED SHEET ETC.
227, VILLAGE KUNDA, PARTAPUR, OPP D.N POLYTECHNIC DELHI ROAD MEERUT-250103

मैला में -
श्री श्री आदिनाथ
मल्ल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ

वैकल्पिक वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के समतल में

आदेश

श्री आदिनाथ जी. हमारा इकाई में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। इस प्रतिबंधित इकाई का प्रयोग कदापि नहीं किया जा रहा है तथा हम आपको आश्वासन कराना चाहते हैं कि मिल हमें भी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से सुनिश्चित करते रहेंगे।

धन्यवाद सहित
प्रति

Handwritten signature and date: 13/11/20

For SHREE AADINATH TEX FAB

Handwritten signature and date: 12-11-2020

IN No. 09AAECK0684M1Z3

09760030660

KANTA POLYTEX (INDIA) PVT. LTD.

Plot No 18 Sector 8 Ved Vyas-Puri Ind Area, Opp RAF Headquarter Gate No 7
Near Modi Tyre Putha (Rithani) Meerut 250103 (U.P.) INDIA
Email kplindia ltd@gmail.com

ref No

Dated

UNDERTAKING

DATE : 12.11.2020

PLACE : MEERUT

TO,

U.P Pollution Control Board

Pocket TC-3/2, Pallavpuram Phase 2

Modipuram- Meerut

Sub: Your Letter No. 900/GRAP/2020 dated 09.10.2020 regarding compliance of EPCA instructions

Dear Sir,


We, KANTA POLYTEX (INDIA) PVT. LTD. MEERUT, hereby undertake that had never used unauthorized fuel and had been using authorized fuel only (coal and fire wood). We also assure you that we will use only authorized fuel in future

Also we undertake that all the air pollution control instruments are operating effectively and all pollution control measures being followed by us as directed by UPPCB.

Thanks & Regards,

FOR KANTA POLYTEX (INDIA) PVT. LTD.

DIRECTOR

4 EE'S 12/11/20

13/11/20

ADPPK045TR 17U
ADPPK045TR

M KAY TEXTILES

THE HOUSE OF STYLOPRINTS

Khasra No 453 Putha Road Rithani Meerut 250103

NO

UNDERTAKING

Date

TO

UP Pollution Control Board

Pocket TC 3/2, Pallavpuram Phase 2

Medhapuram

MEERUT

Sub: Your Letter No 900/GRAP/2020 dated 09/10/2020 regarding compliance of EPA

Dear Sir

We, **M KAY TEXTILES, MEERUT**, hereby undertake that had never used unauthorized fuel and had been using authorized fuel only (coal and fire wood). We also assure you that we shall use only authorized fuel in future.

Also we undertake that all the air pollution control instruments are operating effectively and all pollution control measures are being followed by us as directed by UPPCB.

Thanks and Regards,

For **M KAY TEXTILES**

Mang Kumar

Proprietor

Handwritten signature and date: 13/11/20



क्षेत्रीय कार्यालय

REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

584/121/2020 (प्र.क.)/2020

दिनांक

Dated

10/8/2020

सेवा में,

सचिव,

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

विषय :- आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक / वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में। ✓

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें श्री सुनील त्यागी, 14, सरस्वती लोक विहार गली नं० 3, रोहटा रोड मेरठ की शिकायत आवासीय कालोनी में अवैधरूप से कारखानों को हटवाने के संबंध में इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। शिकायत के परिपेक्ष्य में शिकायती उद्योग श्री प्रशांत शर्मा, पुत्र श्री रामानंद शर्मा निवासी 95/15, फेस-4, लेन नं० 3, रोहटा रोड मेरठ का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.07.2020 को किया गया। उद्योग स्थल आवासीय क्षेत्र में स्थित है।

अग्रेतर उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय उ०प्र०शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० सी०एस०-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के अनुपालन में आपको शिकायती उद्योग श्री प्रशांत शर्मा, पुत्र श्री रामानंद शर्मा निवासी 95/15, फेस-4, लेन नं० 3, रोहटा रोड मेरठ की आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि शिकायत के निराकरण एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० योगेन्द्र कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- श्री सुनील त्यागी, 14, सरस्वती लोक विहार गली नं० 3, रोहटा रोड मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ सं०

दिनांक

Date

24/12/2022

Ref. No. 1538/ILKS/22

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

विषय :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं० 60000200181629 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं० 60000200181629 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वर्णित शिकायत में उल्लेखित है कि श्री फ़ैजल पुत्र श्री फ़िरोज खां, 440 ईदगाह चौपला, बागपत गेट दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा आबादी के मध्य कटिंग मशीन द्वारा लोहे की मोटी चादरें काटने का कार्य किया जा रहा है जिससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या व्याप्त है। उक्त कटिंग मशीन का कार्य मोहल्ला पूर्वा दीनदयाल रेलवे रोड, मेरठ में शिकायतकर्ता के निवास स्थल (घर) के सामने आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा है।

तत्कम में अवगत कराना है कि रिट याचिका सं० 34957/2003 श्रीमती मिथेलश जैन बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा०उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 व उक्त के अनुपालन में जारी शासनादेश सं० सी.एस. 89(1)/9/3/2003-62-रिट/2003 के द्वारा महा योजना/जोनल डेवेलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट में निर्धारित भू-उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल रोक लगाये जाने के आदेश निर्गत हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी **Special leave to appeal (Civil) no (s) 1295/2011 M/s Manoj Mini Rice Mill and Anr Vs State of U.P. and ors** में पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक संचालन किये जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 में ओवरसाइट कमेटी के सुझाव के बिंदु सं० 11 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेश पत्रांक 608/एन०जी०टी०-231/2020 दिनांक 17.08.2020 द्वारा आबादी के मध्य अवैध जल प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों/व्यवसायिक गतिविधियों को रोके जाने के संबंध में समिति का गठन किया गया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्नगत शिकायत पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शिकायत के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशानुसार उपरोक्त आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध चर्मशोधन इकाई की विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. कु० दीपा व अन्य, पूर्वा दीनदयाल रेलवे रोड, मेरठ को सूचनाार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय :- पाकेट -टी, सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2, मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उ०प्र०)
बोर्ड मुख्यालय :- पर्यावरण भवन, टी.सी.-12, वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ०प्र०)

संदर्भ सं०
Ref. No.

1537 / IURs/22

दिनांक
Date

24/12/22

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

विषय :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं० 40013820027432 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं० 40013820027432 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वर्णित शिकायत में उल्लेखित है कि सौरभ शर्मा, मलियाना फ्लाईओवर से प्रथम गली, चौधरी कालोनी, बागपत रोड, मेरठ में अपने निवास स्थल (घर) में ग्लास कटिंग एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है जिससे संचालन से प्रदूषण की समस्या/न्यूसेंस व्याप्त है। उक्त इकाई आवासीय क्षेत्र में संचालित है।

तत्कम में अवगत कराना है कि रिट याचिका सं० 34957/2003 श्रीमती मिथेलश जैन बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा०उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 व उक्त के अनुपालन में जारी शासनादेश सं० सी.एस. 89(1)/9/3/2003-62-रिट/2003 के द्वारा महा योजना/जोनल डेवेलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट में निर्धारित भू-उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल रोक लगाये जाने के आदेश निर्गत हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी **Special leave to appeal (Civil) no (s) 1295/2011 M/s Manoj Mini Rice Mill and Anr Vs State of U.P. and ors** में पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक संचालन किये जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 में ओवरसाइट कमेटी के सुझाव के बिंदु सं० 11 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेश पत्रांक 608/एन०जी०टी०-231/2020 दिनांक 17.08.2020 द्वारा आबादी के मध्य अवैध जल प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों/व्यवसायिक गतिविधियों को रोकें जाने के संबंध में समिति का गठन किया गया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्नगत शिकायत पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शिकायत के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सूचनाथ सादर प्रेषित।
2. अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशानुसार उपरोक्त आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध चर्मशोधन इकाई की विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. श्रीमती अर्चना, चौधरी कालोनी, बागपत रोड, मेरठ को सूचनाथ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय
REGIONAL OFFICE
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

1523/ILRS/220

दिनांक

Date

23/12/2020

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

विषय :- श्री प्रवीन गोयल, प्रिंटिंग प्रेस गोयल बिल्डिंग शिव शक्ति नगर के सामने, ब्रह्मपुरी, मेरठ के विरुद्ध आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं० 40013820026871 द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री प्रवीन गोयल, प्रिंटिंग प्रेस गोयल बिल्डिंग शिव शक्ति नगर के सामने, ब्रह्मपुरी, मेरठ से प्राप्त शिकायत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायत में उल्लेखित है कि श्री प्रवीन गोयल, प्रिंटिंग प्रेस गोयल बिल्डिंग शिव शक्ति नगर के सामने, ब्रह्मपुरी, मेरठ द्वारा आवासीय क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस का संचालन किया जा रहा है जिससे ध्वनि प्रदूषण/न्यूसेंस की समस्या है।

तत्कम में अवगत कराना है कि रिट याचिका सं० 34957/2003 श्रीमती मिथेलश जैन बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा०उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 व उक्त के अनुपालन में जारी शासनादेश सं० सी.एस. 89(1)/9/3/2003-62-रिट/2003 के द्वारा महा योजना/जोनल डेवेलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट में निर्धारित भू-उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल रोक लगाये जाने के आदेश निर्गत हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी Special leave to appeal (Civil) no (s) 1295/2011 M/s Manoj Mini Rice Mill and Anr Vs State of U.P. and ors में पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक संचालन किये जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्नगत शिकायत पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शिकायत के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० योगेन्द्र कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशानुसार उपरोक्त आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध प्रिंटिंग प्रेस की विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. श्री आकाश कुमार, 292 सराय लालदास, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि मा० उच्च न्यायालय, मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं उ०प्र०शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में शिकायत संबंधित विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

(उ०प्र०)

(उ०प्र०)

क्षेत्रीय कार्यालय :- पाकेट -टी, सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2, मोदीपुरम, मेरठ-220110 (उ०प्र०)
बोर्ड मुख्यालय :- पर्यावरण भवन, टी.सी.-12, वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ०प्र०)



क्षेत्रीय व
REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.

1497/ICRS/220

दिनांक
Date

21/12/22

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

विषय :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं० 40013820026344 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री लोकेश कुमार खुराना, सामाजिक कार्यकर्ता, आर0टी0आई0 91, शोहराब गेट, मेरठ से प्राप्त शिकायत का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायत में उल्लेखित है कि हापुड चौराहा से इंद्राचोक चौराहे एवं अन्य कई स्थानों पर मांसाहार परोसने वाले होटल संचालकों द्वारा कबाब सेंकने के लिए लगायी गयी भट्टियों से उत्पन्न धुआं से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त है। तत्कम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण दिनांक 18.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त आवासीय क्षेत्र में मांसाहार परोसने वाले विभिन्न रेस्टोरेंट संचालित हैं जिनमें फूड मैकिंग व वाशिंग से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है।


तत्कम में अवगत कराना है कि रिट याचिका सं० 34957/2003 श्रीमती मिथेलश जैन बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 व उक्त के अनुपालन में जारी शासनादेश सं० सी.एस. 89(1)/9/3/2003-62-रिट/2003 के द्वारा महा योजना/जोनल डेवेलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट में निर्धारित भू-उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल रोक लगाये जाने के आदेश निर्गत हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी Special leave to appeal (Civil) no (s) 1295/2011 M/s Manoj Mini Rice Mill and Anr Vs State of U.P. and ors में पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक/औद्योगिक संचालन किये जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 में ओवरसाइट कमेटी के सुझाव के बिंदु सं० 11 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेश पत्रांक 608/एन०जी०टी०-231/2020 दिनांक 17.08.2020 द्वारा आबादी के मध्य अवैध जल प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों/व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने के संबंध में समिति का गठन किया गया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्नगत शिकायत पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शिकायत के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


संलग्नक=उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(डा० योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. नगर आयुक्त महोदय, मेरठ को मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मेरठ द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुसार अवैध संचालित रेस्टोरेंट्स के चिन्हितकरण हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।
2. अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, घंटाघर, मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशानुसार उपरोक्त आवासीय क्षेत्र में संचालित अवैध रेस्टोरेंट्स की विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. श्री लोकेश कुमार खुराना, सामाजिक कार्यकर्ता, आर०टी०आई० 91, शोहराब गेट, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि मा० उच्च न्यायालय, मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं उ०प्र०शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में शिकायत संबंधित विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय :- पाकेट -टी, सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2, मोदीपुरम, मेरठ-260110 (उ०प्र०)
बोर्ड मुख्यालय :- पर्यावरण भवन, टी.सी.-12, वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ०प्र०)

जिलाधिकारी कार्यालय, मेरठ

आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 में पारित आदेश दिनांक 28/02/2020 में ओवरसाइट कमेटी के सुझाव के बिन्दु सं० xi के मुख्य अंश निम्नवत है:-

"In order to stop effluent discharged from illegal industries, it is suggested that a joint committee of District Administration, Land owning agency, Pollution Control Board, electricity Department and Police be setup. It shall be duty of concerned land-owning agency to do area survey to identify illegal operations, inventorize it and map it. The joint committee should ensure sealing of the industry and disconnection of electricity. Environmental compensation be levied upon the owner of the premises on whose plot/land the illegal industrial/commercial activities are being carried out. It shall be responsibility of concerned officer of land-owning agency and police that industry once sealed should not operate again. Electricity Department should ensure that electrical connection once disconnected should be restored only after permission from concerned land-owning agency."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में ओवरसाइट कमेटी के सुझावों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुक्रम में आदेशित किया जाता है कि समस्त नगर पालिका परिषद एवं विकास प्राधिकरण द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से संचालित उद्योगों को चिन्हित किया जाये तथा निम्नानुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा चिन्हित अवैध इकाईयों को मौके पर ही सीलिंग एवं विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

- सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सरधना/मवाना/मेरठ।
- सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, सरधना/मवाना/परिक्षितगढ़।
- नगर स्वार्थ अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- सहा०पर्या०अभि० उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ।
- सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- अधिशासी अभियंता उ०प्र० विद्युत वितरण निगम, खण्ड I से IV मेरठ।
- पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा नामित क्षेत्राधिकारी।

समस्त नगर पालिका परिषद, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समिति द्वारा सील/विद्युत विच्छेदन की गई इकाईया पुनः संचालित न हों। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अनिल ढोंगरा)
जिलाधिकारी
मेरठ

संदर्भ सं० 608/N9F-231/22

दिनांक 17/8/2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपजिलाधिकारी सरधना/मवाना/मेरठ।
- पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सरधना/मवाना/परिक्षितगढ़।
- सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- सहा०पर्या०अभि० उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
- अधिशासी अभियंता उ०प्र० विद्युत वितरण निगम खण्ड I से IV मेरठ।

जिलाधिकारी
मेरठ

१/८ ~~17/8/2020~~ 20.

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820026206 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं0 40013820026206 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री अक्षत गुप्ता, शिव शक्ति नगर, गोयल वैलडिंग वाली गली, ब्रहमपुरी, मेरठ द्वारा शिकायत की गयी है। उक्त वर्णित शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 05.12.2020 को किया गया। शिकायती स्थल पर श्री प्रवीन गोयल, द्वारा शिव शक्ति नगर, गोयल वैलडिंग वाली गली, ब्रहमपुरी, मेरठ में उद्योग संचालित है जो कि आवासीय क्षेत्र में स्थापित है।

अतः उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनदेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-1-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये है। उक्त शासनदेश के अनुपालन में पत्र सचिव विकास प्राधिकरण/नगर निगम मेरठ को पत्र प्रेषित किये जाने की जाने की संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(एस0पी0सिंह)
अवर अभि0

(अरुण कुमार मिश्र)
सहा0वैज्ञा0अधि0

1395/IGK/2020

प्रेषक,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।

5/12/2020

सेवा में,

1. सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2. नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ

विषय :- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820026206 के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्या में शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित है। अतः शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्री अक्षत गुप्ता, शिव शक्ति नगर, गोयल वैलडिंग वाली गली, ब्रहमपुरी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त संदर्भ सं0 40013820024465 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ सं0 40013820024465 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वर्णित शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिनांक 17.11.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता सूश्री शिवमनी चौहान उपस्थित थी। वर्णित शिकायती स्थल पर बालाजी ग्लास कंपनी स्थापित है जिसमें ग्लास पर कटिंग एवं सर्फेस विल्डिंग का कार्य किया जाता है जिसके कारण वायु प्रदूषण जनित होता है। आवासीय क्षेत्र अवैधरूप से इकाई स्थापित एवं संचालित है जिसका भू-प्रयोग आवासीय है। अवगत है कि आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमन्य नहीं है।

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। अतः शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु नगर निगम/विकास प्राधिकरण, मेरठ को पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।


(अरुण कुमार मिश्र)
सहा0वैज्ञा0अधि0

पत्रांक 11.97/IGRS/2020

दिनांक :- 17/11/2020

प्रेषक,


क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।

सेवा में,

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. नगर आयुक्त,
नगर निगम
मेरठ। | 2. सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ। |
|-------------------------------------|---|

संदर्भ सं0 :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त संदर्भ सं0 40013820024465 के संबंध में

कृपया उपरोक्त संदर्भ सं0 के क्रम में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्यानुसार शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में पत्र इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि शिकायती प्रकरण से संबंधित शिकायत की समस्या के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।


(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्री शिवमनी चौहान, गली नं0 1, चौधरी कालोनी, बागपत रोड, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी





Phone No & Fax :- 0121-21577676

Email id :- romeerut@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय

REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

1219/IGRS/2022

दिनांक

Date

21/11/2022

सेवा में,

1. नगर आयुक्त
नगर निगम
मेरठ।

2. सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

विषय :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के संदर्भ सं० 40013820024884 पर प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि श्री राजीव,70 किशन गली चाहमेमरान राजू की कुईया थाना कोतवाली,मेरठ उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि वर्णित स्थल पर मिष्ठान भंडार का अवैध कारखाना घनी आवासीय क्षेत्र में स्थापित है जिसके संचालन से प्रदूषण हो रहा है।

अग्रेतर उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के अनुपालन में आई0जी0आर0एस0 की उक्त शिकायती पत्र आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि शिकायत के निराकरण एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० योगेन्द्र कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय,मेरठ को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के संदर्भ सं० 40013820024884 के कम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्री राजीव,70 किशन गली चाहमेमरान राजू की कुईया थाना कोतवाली,मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय :- पाकेट टी.सी.-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,मोदीपुरम,मेरठ-250110 (उ0प्र0)
बोर्ड मुख्यालय :- पर्यावरण भवन,टी.सी.-12,वी. विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ-226010 (उ0प्र0)

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820026206 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं0 40013820026206 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री अक्षत गुप्ता, शिव शक्ति नगर, गोयल वैल्डिंग वाली गली, ब्रहमपुरी, मेरठ द्वारा शिकायत की गयी है। उक्त वर्णित शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 05.12.2020 को किया गया। शिकायती स्थल पर श्री प्रवीन गोयल, द्वारा शिव शक्ति नगर, गोयल वैल्डिंग वाली गली, ब्रहमपुरी, मेरठ में उद्योग संचालित है जो कि आवासीय क्षेत्र में स्थापित है।

अतः उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनदेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-1-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनदेश के अनुपालन में पत्र सचिव विकास प्राधिकरण/नगर निगम मेरठ को पत्र प्रेषित किये जाने की जाने की संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(एस0पी0सिंह)
अवर अभि0

(अरुण कुमार मिश्र)
सहा0वैज्ञा0अधि0

1395/ICR/2022

प्रेषक,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।

5/12/2022

सेवा में,

1. सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2. नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ

विषय :- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820026206 के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्या में शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित है। अतः शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्री अक्षत गुप्ता, शिव शक्ति नगर, गोयल वैल्डिंग वाली गली, ब्रहमपुरी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय अधिकारी


आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820025917 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं0 40013820025917 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री सोनवीर, ग्राम पंचायत इंचौली, ब्लाक रजपुरा, तहसील मेरठ सदर, मेरठ द्वारा शिकायत की गयी है। उक्त वर्णित शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.12.2020 को किया गया। शिकायती स्थल पर दिल्ली उर्फ दिलशाद, निकट इण्डिया ए0टी0एम0, ग्राम पंचायत इंचौली, ब्लाक रजपुरा, तहसील मेरठ सदर, मेरठ द्वारा रबड उद्योग संचालित है जो कि आवासीय क्षेत्र में स्थापित है।

अतः उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनदेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-1-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उद्योग द्वारा आवासीय परिसर में अवैधानिक तरीके से रबड को जलाकर पाइरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा रबर आयल निकालने का कार्य किया जाता है जिस हेतु उद्योग में एक बेबी ब्यलर स्थापित है जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उद्योग को एन0ओ0सी0 सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है। अतः उद्योग को नोटिस प्रेषित करना उचित होगा। संस्तुति सहित आख्या सादर प्रस्तुत है।


(राजबहादुर)
जे0आर0एफ0


(एस0पी0सिंह)
अवर अभि0


(आर0के0सिंह)
पर्यावरण अभियंता


प्रेषक,

1394/IGPs/2022

5/12/20

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।


सेवा में

 दिल्ली उर्फ दिलशाद,
निकट इण्डिया ए0टी0एम0, ग्राम पंचायत इंचौली, ब्लाक रजपुरा,
तहसील मेरठ सदर, मेरठ

विषय :- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820025917 के संबंध में


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्या में शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित है। तत्कम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनदेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-1-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उद्योग द्वारा आवासीय परिसर में अवैधानिक तरीके से रबड को जलाकर पाइरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा रबर आयल निकालने का कार्य किया जाता है जिस हेतु उद्योग में एक बेबी ब्यलर स्थापित है जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उद्योग को एन0ओ0सी0 सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु राज्य बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के उत्तरदायी व्यक्तियों के स्वयं का होगा।


(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्री सोनवीर, ग्राम पंचायत इंचौली, ब्लाक रजपुरा, तहसील मेरठ सदर, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820013006, 40013820013007 के संबंध में आख्या।

उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820013006, 40013820019007 के संदर्भ में निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में दिनांक 30.06.2020 को किया गया। गली नं0 5, मेरठ कैलीब्रेट स्पेशलिटी इलास्टोमर्स इण्डिया प्रा0लि0, कंकरखेडा, मेरठ में स्थित है जिसका संचालन मार्च 2019 से किया जा रहा है। इकाई में मुख्य कच्चे माल के रूप में सिलिकान रबर, क्वार्टस एवं कैल्शियम स्टेरेटस का प्रयोग कर रबर कंपाउंड का निर्माण किया जाता है। इकाई में दो नीडर मशीन, दो मिक्सिंग मिल स्थापित है। इकाई में कोई मट्री कि एकास्टिकयुक्त है एवं प्रथम तल पर स्थापित है। इकाई का संचालन श्री जसपाल सिंह, पार्टनर द्वारा किया जाता है।

अग्रेतर उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के अनुपालन में नगर निगम/मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।


(बासुदेव)
अनुश्रवण सहा0


(अरुण कुमार मिश्र)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी


पत्रांक 36-245/2020

दिनांक :- 7/7/2020

प्रेषक,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।


सेवा में,


सचिव, विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम
मेरठ।


विषय :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 के संबंध में।

कृपया उपरोक्त संदर्भ सं0 के क्रम में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्यानुसार शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित है। उक्त शिकायती प्रकरणों के निस्तारण हेतु आपको पत्र इस आशय के साथ पुनः प्रेषित किया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।


(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मेरठ को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820013006, 40013820013007 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. शिकायतकर्ता सुशील कुमार, गली नं0 5, कंकरखेडा, मेरठ कैंट मेरठ निकट सतीश चौक को सूचनार्थ प्रेषित।
3. शिकायतकर्ता श्याम सिंह, गली नं0 5, मकान सं0 111 राम नगर, निकट सतीश चौक, कंकरखेडा, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

O/C


आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 920138000028689 के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायती संदर्भ सं0 920138000028689 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शिकायतकर्ता श्री इस्तिखार, विकास खण्ड-रजपुरा, तहसील मेरठ सदर, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्णित स्थल पर संचालित भट्टी में प्लास्टिक, पन्नी, रबड आदि को जलाया जाता है जिससे जहरीला धुंआ निकलना तथा वायु प्रदूषण की समस्या होना सूचित किया गया है। संदर्भित शिकायती स्थल आवासीय क्षेत्र में स्थित है तथा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति/सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। अतः शिकायती उद्योगों को बंद कराने/अन्यत्र शिफ्ट कराने के संबंध में नगर निगम तथा मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को संस्तुति सहित पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।


(आर0के0सिंह)
सहा0पर्या0अभि0

पत्रांक 139/P.P.S./2020

दिनांक :- 2/6/2020

प्रेषक,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।


सेवा में,

① सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

② वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम
मेरठ।

संदर्भ सं0 :- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 920138000028689 के संबंध में।

कृपया उपरोक्त संदर्भ सं0 के क्रम में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्यानुसार शिकायत से बंधित समस्त तथ्य समावेशित है। तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत इकाईयां आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित की जा रही हैं तथा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं की गयी है। मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उद्योगों को बंद कराने अथवा आवासीय क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री इस्तिखार, विकास खण्ड-रजपुरा, तहसील मेरठ सदर, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

309/1415/22

दिनांक

Dated

1/7/22

सेवा में,

1. नगर आयुक्त
नगर निगम
मेरठ।
2. सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

विषय :- आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक / वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई०जी०आर०एस० पोर्टल से प्राप्त आई०जी०आर०एस० संदर्भ सं० 18138200015473 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शिकायतकर्ता श्री बृजपाल कश्यप पुत्र श्री चंदरु सिंह कश्यप, नंगलाताशी, अशोक नगर, जिला-मेरठ की शिकायत आवासीय कालोनी में अवैधरूप से कारखानों को हटवाने के संबंध में इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

अग्रेतर उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय उ०प्र०शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० सी०एस०-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक / वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम / विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के अनुपालन में आई०जी०आर०एस० की उक्त शिकायती पत्र आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि शिकायत के निराकरण एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता एवं इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय,




(डा० योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. शिकायतकर्ता श्री बृजपाल कश्यप पुत्र श्री चंदरु सिंह कश्यप, नंगलाताशी, अशोक नगर, जिला-मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।




क्षेत्रीय अधिकारी


o/c 
150

आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820012299,40013820012295 एवं 40013820012077 के संबंध में आख्या।

उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820012299,40013820012295 एवं 40013820012077 के संदर्भ में निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.08.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय विपुल वर्मा आदि उपस्थित थे। मै0 कैलीब्रेट स्पेशलिटी इलास्टोमर्स इण्डिया प्रा0लि0,कंकरखेडा,मेरठ में स्थित है जिसका संचालन मार्च 2019 से किया जा रहा है। इकाई में मुख्य कच्चे माल के रूप में सीलीकान रबर,क्वार्टस एवं कैल्शियम स्टेरेटस का प्रयोग कर रबर कंपाउंड का निर्माण किया जाता है। इकाई में दो नीडर मशीन, दो मिक्सिंग मिल स्थापित है। इकाई में कोई भट्टी स्थापित नहीं पायी गयी। वैकल्पिक वैद्युत ऊर्जा के आपूर्ति हेतु एक 63.0 के0वी0ए0 क्षमता का महिंद्रा मेक जनरेटर जो कि एकास्टिकयुक्त है एवं प्रथम तल पर स्थापित है। इकाई का संचालन श्री जसपाल सिंह,पार्टनर द्वारा किया जाता है। इकाई आवासीय क्षेत्र में स्थित है।

अग्रेतर उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय,उ0प्र0शासन द्वारा शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62(रिट)/2003 दिनांक 10.11.2003 के द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु संबंधी नगर निगम/विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के अनुपालन में नगर निगम/मेरठ विकास प्राधिकरण,मेरठ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।


(बासुदेव)
अनुश्रवण सहा0


(अरुण कुमार मिश्र)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

पत्रांक 310/24/22

दिनांक :- 1/7/2020

प्रेषक,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।


सेवा में,

सचिव विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम
मेरठ।


विषय :- आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820012299,40013820012295 एवं 40013820012077 के संबंध में।

कृपया उपरोक्त संदर्भ सं0 के क्रम में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्यानुसार शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित है। उक्त शिकायती प्रकरणों के निस्तारण हेतु आपको पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।


(डा0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मेरठ को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 40013820012299,40013820012295 एवं 40013820012077 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. शिकायतकर्ता सोनम,मकान सं0 203/23,राम नगर,गली नं0 5,कंकरखेडा,मेरठ कैंट मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. शिकायतकर्ता अरविंद कुमार,मकान सं0 203/8,(इन फंट आफ फेक्ट्री) गली नं0 5,राम नगर,नियर सतीश चौक, कंकरखेडा,मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

o/c
Arun
A.S.O.

आईजीआरएस पोर्टल के संदर्भ संख्या- 40013820011273, 40013820011768, 40013820011806 पर प्राप्त शिकायत के संबंध में ।

आईजीआरएस पोर्टल के संदर्भ संख्या-40013820011273, 40013820011768, 40013820011806 से शिकायतकर्ता श्री मुकुल, सुशील कुमार, श्यामसिंह द्वारा निवासी कंकरखेड़ा, मेरठ से प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में अवगत करना है कि आवासीय क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति जल/वायु निर्गत नहीं की जाती है न ही उपरोक्त वर्णित कारखाने को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है । बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच35723/सी-4/ओ0ए0नं0-64/2016 दिनांक-10/5/19 में उल्लेखित मा0सर्वोच्च न्यायालय, मा0एनजीटी, नई दिल्ली एवं मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित हैं कि आबादी के क्षेत्रांतर्गत व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है । अतः उपरोक्त शिकायत मूलरूप में संलग्नकर तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी आदेश की छायाप्रति संलग्नकर शिकायत उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित करना उचित होगा कि प्राप्त शिकायत के कम में संबंधित अधिकारी को आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यवसायिक गतिविधि को रोके जाने हेतु आदेशित करना चाहेंगे । प्रकरण संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

(एस0पी0सिंह)

(आर0क0सिंह)

अवर अभियंता

सहा0पर्या0अभियंता

पत्रांक- 256 / 14RS / 2020
प्रेषक,

दिनांक- 24/6/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

विषय- आईजीआरएस पोर्टल के संदर्भ संख्या-40013820011273, 40013820011768, 40013820011806 पर प्राप्त शिकायत के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भ संख्या के कम में इस कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त आख्या में शिकायत से संबंधित समस्त तथ्य समावेशित हैं । उपरोक्त शिकायत एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति संलग्नकर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शिकायत के कम में संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करना चाहेंगे ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि-जिला अग्निशमन अधिकारी, मेरठ को शिकायत व आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शिकायती प्रकरण पर शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

DETAILS OF CLOSER ORDER ISSUED & ENVIRONMENTAL COMPENSATION IMPOSED IN DISTRICT MEERUT

क्र०सं०	उद्योग का नाम व पता	धनराशि
1.	मै० मेहताब पुत्र श्री सत्तार द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
2.	मै० गुलफाम पुत्र हाजी गफफार द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
3.	मै० गुफरान पुत्र श्री कल्लू द्वारा संचालित, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
4.	मै० इमरान पुत्र श्री मासूम द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
5.	मै० मेहताब पुत्र श्री अक्तर द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
6.	मै० देवेन्द्र पुत्र श्री खचेडू शर्मा द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
7.	मै० मेहताब पुत्र श्री जमील द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
8.	मै० हनीफ पुत्र श्री याकूब द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
9.	मै० शादाब पुत्र श्री मासूम द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
10.	मै० आसिफ पुत्र श्री शमशाद द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
11.	मै० तैमूर पुत्र श्री मार्गी द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
12.	मै० रामपाल पुत्र श्री श्याम द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
13.	मै० अक्तर पुत्र श्री मोती द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
14.	मै० फरमान पुत्र श्री मौ० जिगर द्वारा संचालित कोल्हू, ग्राम खरदौनी, मेरठ	181250
15.	मै० नावला इस्पात सरधना रोड़, मेरठ	2500000
16.	मै० दुर्गा बिल्डर्स शामली रोड़, कंकरखेड़ा, मेरठ	2500000
17.	मै० स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन, खसरा सं० 64, ग्राम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड़, मेरठ।	581250
18.	मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरुद्दीनपुर नानू, तहसील सरधना, मेरठ	10000
19.	मै० पसवारा पेपरस्, मोहद्दीनपुर, मेरठ	360000
20.	मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर (डीस्टलरी यूनिट), किनौनी, मेरठ	
21.	मै० जी०आर० इन्फ्राटैक्ट	
22.	मै० पारस कैमीकल,	
23.	मै० श्री महावीर पुत्र श्री जगत, मौजीपुरा, मेरठ	
	टोटल	

Pollution Hotspots For Non-Attainment Cities

Annexure IP 4

MEERUT

CITY	Pollution Source	Identified Stretches/Regions	Complete Address	Latitude	Longitude
MEERUT	Road Dust/ Unpaved Roads	Partapur to Modipuram (Bypass road) NH 58	Meerut Bypass Rd, Partapur, Aminagar Urf Bhurbaral, Meerut	28°54'53.0"N	77°38'30.5"E
		Begumpul to Bijlibumba bypass, (Hapur road)	NH334, Daurli, Meerut, Uttar Pradesh 250001	29°02'52.9"N	77°42'27.3"E
		Begumpul to Partapur(Delhi road)	Delhi Rd, Sotiganj, Meerut, Uttar Pradesh 250001	28°59'41.7"N	77°42'19.3"E
	Industrial	Partapur Industrial area	Taz Garden Colony, Bijli Bamba Bypass Rd, Gali No. 6, R, Meerut, Uttar Pradesh 250002	28°55'50.7"N	77°41'50.8"E
		Mohkampur Industrial area	Delhi Rd, Sotiganj, Meerut, Uttar Pradesh 250001	28°59'41.7"N	77°42'19.3"E
		Hapur Road & Dheerkhera Industrial area		28°54'53.0"N	77°38'30.5"E
	Vehicular/ Traffic Congestion	Garh Road	Garh Rd, Takshila Colony, Jagrati Vihar, Meerut, Uttar Pradesh 250004	28°57'22.9"N	77°45'13.1"E
		Shohrab Gate Bus Stand	Shohrab Gate Bus Stand	28°58'12.1"N	77°43'21.2"E
		Hapur Road	NH34, Shyam Nagar, Meerut, Uttar Pradesh 250002	28°56'45.8"N	77°43'24.5"E
		Hapur-Delhi Link Road	Horam Nagar, Brahmपुरi Thana, Meerut, Uttar Pradesh 250001	28°58'15.7"N	77°42'05.3"E
		HRS Chowk	Delhi Rd, Shambhu Nagar, Devpuri, Meerut, Uttar Pradesh 250002	28°58'25.8"N	77°41'28.3"E
	Garbage Dumping/Burning	Village- Ganwadi	Rali Chauhan, Village- Ganwadi, Meerut, Uttar Pradesh	28°53'25.3" N	77°35'31.3"E
		Lohiya Nagar Village- Ghosipur, Hapur Road, Meerut	Lohiya Nagar Village- Ghosipur, Hapur Road NH334, Meerut, Uttar Pradesh 250002	28°55'34.6"N	77°43'50.7"E
		Mangatpuram, delhi road, Meerut	Surya Palac Colony, delhi road, Meerut	28°56'54"N	77°41'16"E

Annexure IP 5

Emission Monitoring results of SO₂ and NO_x conducted by SPCB/PCC

Format-VI

S. No.	Name of the SPCB/PCC:	Name and Address of the industry	District	Sector *	Emission Monitoring data for SO ₂ and NO _x (mg/Nm ³)	Remark
1		II	III	IV	V	VI
1		M/s Alps Industries Ltd., Bhoobaral, Meerut	Meerut	Textile	SOX-32 NOX-28	
2		M/s Apco Dychem Pvt Ltd. Village Ineholi, Mawana Road, Meerut	Meerut	Chemical	SOX-40 NOX-30	
3		M/s Anand Triplex Board Ltd., Vill - Saini, Mawana Road, Mawana, Meerut	Meerut	Paper	SOX-540 NOX-180	
4		M/s Kanav Papers Pvt Ltd Panehli, Bagpath Road, Meerut	Meerut	Paper	SOX-34 NOX-27	
5		M/s Starkraft Papers Pvt Ltd, Panehli, Bagpath Road, Meerut	Meerut	Paper	SOX-30 NOX-28	
6		M/s Janki news print pvt. ltd, (Sumit Agro Products Ltd.) Panehli Bagpath Road, Meerut	Meerut	Paper	SOX-38 NOX-28	
7		M/s Sangeal Papers Ltd, Bhainsa, Mawana Road, Meerut	Meerut	Paper	SOX-42 NOX-30	
8		M/s Shri Venkatesh Paper Ltd (Formerly known as Anand Tissues Ltd.), Vill, Fikari, Mawana, Meerut	Meerut	Paper	SOX-370 NOX-130	
9		Ramala Sahkari chini Mills Ltd, Ramala, Bagpath	Meerut	Paper		
10		SBEC Sugar Ltd, Lovan Malakpur, Bagpath	Bagpat	Sugar		Not operational due to off season
11		The Bagpath Co-Operative Sugar Mills Ltd, Bagpath	Bagpat	Sugar		Not operational due to off season
12		Al-Faheem Meatex Pvt. Ltd., Vill.-Alipur, Hapur Road, Meerut	Meerut	Sugar		Not operational due to off season
13		Anupam Processers, Partapur, Meerut	Meerut	Slaughter House		Not operational
14		Arshi Textiles, Hapur Road, Meerut	Meerut	Textile	SOX-50 NOX-36	
15		Ashoka Handloom Pvt Ltd Garh road, Meerut	Meerut	Textile	..	Closed
16		Biharial Karaha Udyog, Garh Road, Meerut	Meerut	Textile	SOX-315 NOX-108	
17		Daurala Organics Ltd, Daurala, Meerut	Meerut	Textile	SOX-48 NOX-32	
18		Daurala Sugar Works (Chemical Unit) Daurala, Meerut	Meerut	Chemical	..	Steam Supplied sister concern unit
19		Dev. Priya industries Ltd. -Unit II Vill - Saini Mawana Road, Mrt	Meerut	Paper	..	Steam Supplied sister concern unit
20		Harbans Lal Foods Pvt. Ltd. Mohiuddinjpur, Meerut	Meerut	Dairy	SOX-36 NOX-26	
21		Kamal Dying House, B-5, Udyogpuram, Meerut	Meerut	Textile	SOX-48 NOX-32	
22		Kanta Polytex P Ltd, By pass Road, Vedyvas Puri, Meerut	Meerut	Textile	SOX-36 NOX-26	
23		Kokotoke India Pvt. Ltd, Alipur, Meerut	Meerut	Offshs	..	Closed
24		M/s Loothara Handloom Pvt. Ltd, Gangol Road, Meerut	Meerut	Textile	..	Closed
25		M/s Racht Prints, B-9, 10, 11 Udyogpuram, Meerut	Meerut	Textile	..	Closed
26		M/s Rama Tax Process House, Rihani, Meerut	Meerut	Textile	..	Closed
27		Pashupati Textiles, Garh Road, Meerut	Meerut	Textile	SOX-36 NOX-28	
28		Rai Kumar Textiles, A-16 Udyogpuram, Meerut	Meerut	Textile	SOX-42 NOX-24	
29		Sardhana Papers Pvt Ltd., Sardhana, Meerut	Meerut	Textile	SOX-40 NOX-28	
30		SGS Prints (Shilpy Handfab Pvt. Ltd), Garh Road, Meerut	Meerut	Paper	SOX-47 NOX-32	
31		Shakun Handifab, Partapur, Meerut	Meerut	Textile	..	Closed
32		Shiva Fastners, Partapur, Meerut	Meerut	Textile	SOX-44 NOX-36	
33		Soliare Foods Pvt Ltd, Gagol Road, Partapur, Meerut	Meerut	Textile	SOX-32 NOX-26	
34		Tanya Marketing Pvt. Ltd, Alipur Jimana Hapur Road, Meerut	Meerut	Dairy	SOX-34 NOX-27	
35		U.P Dying & Printing Works, 68 Navehandi Ground, Meerut	Meerut	Slaughter House		Not operational
36		Anand Duplex Ltd. Unit -I, Vill - Saini Mawana Road, Mawana	Meerut	Textile	SOX-40 NOX-32	
37		Anand Duplex Ltd. Unit -II, Vill - Saini Mawana Road, Mawana	Meerut	Paper	..	Steam Supplied sister concern unit
38		Bajaj Hindustan Ltd. Distillery Unit, Kinomi, Meerut	Meerut	Paper	..	Steam Supplied sister concern unit
39		Bajaj Hindustan Ltd. Sugar, Kinomi, Meerut	Meerut	Distillery	SOX-37 NOX-26	Not operational due to off season

41	Daurala Sugar Works: Distillery Unit Daurala, Meerut	Meerut	distillery	SOX-36 NOX-24	Steam Supplied sister concern unit
42	Daurala Sugar Works: Sugar Unit, Daurala, Meerut	Meerut	Sugar		Steam Supplied sister concern unit
43	IPL (U.P. State Sugar Corp. Ltd). Sakauti Tanda, Meerut	Meerut	Sugar		Not operational due to off season
44	Mawana Sugar Works, Mawana, Meerut	Meerut	Distillery	SOX-38 NOX-29	Steam Supplied sister concern unit
45	Naglamal Sugar Complex. (Distillery Unit), Naglamal, Meerut	Meerut	Sugar	SOX-36 NOX-24	
46	Naglamal Sugar Complex Garh Road, Meerut	Meerut	Paper		
47	New Bonania India Ltd., Saini, Mawana Road, Meerut	Meerut	Sugar		Not operational due to off season
48	UP State Sugar Corp. Ltd. Mohiuddinpur, Meerut	Meerut	dairy	SOX-40 NOX-29	
49	Goga Foods Ltd., Saharanpur Road, Bagpat	Bagpat	paper	SOX-40 NOX-30	
50	Gangeswar Papers Ltd, Dandabera, Delhi Road, Bagpat	Meerut	Textile		Closed
51	M/s Laxmi Industries Udyogpuram, Meerut	Meerut	Dairy	SOX-545 NOX-205	
52	M/s Gangol Sekhari Dugadh Upadak Sangh Ltd, Gangol Road, Partapur, Meerut	Meerut	Galvalizing	..	Not operational
53	M/s ASPG Infrastructure Ltd, Partapur, Meerut	Meerut	Paper	SOX-556 NOX-192	
54	M/s Dev. Priva Papers Pvt Ltd. VIII - Saini, Mawana Road, Meerut	Meerut	Paper	SOX-534 NOX-202	
55	M/s Al-Saqib Export Pvt. Ltd. Alipur Jimana, Hapur Road, Meerut	Meerut	Slaughter House	SOX-170 NOX-110	
56	M/s Continental Home Furnishing, Dundaheba, Khekda, Bagpath	Bagpat	Textile	SOX-470 NOX-158	
57	Wearvex Overseas, Pathshala Road, Khekra, Bagpath	Bagpat	Textile	SOX-540 NOX-182	
58	Continental India Ltd., Modipuram, Meerut	Meerut	Tyre	SOX-524 NOX-178	
59	Deepika Export, Rati Chauhan, Parkshit Garh, Meerut	Meerut	Metal Article	SOX-216 NOX-224	
60	Jyoti Industries/Changed name S.S Textiles), E-86, udyogpuram Partapur, Meerut	Meerut	Textile	SOX-380 NOX-138	
61	National Handloom, Mohkampur, Meerut	Meerut	Textile	SOX-410 NOX-176	
62	M/s Smergy Waste Management Pvt. Ltd Subhari, Meerut	Meerut	BMW	SOX-98 NOX-68	
63	M/s Bharal Agro Molecules Achronda, Meerut	Meerut	Misc	SOX-460 NOX-158	
64	M/s Shikahari Metal Ami nagar Saray, Bagpat	Bagpat	Metal		Not operational
65	M/s Paswara Papers Ltd, Mohiuddinpur, Delhi Road, Mrt	Meerut	Paper	SOX-457 NOX-192	
66	Kailash Dairy, Rithani, Delhi road, Meerut	Meerut	Dairy	SOX-330 NOX-181	
67	M/s Modern Process House, Mohakampur, Meerut	Meerut	Textile	SOX-432 NOX-188	
68	M/s Daxal Fertilizer, Partapur, Meerut	Meerut	Fertilizer	SOX-27 NOX-20	
69	M/s An Heuser Busch In Bev, Meerut Cantt, Meerut	Meerut	Beveries	SOX-119 NOX-105	

Note:

* Please write one sector out of the following : (1) Sugar (2) cotton textile (3) composite woollen mills (4) synthetic rubber (5) pulp & Paper (6) distilleries (7) leather industries (8) calcium carbide
 (For any clarification, pl. contact on tel: 011-43102432, 9968276538)


 ARB

आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 231/2014 में पारित आदेश दिनांक 28/02/2020 में ओवरसाइट कमेटी के सुझाव के बिन्दु सं० xi के मुख्य अंश निम्नवत है:-

"In order to stop effluent discharged from illegal industries, it is suggested that a joint committee of District Administration, Land owning agency, Pollution Control Board, electricity Department and Police be setup. It shall be duty of concerned land-owning agency to do area survey to identify illegal operations, inventorize it and map it. The joint committee should ensure sealing of the industry and disconnection of electricity. Environmental compensation be levied upon the owner of the premises on whose plot/land the illegal industrial/commercial activities are being carried out. It shall be responsibility of concerned officer of land-owning agency and police that industry once sealed should not operate again. Electricity Department should ensure that electrical connection once disconnected should be restored only after permission from concerned land-owning agency."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में ओवरसाइट कमेटी के सुझावों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुक्रम में आदेशित किया जाता है कि समस्त नगर पालिका परिषद एवं विकास प्राधिकरण द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से संचालित उद्योगों को चिन्हित किया जाये तथा निम्नानुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा चिन्हित अवैध इकाईयों को मौके पर ही सीलिंग एवं विद्युत विच्छेद की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

- सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सरधना/मवाना/मेरठ।
- सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, सरधना/मवाना/परिक्षितगढ़।
- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
- सहा०पर्या०अभि० उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
- सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- अधिशासी अभियंता उ०प्र० विद्युत वितरण निगम, खण्ड I से IV मेरठ।
- पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा नामित क्षेत्राधिकारी।

समस्त नगर पालिका परिषद, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समिति द्वारा सील/विद्युत विच्छेदन की गई इकाईया पुनः संचालित न हों। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अनिल दीगरा)
जिलाधिकारी
मेरठ

संदर्भ सं० 608/NPT-231/2-2

दिनांक 17/8/2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपजिलाधिकारी सरधना/मवाना/मेरठ।
- पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सरधना/मवाना/परिक्षितगढ़।
- सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- सहा०पर्या०अभि० उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
- अधिशासी अभियंता उ०प्र० विद्युत वितरण निगम खण्ड I से IV मेरठ।

जिलाधिकारी
मेरठ

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या संख्या 45228 सी-3/वायु-679/40310/मेरठ/2020 दिनांक 20/11/2020

सेवा में

पंजीकृत

श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह द्वारा संचालित कोल्डू
गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ।

यह कि श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-30 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू के विरुद्ध धारा जन शिकायत के अनुक्रम में इकाई का क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.10.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई संचालनकर्ता अपने घर में एक भट्ठी स्थापित की गयी है जिसमें ईंधन के रूप में लकड़ी एवं उपले आदि का प्रयोग किया जाता है। उक्त भट्ठी में ईंधन को दहन से जनित वायु उत्सर्जन के निवारण हेतु कोई भी वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। उक्त भाग भट्ठी धनी ब्लाक की मध्य स्थापित एवं संचालित है जिससे गामवासियों को समस्या होना स्वाभाविक है।

यह कि रिट याचिका संख्या 34987/2003, श्रीमती मिश्रलेश जैन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक-13.08.2003 व उक्त के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या सी०एस० 89(1)/9 /3/ 2003 - 02-रिट/2003 के द्वारा महाधोजना/जोमल डेयलेपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान/ ले- आउट प्लान में निर्धारित सु-रजम/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल रोक लगाये जाने का आदेश निर्गत है। उक्त सरोच्च न्यायालय द्वारा भी Special Leave to Appeal (Civil) No (s). 4295/2011, M S Manoj Mini Rice Mill & Ann Versus State of U.P. & ORS. में पारित आदेश दिनांक-23.09.2013 द्वारा आवासीय क्षेत्र में वास्तविक/औद्योगिक संचालन किये जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू द्वारा कारित वायु प्रदूषण के कारण जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में एवं जनमानस की स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक हो गया है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को तत्काल रोक जायें।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड का प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू के विरुद्ध राक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं

1. यह कि श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू के संचालन/उत्पादन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि राक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि श्री महावीर पुत्र श्री जगत सिंह गाम फलावदा, मोजीपुरा बातनौर, ब्लाक मवाना कला, मेरठ द्वारा संचालित कोल्डू को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं का तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

राक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

कृते मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

2/-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या **HS-7058** / सी-3 / वायु-710 / 60350 / नैरठ / 2020 दिनांक **2-11-20**

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स,
ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा,
मेरठ।

यह कि मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ जोकि कच्चे माल के रूप में ग्रिट रोड/डस्ट, बिल्टिंग का प्रयोग कर हाटमिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-20 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ का एनजीओ अंतर्गत वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के दृष्टिगत ग्रेड्डेड रिगारास एक्शन प्लान के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा हाटमिक्स प्लाण्ट का निरीक्षण दिनांक 27.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय हाटमिक्स प्लाण्ट संचालित नया गया। निरीक्षण के समय प्रसन्नगत हाटमिक्स प्लाण्ट में वायु प्रदूषण व्यवस्था के रूप में 07 मीटर ऊँचे चिमनी के अतिरिक्त अन्य कोई वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिस कारण हाटमिक्स प्लाण्ट के संचालन से अत्यंत काला धुआ (विजिबल पार्टिकुल) आस पास के वातावरण में पाया गया। हाटमिक्स प्लाण्ट के संचालन से अनुमति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो गयी है। दिनांक 25.12.2020 को एवं 26.12.2020 में उत्तर प्रदेश मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 के से अधिक रिकार्ड किया गया है जोकि बेरी पुअर की श्रेणी में है। ना0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ. ए. संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य वर्तित यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुसार इण्डस्ट्रियल एनीशन बेरी पुअर की स्थिति में रु0-25 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियम किये जाने का प्रावधान किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ द्वारा कारित वायु प्रदूषण के कारण जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में एवं जनमानस को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक हो गया है कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को तत्काल रोक जाये।

अतः वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ के विरुद्ध सखन अधिकारी को अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ के संचालन/उत्पादन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सखन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ को निलने वाली दिजलो, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

यह कि ना0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ.ए. संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य वर्तित यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुसरण में मै0 नौ दुर्गा बिल्डर्स, ग्राम-नंगला, शामली रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ पर इण्डस्ट्रियल एनीशन बेरी पुअर की स्थिति में रु0-25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिसूचित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को धरती को उपाय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिन्दी खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक में जमा संख्या-701502010002104 आई0एफ0एल0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करे अन्यथा उक्त की वसूली नू-राजस्व की नाँति कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सखन अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

(एन0जी0 बोर्डन)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (नृत्त-3)

2/-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या संख्या U.P.P.C.B./सी-3/वायु-682/40आ10/मेरठ/2020 दिनांक 29.11.20

सेवा में

पंजीकृत

मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स,
खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड,
मेरठ।

यह कि मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ जोकि वान करिता के जारी हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ का क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.11.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में लगभग 50-60 मूत्र जानवरों के अवशेष (हड्डियों इत्यादि) एकत्रित पाये गये तथा कुल 5-6 व्यक्ति उपस्थित पाये गये। उद्योग में कुल दो वैन कृषि मशीन स्थापित पायी गयी जहाँ पर 5-7 महिलाएं हड्डियों के पैकिंग एवं अन्य कार्य करते हुए पायी गयी। उद्योग को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं की गयी है। उद्योग का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। पूर्व निरीक्षण आख्या दिनांक 03.09.2019 के अनुसार उद्योग का मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर स्वीकृत कराय जाने के कारण सील किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग के किसी भी दार अथवा प्लाट/मशीनरी पर सील लगी नहीं पायी गयी। निरीक्षण आख्या के अनुसार उद्योग द्वारा दिनांक 06.08.2020 से दिनांक 06.11.2020 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ द्वारा कारित वायु प्रदूषण के कारण जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में एव जनमानस को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक हो गया है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को तत्काल रोक जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ के विरुद्ध सखम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ के संचालन/उत्पादन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सखम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोटीन प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ को गिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

यह कि मा0 सखम हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मेटाडॉलोजी के अनुसार उद्योग मै0 श्री स्टेण्डर्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स, खसरा संख्या 64, गाम पीपली खेड़ा, हापुड़ रोड, मेरठ पर दिनांक 06.08.2020 से दिनांक 06.11.2020 अर्थात् कुल 93 दिनों का पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए ₹0-6,250/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹0-5,81,250 का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिसूचित किया जाता है। अतः जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक की अवधि हेतु भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभावी रहेगी, के साथ आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के युनिट नैक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोगली नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें अन्यथा उक्त की वसूली भू-राजस्व की गति कराय जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सखम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

कृते मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोगली नगर, लखनऊ-226010

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

ई-मेल-info@uppecb.com

e-mail: info@uppecb.com

वेब साइट www.uppcb.com

Web site www.uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदरम सख्या 115/24/सी-3/जल-697/बंदी आदेश/मेरठ/2020 दिनांक 27/11/20

सेवा में,

पंजीकृत

मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग,

खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना,
मेरठ।

यह कि मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना, जनपद-मेरठ जोकि कच्चे माल के रूप में फैंट्रिक, डाईज एवं कैमिकल्स का प्रयोग कर डाईज एवं वाशिंग प्रक्रिया द्वारा रेडीमेड गारमेट का उत्पादन करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना, जनपद-मेरठ का क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 31.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित अशुद्धीकृत उत्प्रवाह सीधे ही सरधना ड्रेन में निस्तारित होता पाया गया। उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नहीं की गयी है। उद्योग के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। उद्योग का यह कृत्य मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है।

यह कि उद्योग मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना, जनपद-मेरठ द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर प्रदूषित उत्प्रवाह को ड्रेन में निस्तारित कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल जा रहा है, जांकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना, जनपद-मेरठ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं -

- 1 यह कि मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना, जनपद-मेरठ के संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142 ग्राम बदरूददीनपुर, नानू, तहसील सरधना, जनपद-मेरठ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार उद्योग मै० श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, खसरा संख्या-1142, ग्राम-बदरूददीनपुर, नानू, तहसील-सरधना, जनपद-मेरठ पर निरीक्षण दिनांक 31.10.2020 एक दिवस का पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रु०-10,000/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाता है। अग्रेतर दिनांक 01.11.2020 से जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक की अवधि हेतु रु०-10,000/- प्रतिदिन को दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभावी रहेगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खातः संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें अन्यथा उक्त की वसूली भू-राजस्व की भांति कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

कृते मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

2/-

टी०सी०-12 की, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या संख्या H 55/886

/सी-3/वायु-410/का0वोनोटिस/मेरठ/2020 दिनांक 8/12/20

सेवा में

मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0,
मेरठ रोड, सरधना,
मेरठ।

पंजीकृत

यह कि मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ जोकि कच्चे माल के रूप में स्केम प्रायर्सन, सफ़ा आधरण का प्रयोग कर एमएस इंगटर्स के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ का एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पास एक्शन प्लान के अन्तर्गत शक्ति भण्डारण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.12.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में वायु प्रदूषण के स्रोत के रूप में 02 इंडक्शन फर्नेस स्थापित है जिस पर उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्क्रबर तथा 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय इंडक्शन फर्नेस संचालित पायी गयी जिस पर हुड इत्यादि स्थापित पाये गये तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पूर्णतः बंद पायी गयी, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में अत्यंत धुओं (विजियल पॉल्यूशन) पाया गया। निरीक्षण के समय दिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित किये उद्योग संचालित होने के कारण उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन सीधे ही वातावरण में निस्तारित होता पाया गया, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में काला धुओं पाया गया। दिनांक 01.12.2020 को जनपद मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 के स्तर से अधिक रिकार्ड किया गया। निरीक्षण दिनांक 02.12.2020 से पूर्व 48 घंटों में जनपद मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेरी पुअर श्रेणी में रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ.ए. संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बर्सस यूनियन आफ इंडिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुसार इण्डस्ट्रियल एमीशन बेरी पुअर की स्थिति में रू0-25 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उद्योग को दिनांक 31.12.2023 तक सहमति वायु निर्गत की गयी थी, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सफ़िद (रिवोक) कर दिया गया है। उद्योग के विरुद्ध वायु अधिनियम के अन्तर्गत जारी कारण वताओ नोटिस दिनांक 29.10.2020 का उद्योग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ द्वारा कारित वायु प्रदूषण के कारण जनसंवास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में एवं जनमानस को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक हो गया है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को तत्काल रोक जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित की धारा 31 (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड का प्रदत्त शक्तियों के अधीन बोर्ड के पत्र संख्या 54481/सी-3/वायु-410/का0वोनोटिस/मेरठ/2020 दिनांक-29.10.2020 में वर्णित निर्देशों को पुरि कर मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ के संचालन/उत्पादन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 नावला इस्पात प्रा0लि0, मेरठ रोड, सरधना, मेरठ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ.ए. संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बर्सस यूनियन आफ इंडिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुसार इण्डस्ट्रियल एमीशन बेरी पुअर की स्थिति में रू0-25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिसूचित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करे अन्यथा उक्त की बसूली भू-राजस्व की भाँति कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गत हेतु अधिकृत।

(एन0के0 घोषान)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (उत्त-3)

2/-

10वीं-12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppeb.com
वेब साइट www.uppeb.com

F.C-12 V, Vibhuti Khand, Gouti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppeb.com
Web site www.uppeb.com

3-1/JE
संचालन
निर्देशित
कराया
08/11/2020

Annexure IP 8

S.No.	Name of the Waste Generator	Location	MT (Feb 21)	Vehicle In-date	In time	Out Time	Remarks
1	Dev Priya Product Pvt Ltd	Meerut, UP	24.35	26.02.2021	17:08:34	22:09:27	Received 5 vehicles in Feb
			27.85	26.02.2021	12:07:17	19:01:26	
			23.61	18.02.2021	12:23:50	19:35:25	
			27.29	17.02.2021	12:30:08	18:08:21	
			18.65	13.02.2021	13:14:19	16:56:52	
2	Paswara papers limited	Meerut, UP	29.21	26.02.2021	16:22:24	22:31:30	Received 2 vehicles in Feb
			20.95	14.02.2021	11:08:18	19:44:19	
3	Anand Duplex PVT Ltd	Meerut, UP	0	-	-	-	No Dispatched in Feb
4	Anand Triplex PVT Ltd	Meerut, UP	0	-	-	-	No Dispatched in Feb
5	Star Kraft PVT Ltd	Meerut, UP	18.84	26.02.2021	14:36:08	16:56:30	Received 4 vehicles in Feb
			23.7	14.02.2021	11:11:27	20:08:19	
			24.47	08.02.2021	11:49:55	16:53:57	
			22.35	02.02.2021	08:02:25	17:32:31	
6	Kanav Papers (P) Ltd	Meerut, UP	19.72	21.02.2021	12:20:20	19:27:18	Received 3 vehicles in Feb
			20.43	10.02.2021	15:16:54	21:30:44	
			21.95	01.02.2021	10:55:38	18:51:24	
7	Janki News Print	Meerut, UP	20.22	18.02.2021	08:54:08	19:12:22	Received 3 Vehicles in Feb
			20.07	04.02.2021	11:03:35	19:40:23	
			21.99	08.02.2021	12:38:27	14:33:55	
8	New bonanza India limited	Meerut, UP	23.12	06.02.2021	11:47:59	20:01:54	Received 3 Vehicles in Feb
			19.17	08.02.2021	12:24:07	17:22:57	
			21.94	14.02.2021	12:39:26	17:52:32	
9	RPG	Meerut, UP	0	-	-	-	No Dispatched in Feb
10	Sangal papers PVT Ltd	Meerut, UP	21.85	24.02.2021	10:43:10	17:08:21	Received 1 Vehicle in Feb
11	Chamunda Paper	Meerut, UP	0	-	-	-	No Dispatched in Feb
12	Sardhana Paper	Meerut, UP	17.15	09.02.2021	09:58:13	19:24:45	Received 1 Vehicle in Feb
Total			489				

List of Red Category Air Polluting Units Installed OCEMS & Linked to CPCB Control Room					
Sr.no.	Name of the Industry & Address	District	OCEMS(for emissions)Installed (yes/No)	OCEMS(for emissions)Connected with CPCB servers(yes/No)	Closure directions issued to unit which have not installed OCEMS(for emissions)/not connected with CPCB servers(Yes/No)
1	Al Faheem Meatex Pvt. Ltd., Vill.-Alipur, Hapur Road, Meerut	Meerut	Not Installed	NO	Unit is closed/sealed by MDA since 09 months
2	Al-Saqib Exports Pvt. Ltd., Vill.-Alipur, Hapur Road, Meerut	Meerut	Installed	yes	Boiler capacity is less than 5Ton per hours steam generation
3	Continental India Ltd., Modipuram, Meerut	Meerut	Installed	yes	
4	Gangol Sehkari Dugdh Utpadak Sangh Ltd, Gangol Road, Meerut	Meerut	Installed	Yes	
5	Harbans Dairy, Mohiuddipur, Meerut	Meerut	Installed	yes	
6	Harbans Lal Foods Pvt. Ltd, Mohiuddipur, Meerut	Meerut	Installed	yes	
7	Kailash Dairy, Rithani, Delhi road, Meerut	Meerut	Installed	yes	
8	Sardhana Papers Pvt Ltd., Sardhana, Meerut	Meerut	Installed	yes	
9	Anheuser-Busch InBev formerly Sab Miller India Ltd. Meerut cantt, Meerut	Meerut	Installed	yes	
10	Tanya Marketing Pvt. Ltd. Alipur Jijmana Hapur Road, Meerut	Meerut	Installed	yes	Industry is currently closed
11	Alps Industries Ltd., Vill.-Aminagar Bhoorbaral, Meerut	Meerut	Installed	yes	
12	Anand Triplex Board Ltd., Vill – Saini Mawana Road, Meerut	Meerut	Installed	Yes	
13	Bajaj Hindustan Ltd, Distillery Unit, Kinoni, Meerut	Meerut	Installed	Yes	
14	Bajaj Hindustan Ltd, Sugar, Kinoni, Meerut	Meerut	Installed	Yes	
15	Chamunda Papers (P) Ltd., Dheerkheda Ind. Area, Meerut	Meerut	Installed	Yes	
16	Daurala Sugar Works, Sugar Unit, Daurala, Meerut	Meerut	Installed	yes	
17	Dev Priya Product Ltd. Vill Saini Mawana Road, Meerut	Meerut	Installed	yes	
18	Dev. Priya Papers Ltd. Vill – Saini Mawana Road, Meerut	Meerut	Installed	yes	
19	IPL (U.P. State Sugar Corp. Ltd). Sakauti Tanda, Meerut	Meerut	Installed	yes	
20	Janki news print pvt. ltd.(Sumit Agro Products Ltd.) Panchali Baghpat Road, Meerut	Meerut	Installed	yes	
21	Kanav Papers Pvt Ltd(Formerly known as Dev Priya Fibers Pvt Ltd., Panchli, Bagpath Road, Meerut	Meerut	installed	yes	
22	Mawana Sugar Works, Mawana, Meerut	Meerut	installed	yes	
23	Naglamal Sugar Complex Garh Road, Meerut	Meerut	installed	yes	
24	New Bonanja India Ltd., Saini, Mawana Road, Meerut	Meerut	Installed	yes	
25	Paswara Papers Ltd., Mohiuddinpur, Meerut	Meerut	Installed	yes	
26	Sangal Papers Ltd.Vill – Bhainsa Mawana, Meerut	Meerut	Installed	yes	
27	Shri Venkatesh Paper Mills Formely Known as Anand Tissues Ltd., Vill Fitkari, Mawana, Meerut	Meerut	Installed	yes	
28	Star Kraft Papers Pvt Ltd(Formerly known as Devstar Paper Pvt Ltd. Panchali, Bagpat Road, Meerut)	Meerut	installed	yes	
29	UP State Sugar Corp. Ltd. Mohiuddinpur, Meerut	Meerut	Installed	yes	
30	Synergy waste Management Pvt Ltd, Subhartipuram, Delhi Bypass, Meerut	Meerut	Installed	Yes	

Plastic Wastes
From Paper
Recycling




Co-Processing

What is Co Processing ?


The use of waste materials in RI's (Resources Intensive Industrial processes) such as cement, leading to energy and/or raw-material recovery.

Co-processing benefits to:


- Upgrades waste management within the waste hierarchy
- Reduces wastes health & environmental impacts
- Maintains and improves the industrial sector's competitiveness
- Decreases (largely) the costs of waste management
- Improves all human and technical-economical factors



Technical characteristics of cement kiln




Quantity of Plastic waste sent for co-processing at UltraTech (July 20- Feb 21)



Total Plastic waste Sent for co-processing
- 8356 tons (July20- Feb-21)

Plastic waste - Tons





Plastic waste from Paper recycling industries from western U.P. (Tons)

Quantity of Plastic waste sent for co-processing at UltraTech

PLASTIC WASTE -MONTH WISE



■ Muzaffarnagar ■ Meerut ■ Ghaziabad ■ Noida ■ Bijnor



	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21
■ Muzaffarnagar	345.29	350.6	508.14	899.2	894.67	666.77	523.72	349.87
■ Meerut	52.46	171.66	227.55	585.05	470.84	316.63	156.43	488.88
■ Ghaziabad	38.56	116.55	125.37	200.61	243.26	233.22	175.44	136.94
■ Noida						18	16.72	22.67
■ Bijnor						22		

Plastic waste from Paper recycling industries from western U.P.- Month wise (Tons)

Percentage of Plastic waste sent for co-processing at UltraTech



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।

संख्या: 1403/पी०ए०-न०आ०/2020

दिनांक: 12 नवम्बर, 2020

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-199/2014 अल्मित्रा एच० पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 02-01-2017 तथा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. सहायक नगर आयुक्त(बी०)/का० नगर स्वास्थ्य अधिकारी
2. श्री विपिन कुमार,
3. श्री ऋषि पाल,
4. श्री बिट्टू सिंह
सफाई एवं खाद्य निरीक्षक।
नगर निगम, मेरठ।

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निम्नांकित पत्रों, जोकि शहर के विभिन्न स्थलों, खाली प्लाटों में कूड़ा/कचरा व कृषि अपशिष्ट जलाये जाने विषयक है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लिखित पत्रों के साथ स्थलों के Latitude/Longitude (अक्षांश देशांतर)/फोटोग्राफ्स संलग्न है।

क्र० सं०	पत्र सं०	दिनांक	D.M. Sir के आदेश	दिनांक	कूड़े जलाये जाने का स्थल
01	1082/GRAP/2020	02.11.2020	603/ई०आर०के०	04.11.2020	एसार पेट्रोल पम्प के सामने बिजली बम्बा बाईपास रोड, मेरठ।
02	1090/GRAP/2020	03.11.2020	607/ई०आर०के०	04.11.2020	म०न०-डी-128, के सामने पल्लवपुरम फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ।
03	1091/GRAP/2020	03.11.2020	605/ई०आर०के०	04.11.2020	मेरठ वन, गेट के निकट मोदीपुरम, मेरठ
04	1092/GRAP/2020	03.11.2020	606/ई०आर०के०	04.11.2020	मोदीपुरम प्लाईओवर के बगल में।
05	1094/GRAP/2020	03.11.2020	604/ई०आर०के०	04.11.2020	एच०आर० गार्डन के सामने मोदीपुरम से परतापुर बाईपास रोड पर स्थित भारत पेट्रोल पम्प के निकट, मेरठ।
06	1095/GRAP/2020	03.11.2020	602/ई०आर०के०	04.11.2020	रिवेरा बैंकट एण्ड रिसोर्ट, श्रद्धापुरी फेस-2, मेरठ से 150 मीटर की दूरी पर।
07	1104/GRAP/2020	05.11.2020			डोरली गेट, रुड़की रोड, मेरठ।
08	1105/GRAP/2020	05.11.2020			श्रद्धापुरी फेस-2, बाईपास रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ।
09	1113/GRAP/2020	05.11.2020			आकाशा हाइड्स, मेरठ बाईपास, मोदीपुरम, एन०एच० 58, मेरठ।
10	1114/GRAP/2020	05.11.2020			फैज-ए-आम इन्टर कॉलेज के सामने खाली पड़े प्लाट में दिल्ली रोड, मेरठ।
11	1120/GRAP/2020	06.11.2020			मोदीपुरम प्लाईओवर के बगल में खाली पड़े प्लाट में कृषि अपशिष्ट।
12	1125/GRAP/2020	07.11.2020			जे-ब्लॉक में बने पार्क के निकट पल्लवपुरम फेस-1, मेरठ।
13	1126/GRAP/2020	07.11.2020			पावर हाऊस पल्लवपुरम फेस-1, मोदीपुरम, मेरठ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप Latitude/Longitude (अक्षांश देशांतर)/फोटोग्राफ्स के आधार पर स्थलीय निरीक्षण करके देख ले कि क्या उक्त कूड़ा जलाने का प्रकरण नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत है या नहीं। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कूड़ा जलाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति व प्लॉट स्वामियों को चिन्हित कर नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रशमन शुल्क वसूला जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कूड़ा जलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर कृत कार्यवाही की आख्या लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं अपर नगर आयुक्त को भेजनी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी स्तर पर कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाती है अथवा यदि आपके क्षेत्र में पुनः कूड़ा जलाने की घटना संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित क्षेत्रीय सफाई एवं खादय निरीक्षक तथा सफाई नायक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपि:- अपर नगर आयुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
2. समस्त प्रभारी वाहन ड्रिपो।
3. समस्त सफाई एवं खादय निरीक्षक।
4. मुख्य लिपिक, स्वास्थ्य विभाग।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)

Awareness Generation (IEC Activities)

S.No.	Activity	No.	Period	Coverage
1	Advertisement in Print Media (Leading News Papers)	Weekly	July to August, 2021	75 Districts
2	Million Farmers Schools	15000	July, 2021	10 Lac Farmers
3	Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC	2	July & August, 2021	All Districts
4	State Level Kharif Gosthi	1	June 2021	Headquarter
5	District Level Kharif Gosthi	75	June –July 2021	75 Districts
6	Bolck Level Kharif Gosthi	821	July to August 2021	821 Blocks
7	Fixing of Hoardings	1328	Up to 31 August, 2021	At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump
8	Audio Visual Clips on TV	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Doordarshan & other popular Channels.
9	Broadcast of Radio Jingles	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Akashwani & other FM Channels.
10	Display of Audio Video Film	15	July to August 2021	To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes
11	Distribution of Leaflets	10 lac	May to July, 2021	75 Districts
12	Demonstration of implements	500 Ha.	October, 2021	75 Districts
13	Training of progressive farmers	24,333	July to Nov., 2021	1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK)



कार्यालय नगर निगम, मेरठ

संख्या: 62/पी०ए०-न०आ०/2018

दिनांक: 13 नवम्बर 2018

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ

सेवा में,

मा० मण्डलायुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

विषय : नगर निगम, मेरठ सीमान्तर्गत कम्पोस्टिंग स्थलों में विगत माह प्रयोग किये गये जैविक कचरे की मात्रा के सन्दर्भ में।

महोदया,

आपके दिशा-निर्देश में दिनांक 18-09-2017 को नगर निगम को कम्पोस्ट नगर बनाने के लिए अभियान का प्रारम्भ किया गया, उक्त तिथि से अबतक 180 स्थलों पर कम्पोस्टिंग इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं (नगर निगम द्वारा 138 एवं एम०डी०ए० द्वारा 28)। 14 स्थलों में पूर्व से कम्पोस्टिंग की जा रही है। नगर निगम द्वारा पिट, वर्मी व वैदिक कम्पोस्टिंग विधियां प्रयोग की जा रही हैं जबकि MDA के द्वारा पिट व वर्मी कम्पोस्ट प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न विधियों द्वारा कुल कम्पोस्ट की जा रही है जैविक कचरे की मात्रा सूचिबद्ध कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

संदर्भ : उपरोक्तानुसार

भवदीय



नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ

धि	क्रमांक	स्थल	गोबर लगभग (मैट्रिक टन में)	जैविक कचरा लगभग (मैट्रिक टन में)	कुल मात्रा लगभग (मैट्रिक टन में)
विद्यालय					
म्पोस्टिंग	1	शहीद मंगल पाण्डे कन्या पी0जी0 कॉलेज, मेरठ	0	2.0	2.0
	2	एन0 ए0 एस0 इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	2.5	2.5
	3	सेन्ट जोजफ इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	0.8	0.8
	4	नेशनल इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	3.0	3.0
	5	एस0एस0डी0 बॉय इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	0.1	0.1
	6	मलिक इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	0.5	0.5
	7	सनातन धर्म सरस्वती शिशु मन्दिर, मेरठ	0	0.5	0.5
	8	कनोहर लाल कृष्ण सहाय इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	2.0	2.0
	9	आर0 बी0 सी0 माध्यमिक विद्यालय, मेरठ	0	1.5	1.5
	10	पं0 बख्शी दास स्मारक इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	0.2	0.2
	11	दुर्गाबाड़ी ए0 बी0 इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	0.2	0.2
	12	नवभारत विद्यापीठ इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	1.5	1.5
	13	कलावती इन्टर कॉलेज, भोला रोड, मेरठ	0	1.0	1.0
	14	आदर्श इन्टर कॉलेज, फाजलपुर	0	1.0	1.0
	15	स्टार पब्लिक स्कूल, रोहटा रोड	0	1.0	1.0
अस्पताल					
	16	प्यारेलाल सरकारी अस्पताल, मेरठ	0	2.40	2.40
	17	सर्वोदय हॉस्पिटल, परीक्षितगढ रोड	0	0.7	0.7
रहवासी संघ					
	18	अटल पार्क एच0 ब्लॉक शास्त्री नगर, मेरठ	0	2.40	2.40
	19	संत विवेकानन्द पार्क एच0 ब्लॉक शास्त्री नगर, मेरठ	0	2.40	2.40
	20	अशोक पार्क एच0 ब्लॉक शास्त्री नगर, मेरठ	0	2.40	2.40
	21	टैगोर पार्क, एच ब्लॉक शास्त्रीनगर, मेरठ	0	2.40	2.40
	22	भगत सिंह पार्क, एच ब्लॉक शास्त्रीनगर, मेरठ	0	2.40	2.40
शासकीय कार्यालय					
	23	मण्डलायुक्त कार्यालय, मेरठ	0	0.3	0.3
	24	सर्किट हाउस, मेरठ	0	1.0	1.0
धार्मिक स्थल					
	25	मन्सादेवी मन्दिर, मेरठ	0	1.0	1.0

पार्क				
26	विवेकानन्द पार्क, एक ब्लॉक, गैरठ	0	1.0	1.0
27	साकेत पार्क	0	5.0	5.0
28	हंस पार्क	0	1.0	1.0
29	सुरजकुण्ड पार्क	0	3.0	3.0
30	गांधी आश्रम पार्क	0	2.0	2.0
31	टाउन हॉल पार्क	0	1.0	1.0
32	लेडीज पार्क	0	1.0	1.0
33	सामुदायिक पार्क, शास्त्रीनगर बी ब्लॉक	0	1.5	1.5
34	ग्रीन पार्क, सेक्टर-06	0	1.0	1.0
35	शिवाजी पार्क	0	1.0	1.0
36	शिव-पार्वती पार्क शास्त्री नगर	0	1.0	1.0
37	सरदार पटेल पार्क, सै0-03 (M)	0	1.0	1.0
38	आजाद पार्क, सै-03 (M)	0	0.5	0.5
39	गांधी पार्क -सै03, शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
40	चायत्री पार्क-सै03, शास्त्रीनगर (M)	0	1.0	1.0
41	सै0-2 पार्क, -सै03, शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
42	मोनाही पार्क, -सै03, शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
43	ग्रीन विला पार्क सै0-6, शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
44	विवेकानन्द पार्क, सै0-6, शास्त्रीनगर	0	1.0	1.0
45	पार्क-1, सै0-6, शास्त्रीनगर	0	1.0	1.0
46	दिव्या शक्ति पार्क, सै0-06 शास्त्रीनगर	0	1.0	1.0
47	गार्डन पार्क, सै0-02 शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
48	दुर्गा शाखा पार्क, सै-02शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
49	शहीद पार्क, सै-02 विद्यानगर शास्त्रीनगर (M)	0	0.5	0.5
50	स्वामिमान पार्क, मंगल पाण्डे नगर	0	0.5	0.5
51	उपासना पार्क, मंगल पाण्डे नगर	0	0.5	0.5
52	उदय पार्क, मंगल पाण्डे नगर	0	0.5	0.5
53	एकता पार्क, मंगल पाण्डे नगर	0	0.5	0.5
54	सहयोग पार्क, मंगल पाण्डे नगर	0	0.5	0.5
55	सद्भावना पार्क, मंगल पाण्डे नगर	0	0.5	0.5
56	सी ब्लॉक पार्क, गंगानगर ()	0	0.5	0.5
57	बी ब्लॉक पार्क, गंगानगर	0	0.5	0.5
58	राधा गार्डन पार्क, गंगानगर	0	0.5	0.5
	कुल योग			65.9



(Handwritten signature)

विधि	क्रमांक	स्थल	गोबर लगभग (मैट्रिक टन में)	जैविक कचरा लगभग (मैट्रिक टन में)	कुल मात्रा लगभग (मैट्रिक टन में)
पार्क					
कम्पोस्टिंग	59	सूरजकुण्ड पार्क-1	1.44	0.96	2.40
	60	सूरजकुण्ड पार्क-2	1.44	0.96	2.40
	61	सूरजकुण्ड पार्क-3	1.44	0.96	2.40
	62	सूरजकुण्ड पार्क-4	1.44	0.96	2.40
	63	सूरजकुण्ड पार्क-5	1.44	0.96	2.40
विद्यालय					
	64	शहीद मंगल पाण्डे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1.44	0.96	2.40
	65	एन0ए0एस0 इण्टर कालेज	1.44	0.96	2.40
	66	सेंट जोसेफ इण्टर कालेज	1.44	0.96	2.40
	67	नेशनल इण्टर कॉलेज	1.44	0.96	2.40
	68	एस0एस0डी0 बॉय इण्टर कॉलेज, लालकुर्ती	1.44	0.96	2.40
	69	आर0जी0 इण्टर कालेज कचहरी रोड	1.44	0.96	2.40
	70	फैज-ए-आम इण्टर कॉलेज, जली कोठी, दिल्ली रोड,	1.44	0.96	2.40
	71	एस0डी0 इण्टर कॉलेज सदर	1.44	0.96	2.40
	72	सरदार पटेल इण्टर कालेज शारदा रोड	1.44	0.96	2.40
	73	सेंट-थामस, मिसन कम्पाउण्ड, बच्चा पार्क	1.44	0.96	2.40
	74	खालसा इण्टर कालेज थापर नगर मेरठ	1.44	0.96	2.40
	75	डी0एन0 इण्टर कालेज घंटाघर	1.44	0.96	2.40
	76	हावर्ड पलेस्टिड पब्लिक स्कुल, साकेत	1.44	0.96	2.40
	77	कनोहर लाल साकेत	1.44	0.96	2.40
	78	राम सहाय इण्टर कालेज, गढ़ रोड	1.44	0.96	2.40
	79	इरमाईल गर्ल्स इण्टर कालेज, कोतवाली थाना	1.44	0.96	2.40
	80	एस0बी0 सिंह एकतानगर	1.44	0.96	2.40
	81	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इण्टर कालेज, कृष्णा नगर	1.44	0.96	2.40
	82	किसान इण्टर कॉलेज, कंकरखेड़ा, मेरठ	1.44	0.96	2.40


83	के०के० इन्टर कालेज, रेलवे चौराहा, मेरठ।	1.44	0.96	2.40
84	डी०डी० वी०के० इन्टर कालेज, मेरठ	1.44	0.96	2.40
85	डॉ० भीमराव अम्बेडकर गर्ल्स इन्टर कॉलेज, सुभाषनगर, मेरठ	1.44	0.96	2.40
86	रानी अवन्ती बाई हायर सैकेण्ड्री स्कूल लिसाड़ी, मेरठ	1.44	0.96	2.40
87	चौवड़ी देवी कन्या इन्टर कॉलेज, ब्रहमपुरी, मेरठ	1.44	0.96	2.40
88	देवी अहिल्याबाई इन्टर कॉलेज, लिसाड़ी, मेरठ	1.44	0.96	2.40
89	शहीद चन्द्र शंखर हायर सैकेण्ड्री स्कूल, गढ़ रोड	1.44	0.96	2.40
90	सर्वादय इन्टर कॉलेज, लिसाड़ी, मेरठ	1.44	0.96	2.40
91	कौशिक इन्टर कॉलेज, लाला महमदपुर, मेरठ	1.44	0.96	2.40
92	गुरुनानक जी० आई० सी०, ककड़खेड़ा मेरठ	1.44	0.96	2.40
93	राजेश पायलेंट इन्टर कॉलेज, मेरठ	1.44	0.96	2.40
94	के० एल० कन्या इन्टर कॉलेज, मेरठ	1.44	0.96	2.40
95	एस० सी० डी० एम० एस० एस०, गढ़ रोड, मेरठ	1.44	0.96	2.40
96	जी० जी० आई० सी० इन्टर कॉलेज, हापुड़ रोड मेरठ	1.44	0.96	2.40
97	डी० आर० वी० आर० ए० जी० इन्टर कॉलेज, मेरठ	1.44	0.96	2.40
98	विद्या ज्योति इन्टर कॉलेज, नूरनगर मेरठ	1.44	0.96	2.40
99	आर० वी० सी० माध्यमिक विद्यालय, मेरठ	1.44	0.96	2.40
100	कलावती इन्टर कॉलेज, भोला रोड, मेरठ	1.44	0.96	2.40
101	नवभारत विद्यापीठ इन्टर कॉलेज, परतापुर मेरठ	1.44	0.96	2.40
102	जी० आई० सी०, खूनी पुल मेरठ (व्यवासायिक स्थल)	400	0.00	400.00
103	दयावती मोदी एकेडमी, मेरठ	1.44	0.96	2.40
अस्पताल				

विधि	क्रमांक	स्थल	नौकर लगभग (मैट्रिक टन में)	जैविक कचरा लगभग (मैट्रिक टन में)	कुल मात्रा लगभग (मैट्रिक टन में)
विश्वविद्यालय					
पिट कम्पोस्टिंग	146	आईआईएमटीओ विश्वविद्यालय (2)	0	2.00	2.00
विद्यालय					
	147	डा० अम्बेडकर इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	1.50	1.50
	148	राम सहाय इन्टर कॉलेज, मेरठ	0	0.50	0.50
	149	डी० पी० एस०, बागपत रोड, मेरठ	0	1.50	1.50
	150	सी० ए० बी० इन्टर कॉलेज, सदर रोड,	0	1.00	1.00
होटल					
	151	बेवुरा रिर्सीट, बाईपास रोड, मेरठ	0	1.00	1.00
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गयी कम्पोस्टिंग इकाईयाँ					
शतान्दीनगर योजना					
	152	सी०-1 पॉकेट-बी टयूबवैल के सामने वाला पार्क।	0	0	0
	153	सी०-1 पॉकेट-बी, सद्भावना पार्क।	0	0	0
	154	सी०-4ए पंचवटी पार्क।	0	0	0
	155	सी०-4बी पॉकेट-ए का पार्क।	0	0	0
	156	सी०-4सी पॉकेट-बी का पार्क।	0	0	0
	157	सी०-4सी पॉकेट-सी का पार्क।	0	0	0
	158	सी०-4सी पॉकेट-डी का पार्क।			
	159	सी०-4सी पॉकेट-ई का पार्क।			
रक्षापुरम योजना					
	160	सी०-1 का पार्क।	0	0	0
	161	सी०-1 टयूबवैल वाला पार्क।	0	0	0
	162	सी०-3 पुरानी टंकी वाला पार्क।	0	0	0
	163	सी०-4 क्लब वाला पार्क।	0	0	0
	164	सी०-4 तिकोना पार्क।	0	0	0
	165	सी०-3 नयी टंकी वाला पार्क।			
लोहियानगर योजना					
	166	पुलिस एन्क्लेव पॉकेट-बी का पार्क।	0	0	0
	167	दुद्धा एन्क्लेव पॉकेट-डी का पार्क।	0	0	0
वेदव्यासपुरी योजना					
	168	सी०-1 ब्लॉक-ए का पार्क।	0	0	0
	169	सी०-6 जोनल पार्क। 2 न०	0	0	0
	170	सी०-7 ओवर हैड टैंक पार्क। 2 न०	0	0	0
	171	बाईपास से एसटीपी तक चीन बेल्ट			
गंगानगर योजना					
	172	पॉकेट सीपी जोनल पार्क	0	0	0
	173	पॉके के जोनल पार्क	0	0	0
	174	पॉकेट पी जोनल पार्क	0	0	0
सैनिक विहार योजना					

175	ब्लॉक डी के पार्क संख्या-01	0	0	0
176	ब्लॉक डी के पार्क संख्या-02	0	0	0
सैनिक विहार योजना				
177	ब्लॉक ई का पार्क	0	0	0
डिफेंस एन्कलेव योजना				
178	ब्लॉक सी 137 के सामने वाला पार्क	0	0	0
शहीद स्मारक				
179	शहीद स्मारक पार्क	0	0	0
फूल बाग कॉलोनी				
180	फूल बाग नाला पटरी	0	0	7.50
कुल योग				699.00
तीनों विधियों का कुल योग				

नगर निगम मेरठ सीमान्तर्गत विगत अध्ययनों के आधार पर 826 मैट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसमें 40 से 45 प्रतिशत भाग जैविक कचरा होता है (माध्य 42.5 प्रतिशत)। अतः नगर निगम के सीमान्तर्गत प्रतिमाह 10500 टन जैविक कचरा एवं 6000 टन गोबर पैदा होता है। नगर निगम के प्रयासों के विगत एक माह में लगभग 699 टन जैविक अंश को कम्पोस्ट में बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है जो उस मास उत्पादित कुल जैविक कचरे का 4.23 प्रतिशत है। एम0डी0 ए0 से कम्पोस्टिंग मात्रा के आकड़े प्राप्त होने पर कुल प्रशंसकृत जैविक कचरे का प्रतिशत बढ़ जायेगा।


 नगर आयुक्त
 नगर निगम, मेरठ

फसल अवशेष/कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की सूचना :
दिनांक 09-12-2020 (अन्तिम रिपोर्ट)।

- | | |
|---|--------|
| 1-जनपद | - मेरठ |
| 2-कुल घटनाओं की संख्या | - 84 |
| 3-कन्फर्म घटनाओं की संख्या | - 37 |
| 4-जुर्माना अधिरोपित घटनाओं की सं० | - 22 |
| 5-घटनाओं की संख्या जिसमें जुर्माना नहीं लगाया गया | |
| (अ) एफ0आई0आर0 वाली घटनाए | - 07 |
| (ब) जुर्माना अधिरोपित किये जाने वाली अवशेष घटनाए- | 4 |
| कुल | -11 |
| 6-अभ्युक्ति:- | |
| 1.एक घटना कूड़े में आग लगाने की। | |
| 2.तीन घटना मिलट्री फार्म में पराली जलाने की। | |
| 3.एक घटना ज्वार की फसल में अज्ञात द्वारा आग लगाने की। | |
| 4.एक घटना सड़क किनारे अज्ञात द्वारा झाड़ी में आग लगाने की। | |
| 5.एक घटना जनपद के लोकेशन से बाहर पायी गई। | |
| 6.कुल 37 घटनाओं में से 29 घटना गन्ने की पत्ती जलाने से सम्बंधित है शेष पराली जलाने की है। | |

उप कृषि निदेशक
मेरठ

Comprehensive Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)

1-Awareness Generation (IEC Activities)

S.No.	Activity	No.	Period	Coverage
1	Advertisement in Print Media (Leading News Papers)	Weekly	July to August, 2021	75 Districts
2	Million Farmers Schools	15000	July, 2021	10 Lac Farmers
3	Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC	2	July & August, 2021	All Districts
4	State Level Kharif Gosthi	1	June 2021	Headquarter
5	District Level Kharf Gosthi	75	June –July 2021	75 Districts
6	Bolck Level Kharif Gosthi	821	July to August 2021	821 Blocks
7	Fixing of Hoardings	1328	Up to 31 August, 2021	At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump
8	Audio Visual Clips on TV	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Doordarshan & other popular Channels.
9	Broadcast of Radio Jingles	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Akashwani & other FM Channels.
10	Display of Audio Video Film	15	July to August 2021	To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes
11	Distribution of Leaflets	10 lac	May to July, 2021	75 Districts
12	Demonstration of implements	500 Ha.	October, 2021	75 Districts
13	Training of progressive farmers	24,333	July to Nov., 2021	1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK)

2-Availability of implements to individuals farmers and Farm Machinery Banks to FPO's & Societies

- Crop Residue Management implements will be made available to the individual farmers and Farm Machinery Banks to FPO's, Societies and Panchayats under Centrally Sponsored Promotion of Agricultural Mechanization for In Situ management of crop residue Scheme.

Individual Farmers :

- CRM implements will be made available at 50% subsidy from CRM scheme and other implements at 40% -- 50% subsidy from Submission on Agricultural Mechanization Scheme (SMAM).

Farm Machinery Banks :

- Farm Machinery Banks will be provided at 80% subsidy in the following manner.
 - (a) FMB of Rs. 5 – 15 Lakh to FPO's farmer Societies, Cooperative Societies and Cane Societies.
 - Rs. 5.00 Lakh - from CRM Scheme - CRM Implements
80% subsidy is Rs 4.00 Lakh
 - Rs. 10.00 Lakh – From SMAM Scheme – CRM and Other implements
80% subsidy is Rs. 8.00 Lakh
 - (b) FMB of Rs. 5.00 Lakh – To Cooperative , Cane Societies & Panchayats
80% subsidy i.e. Rs. 4.00 Lakh from CRM Scheme

Progress of Implement Distribution (Till 2020-21) :

- | | |
|---|-------|
| - Individual Farmers | 31501 |
| - Farm Machinery Banks to Societies and FPO's | |
| (a) Rs. 5.00 – 15.00 Lakh | 4750 |
| (b) Rs. 5.00 Lakh | 900 |

Action Plan for 2021-22

Individual Farmers at 50% subsidy

CRM Scheme **7160**

Farm Machinery Banks at 80% subsidy-

- | | |
|---|-----|
| (a) Rs. 5.00 to 15.00 lakh to FPO's, Farmer Societies
(Rs. 5.00 Lakh from CRM Scheme
Rs. 10.00 Lakh from SMAM Scheme) | 800 |
| (b) Rs. 5.00 Lakh from CRM Scheme
(Cooperative Societies, Cane Societies & Panchayats) | 900 |

Time Line

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Empanelment of Manufacturers | - | By 15 April, 2021 |
| - Selection of Beneficiaries | - | By 30 June, 2021 |
| - Distribution of Implements | - | By 30 September, 2021 |

3- Innovative Activities

1-Flodding of field after harvesting and chopping of stubble in the field as adopted successfully in Pilibhit district in the year 2020-21

2-Digging of compost pit and putting the stubble in these pits and leaving for decomposition through spray of waste decomposer as adopted in many districts

3-Farmers would be encouraged to bring Parali to cow shelters and take cow dung from their as successfully done in Unnao district.

4-Use of waste decomposer :- In the year 2020-21 farmers were distributed waste decomposers free of cost. Culture was prepared from 100 ML waste decomposer solution by mixing Besan/Jaggery in it. This culture was spread on the stubble and stubble decomposed in 25 to 28 days. One bottle of 100 ml is sufficient for one acre field.

In the year 2020-21 - 2.62 Lakh bottles brought from National Centre of Organic Farming approved firm and 4000 capsules from IARI, Pusa, New Delhi and were distributed to the farmers free of cost.

In the year 2021-22 - Ten Lakh bottles are planned to be made available to the farmers by the end of August 2021.

4- Supplying Stubble to Cow Shelters :

Uttar Pradesh has 5226 Cow shelters in the state in which 5,63,856 Cows are housed. These require regular supply of fodder for feeding.

25% of stubble can be mixed with their fodder for feeding. These shelters need stubble to be spread on the floors also to save cow from severe winters. This is an innovative activity started by UP Government in which stubble from field to cow shelters was supplied. Labour cost for collection was met by MNREGA and transportation was done by Animal Husbandary Department.

Progress :

Year	Stubble Supplied
2020-21	43,901 MT
2021-22 (Proposed)	50,000 MT